www.raceias.com

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

जून, 2026 | ₹ 60/-

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- EPF आधार-आधारित एक्सेस पोर्टल (E-PRAAPTI)
- सुपारी में लीफ स्पॉट बीमारी
- नीति आयोग ने DPI@2047 रोडमैप लॉन्च किया
- स्वास्थ्य प्रशासन में महिलाओं का नेतृत्व
- स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) दिशा निर्देश 2026
- नागरिकता (संशोधन) नियम 2026
- कपास उत्पादकता के लिए मिशन
- मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म
- भारत में नकली मुद्रा का प्रचलन
- ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026
- जस्टिस अरविंद कुमार समिति

Gist of

THE HINDU | PIB | The Indian EXPRESS | Kurukshetra | YOJANA

Raghav Publication House

RACE IAS®

Since 2010

UPSC MAINS TEST SERIES - 2026

Test No.	Paper	Date	Topic
1	Sectional	06 June, 26	Polity + Governance
2	Sectional	13 June, 26	Indian & World History + Art & Culture
3	Sectional	20 June, 26	Geography + Indian Society
4	Sectional	27 June, 26	Science & Tech. + Economy
5	Sectional	4 July, 26	Social Justice + International Relation
6	Sectional	11 July, 26	Environment & Ecology + DM + Internal Security
7	Full Length	18 July, 26	Essay (All three Section)
8	Full Length	25 July, 26	GS Paper 1 (Full Syllabus)
9	Full Length	01 Aug., 26	GS Paper 2 (Full Syllabus)
10	Full Length	08 Aug., 26	GS Paper 3 (Full Syllabus)
11	Full Length	14 Aug., 26	GS Paper 4 (Full Syllabus) Ethics Integrity & Aptitude

COMMENCING FROM 06, JUNE 2026

REGISTRATION OPEN

LUCKNOW & KANPUR

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

7388114444, 9044241755

www.raceias.com | /raceiaslucknow | YouTube/raceiaslko | Follow us on :

अनुक्रमणिका

ईपीएफ आधार-आधारित एक्सेस पोर्टल (ई-प्राप्ति) ---------- 01
तथागत बुद्ध और पाँच ज्ञान बुद्ध ---------- 02
पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 रिपोर्ट ---------- 03
सुपारी में पत्ती धब्बा रोग (एलएसडी) ---------- 03
यूएई ओपेक और ओपेक+ से बाहर निकलेगा ---------- 04
यूसीजी के साथ कोयला खदान विकास समझौते ---------- 05
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम और सामाजिक समावेशन ---------- 06
नीति आयोग ने DPI@2047 रोडमैप लॉन्च किया ----------07
पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता ---------- 08
मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) ---------- 09
गूगल एआई डेटा हब ---------- 10
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) ---------- 11
स्वास्थ्य प्रशासन में महिला नेतृत्व ---------- 12
एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) ---------- 13
चुनाव याचिकाएँ ---------- 14
E20 पेट्रोल ---------- 15
पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) ---------- 16
परमाणु संलयन ---------- 17
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 ---------- 18
कर साथी ---------- 19
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (MTP) और गर्भपात कानून ---------- 20
भवन के खतरे और अग्नि सुरक्षा ---------- 21
जर्मेनियम-मुक्त ड्रोन इमेजिंग तकनीक ---------- 22
मीथेन अलर्ट और प्रतिक्रिया प्रणाली (MARS) ---------- 23
त्रिशंकु विधानसभा ---------- 24
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) शिखर सम्मेलन ---------- 26
स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशानिर्देश 2026 ---------- 27
ईवी बैटरी रीसाइक्लिंग ---------- 28
संघर्षों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा ---------- 29
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 ---------- 30
कपास उत्पादकता मिशन ---------- 31
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या ---------- 32
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या ---------- 33
OLED (ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड) ---------- 34
महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की योजना ---------- 35
एपनिया परीक्षण ---------- 36
आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) ---------- 37

RACE IAS

गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (एमटीपी) अधिनियम ---------- 38
हैन्टावायरस का प्रकोप ---------- 39
चिकित्सा और कल्याण पर्यटन ---------- 40
रिटेल बनाम होलसेल महंगाई ---------- 42
NEET परीक्षा पेपर लीक ---------- 43
नॉन-टैरिफ बैरियर (NTBs) ---------- 44
राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी) ---------- 45
वीबी—जी रैम जी अधिनियम, 2025 ---------- 46
सेहत मिशन ---------- 47
महिला सुरक्षा का रास्ता ---------- 48
भारत में नकली करेंसी का प्रचलन ---------- 49
भारत में नकली नोटों का प्रचलन ---------- 50
जन सुरक्षा योजनाएँ ---------- 51
भारत में बिजली से आग लगने का खतरा ---------- 52
मानव-पशु संघर्ष क्षेत्र ---------- 53
वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 ----------56
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार समिति ----------57
सोमनाथ मंदिर ---------- 57
भारत में वित्तीय समावेशन ---------- 58
देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (COSOP) 2026–2033 ---------- 59
लीड्स 2025 रिपोर्ट ---------- 60
सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना ---------- 61
भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्य) ----------62
परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का 11वां समीक्षा सम्मेलन ---------- 63
जनरेशन Z और लोकतंत्र ---------- 65
बांड आय ---------- 66
डेमोग्राफिक ट्रांज़िशन: भारत में जन्म दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट ---------- 68
खेत बचाओ अभियान ---------- 69
साइबर युद्ध और कानूनी शून्यता ---------- 70

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

ईपीएफ आधार-आधारित एक्सेस पोर्टल (ई-प्राप्ति)

प्रसंग

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने **E-PRAAPTI लॉन्च किया है** । यह एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे मेंबर्स को पुराने, इनऑपरेटिव EPF अकाउंट्स को पहचानने, ट्रैक करने और उनके **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक करने में मदद करने के लिए बनाया गया** है। इस पहल का मकसद बेकार पड़े अरबों फंड्स को अनलॉक करना और लाखों वर्कर्स के लिए क्लेम प्रोसेस को आसान बनाना है।

ई-प्राप्ति के बारे में

- **यह क्या है:** फिजिकल-मोड लेगेसी अकाउंट और मौजूदा डिजिटल UAN इकोसिस्टम के बीच के अंतर को कम करने के लिए बनाया गया एक आसान डिजिटल सॉल्यूशन।
- इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्शन में EPFO **ने लॉन्च किया है ।**
- **समस्या:** लाखों अकाउंट "इनऑपरेटिव" रहते हैं (इन अकाउंट का मतलब है ऐसे अकाउंट जिनमें मेंबर के 55 साल की उम्र में रिटायर होने, परमानेंट विदेश चले जाने, या गुज़र जाने के बाद 36 महीने तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया हो)।

पोर्टल की मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण
आधार प्रमाणीकरण	पुराने रिकॉर्ड के साथ मेंबर की पहचान को सुरक्षित रूप से वेरिफ़ाई करने और मैच करने के लिए आधार-बेस्ड e-KYC का इस्तेमाल करता है।
चरणबद्ध रोलआउट	**फेज़ 1:** ट्रैकिंग के लिए मेंबर ID ज़रूरी है। **फेज़ 2:** उन मेंबर्स के लिए ट्रैकिंग की इजाज़त देगा जिन्हें अपनी पुरानी ID याद नहीं है।
सीधे प्रोफ़ाइल अपडेट करना	मेंबर्स पोर्टल के ज़रिए सीधे अपने नाम, जन्म की तारीख या पिता के नाम में अपडेट शुरू कर सकते हैं।
नियोक्ता-मुक्त लिंकिंग	इसे एम्प्लॉयर के मैनुअल दखल को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे मेंबर्स अपने पुराने अकाउंट को अपने मौजूदा UAN से खुद से लिंक कर सकते हैं।
सिस्टम एकीकरण	सेटलमेंट के लिए **ऑटो-मोड प्रोसेसिंग को** इनेबल करने के लिए EPFO के सेंट्रल डेटाबेस के साथ इंटीग्रेटेड ।

महत्व

- **बेकार पड़े फंड को टारगेट करना:** खास तौर पर **31.83 लाख इनऑपरेटिव अकाउंट पर ध्यान दिया गया है** , जिनमें से कई दो दशकों से ज़्यादा समय से बेकार पड़े हैं।
- **डिजिटल इन्क्लूजन:** पुराने फिजिकल रिकॉर्ड को मॉडर्न **UAN-आधार** आर्किटेक्चर में लाता है, जिससे यह पक्का होता है कि ब्याज (अगर लागू हो) और मूलधन को सुरक्षित रूप से क्लेम किया जा सके।
- **सेटलमेंट एफिशिएंसी: यह EPFO की 2025-26 की सफलता पर आधारित है, जहाँ** "ज़ीरो-विजिट" ऑफिस मॉडल की ओर बढ़ते हुए रिकॉर्ड **8.31 करोड़ क्लेम सेटल किए गए थे।**
- **सिक्योरिटी:** पुराने डेटा को एक्सेस करने के लिए बायोमेट्रिक या OTP-बेस्ड आधार वेरिफिकेशन को ज़रूरी करके फ्रॉड से पैसे निकालने का खतरा कम करता है।

चुनौतियाँ और सिस्टम माइग्रेशन

E-PRAAPTI लॉन्च करने के लिए, मौजूदा EPFO यूनिफाइड पोर्टल को अपने बैकएंड आर्किटेक्चर को अपग्रेड करने के लिए थोड़े समय के लिए माइग्रेशन पीरियड से गुज़रना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती **बहुत पुराने रिकॉर्ड की डेटा क्वालिटी है** , जहाँ नाम की स्पेलिंग या पिता का नाम मौजूदा आधार डिटेल्स से पूरी तरह मेल नहीं खा सकता है, जिससे नए "प्रोफ़ाइल अपडेटिंग" फ़ीचर की ज़रूरत पड़ती है।

निष्कर्ष

फाइनेंशियल जस्टिस की तरफ़ एक बड़ा कदम है, जो नौकरी बदलने या पेपर-बेस्ड से डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव की वजह से अपनी सेविंग्स का हिसाब खो चुके थे। इस प्रोसेस को आधार पर सेंटर करके, EPFO ने लोगों के लिए अपनी मेहनत की कमाई

प्रोविडेंट फंड डिपॉज़िट वापस पाने का एक ट्रांसपेरेंट और आसान तरीका बनाया है।

तथागत बुद्ध और पाँच ज्ञान बुद्ध

प्रसंग

बुद्ध पूर्णिमा 2026 को , तथागत बुद्ध के **पवित्र पिपराह अवशेष** एक ऐतिहासिक पब्लिक प्रदर्शनी के लिए लेह, लद्दाख पहुंचे। ये अवशेष, जो रूस, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में जा चुके हैं, बौद्ध भक्ति और कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए एक ग्लोबल पुल का काम करते हैं।

"तथागत" शब्द के बारे में

- **परिभाषा:** *तथागत* एक टाइटल है जिसका इस्तेमाल बुद्ध ने पाली कैनन में खुद के लिए किया था। इसका मतलब है **"जो इस तरह आया है"** (*तथा-अगाता*) या **"जो इस तरह चला गया है"** (*तथा-गत*)।
- **महत्व:** यह उस व्यक्ति को दिखाता है जिसने जन्म और मृत्यु (*संसार*) के चक्र को पार कर लिया है और सच्चाई के अंतिम स्वरूप को जान लिया है।

पाँच तथागत (ज्ञान बुद्ध)

महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म में, पाँच तथागत बुद्ध के पाँच गुणों को दिखाते हैं। उन्हें अक्सर **मंडल में दिखाया जाता है** , जो ब्रह्मांड और जागे हुए मन का एक सिंबॉलिक रूप है।

बुद्धा	बुद्धि / प्रतीक	रंग	दिशा	मुद्रा (हाथ का इशारा)
वैरोचना	धर्मधातु (वास्तविकता) का ज्ञान	सफ़ेद	केंद्र	**धर्मचक्र** (चक्र घुमाना)
अक्षोभ्य	दर्पण जैसी बुद्धि (अविचल)	नीला	पूर्व	**भूमिस्पर्श** (धरती-स्पर्श)
रत्नसंभव	समानता का ज्ञान	पीला	दक्षिण	**वरद** (वरदान देना)
अमिताभ	विवेकशील बुद्धि (करुणा)	लाल	पश्चिम	**ध्यान**
अमोघसिद्धि	सर्व-सिद्धिदायक ज्ञान	हरा	उत्तर	**अभय** (निडरता)

मुख्य विशेषताएं और दर्शन

- **ज़हर का बदलना:** हर बुद्ध एक खास नेगेटिव इंसानी भावना को ज्ञान के एक पहलू में बदलने से जुड़ा है:
  - **अक्षोभ्य: गुस्से को** आईने जैसी साफ़गोई में बदल देता है ।
  - **अमिताभ: इच्छा/लगाव को** समझदारी भरी करुणा में बदल देता है ।
  - **वैरोचना: अज्ञान को** परम सत्य के ज्ञान में बदल देता है ।
- **मंडला ज्योमेट्री:** वैरोचना को सेंटर में "प्राइमॉर्डियल बुद्ध" के रूप में रखा गया है, जिनसे बाकी चार मुख्य दिशाओं में निकलते हैं।
- **प्रतीकात्मकता:**
  - **अक्षोभ्य को** अक्सर **वज्र** (हीरे जैसा वज्र) से जोड़ा जाता है, जो कभी न टूटने वाली इच्छाशक्ति को दिखाता है।
  - **रत्नसंभव का** संबंध **रत्न से है** , जो धर्म की असीम समृद्धि को दिखाता है।
  - **अमिताभ सुखावती (पश्चिमी पवित्र भूमि)** के स्वामी हैं , जो डूबते सूरज और अनंत प्रकाश से जुड़े हैं।

पिपराहवा अवशेषों का महत्व

पिपराहवा **रेलिक्स को** शाक्यमुनि बुद्ध के सबसे असली फिजिकल अवशेष माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के पिपराहवा स्तूप में मिले थे। 2026 में लद्दाख में इनकी प्रदर्शनी इस इलाके की गहरी आध्यात्मिक विरासत पर ज़ोर देती है और तथागत से जुड़े शांति और अहिंसा के संदेश को मज़बूत करती है।

निष्कर्ष

तथागत के कॉन्सेप्ट में ऐतिहासिक शाक्यमुनि बुद्ध और कॉस्मिक फाइव विजडम बुद्ध, दोनों शामिल हैं। साथ मिलकर, वे साधकों को दुनियावी कमियों को ज्ञान में बदलने के लिए एक मेडिटेशन का फ्रेमवर्क देते हैं, जबकि फिजिकल अवशेष दुनिया भर में साझा आध्यात्मिक पहचान की भावना को बढ़ावा देते रहते हैं।

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 रिपोर्ट

प्रसंग

नेशनल पंचायती राज डे (24 अप्रैल, 2026) पर , पंचायती राज मंत्रालय ने 2023–24 के समय के लिए **पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) 2.0 रिपोर्ट जारी की** । यह रिपोर्ट डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस की ओर एक ज़रूरी बदलाव को दिखाती है, जो भारत के ग्रामीण लोकल बॉडीज़ के लिए एक पूरा "रिपोर्ट कार्ड" देती है।

PAI 2.0 के बारे में

- **यह क्या है:** 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों (GPs) और पारंपरिक लोकल बॉडीज़ (TLBs) की निगरानी,

आकलन और प्रोत्साहन देने के लिए भारत का पहला व्यापक फ्रेमवर्क।

- **उद्देश्य:** नौ थीमैटिक एरिया में 150 इंडिकेटर्स और 230 डेटा पॉइंट्स के ज़रिए **सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (LSDGs) के लोकलाइज़ेशन को** आगे बढ़ाना ।
- **इवोल्यूशन:** वर्जन 2.0 ने ज़्यादा फोकस और कम एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ के लिए इंडिकेटर सेट को 516 (PAI 1.0 में) से 150 कर दिया।

मुख्य सारांश और निष्कर्ष

- **बड़ी भागीदारी:** इस इंडेक्स में 33 राज्यों और UTs की 2,59,867 पंचायतों से **97.30% भागीदारी देखी गई।**
- **ग्रेडिंग सिस्टम:** पंचायतों को पांच ग्रेड में बांटा गया है:
  - **अचीवर (ए+):** स्कोर ≥ 90 (संयुक्त) — *2023-24 में 0 जीपी इस स्थिति तक पहुंचे।*
  - **फ्रंट रनर (ए):** स्कोर 75–90 — *3,635 जीपी.*
  - **कलाकार (बी):** स्कोर 60–75 — *1,18,824 जीपी (45.72% पर सबसे बड़ा खंड) ।*
  - **आकांक्षी (सी):** स्कोर 40-60 — *1,23,719 जीपी .*
  - **बिगिनर (D):** स्कोर < 40.

विषयगत सफलताएँ

- **गरीबी मुक्त और आजीविका (थीम 1):** 3,313 GPs ने अलग-अलग A+ ग्रेड हासिल किया, जो गरीबी कम करने में बड़ी सफलता दिखाता है।
- **हेल्दी पंचायत (थीम 2):** प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, न्यूट्रिशन और सैनिटेशन में बेहतरीन काम के लिए 1,015 GPs A+ ग्रेड तक पहुंचे।

राज्यवार प्रदर्शन की मुख्य बातें

राज्य	प्रदर्शन मीट्रिक
त्रिपुरा	**टॉप परफ़ॉर्मर:** इसकी लगभग 80% पंचायतें "फ्रंट रनर" (ग्रेड A) स्टेटस तक पहुँच गईं।
उतार प्रदेश।	**सबसे ज़्यादा वॉल्यूम:** सभी **57,678** ग्राम पंचायतों ने हिस्सा लिया, जिससे सबसे ज़्यादा डेटा जमा हुआ।
पश्चिम बंगाल	**नॉन-पार्टिसिपेंट:** एकमात्र बड़ा राज्य जो PAI 2.0 एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुआ।
बिहार	**गैप एरिया:** इसमें "एस्पिरेंट" (ग्रेड C) कैटेगरी की 6,862 पंचायतें हैं, जो टारगेटेड रिसोर्सिंग की ज़रूरत दिखाता है।

पंचायतों के सामने चुनौतियाँ

- **क्षेत्रीय असंतुलन: मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में शुरुआती (ग्रेड D) पंचायतों** की संख्या ज़्यादा है , जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी को दिखाता है।
- **टेक्नोलॉजिकल रुकावटें:** अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में GPs अक्सर टेक्निकल रिपोर्टिंग में आने वाली रुकावटों और इंटीग्रेटेड डेटा एंट्री के लिए कम डिजिटल लिटरेसी की वजह से कम स्कोर करते हैं।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:** "सेल्फ-सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर" दुनिया भर में सबसे कमजोर थीम बनी हुई है, क्योंकि हाई-कॉस्ट प्रोजेक्ट्स को लगातार फंडिंग के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
- **सोशल जस्टिस में कमी:** "सोशल जस्ट" और "सोशल सिक्योर" थीम में स्कोर अक्सर लाइवलीहुड स्कोर से पीछे रहते हैं, जिससे पता चलता है कि कमज़ोर ग्रुप्स को बचाने में देरी हो रही है।

पश्चिमी गोलार्ध

- **टारगेटेड रिसोर्सिंग: राज्यों को 1.23 लाख एस्पिरेंट-ग्रेड पंचायतों** को फाइनेंशियल एलोकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि उन्हें हायर टियर में जाने में मदद मिल सके।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग: ग्रेड D पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (GPDP)** के लिए डेटा इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देना ।
- **इंसेंटिव मैकेनिज्म: नेशनल पंचायत अवार्ड्स को PAI स्कोर से पूरी तरह से** जोड़ना ताकि हेल्दी, डेटा-बेस्ड कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दिया जा सके।
- **AI और डिजिटल इंटीग्रेशन:** केंद्रीय मंत्रालयों से डेटा ऑटो-पोर्ट करने के लिए PAI डैशबोर्ड का इस्तेमाल करना, जिससे दूर-दराज के गांवों की संस्थाओं के लिए रिपोर्टिंग में दिक्कत कम होगी।

निष्कर्ष

PAI 2.0 रिपोर्ट अपनी-अपनी बातों पर आधारित दावों की जगह **वेरिफ़ाई किए जा सकने वाले, डेटा-ड्रिवन नतीजों से बदल देती है** । जवाबदेही का एक ट्रांसपेरेंट कल्चर बनाकर, यह गांव के लोगों को अपने विकास पर नज़र रखने में मदद करती है। यह इंडेक्स पंचायती राज संस्थाओं के लिए **2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने और** *विकसित भारत* के विज़न को पूरा करने के लिए एक पक्का रोडमैप का काम करता है ।

सुपारी में पत्ती धब्बा रोग (एलएसडी)

प्रसंग

कर्नाटक के बड़े सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ज़रूरी तीन साल के फील्ड डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट का पहला साल पूरा कर रहे हैं। इस पहल का मकसद **लीफ स्पॉट डिज़ीज़ (LSD) को मैनेज करने के लिए "पैकेज ऑफ़ प्रैक्टिसेज़" को स्टैंडर्डाइज़ करना है** ,

जो पूरे इलाके में सुपारी के बागानों की प्रोडक्टिविटी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है।

लीफ स्पॉट रोग के बारे में

- **यह क्या है: यह** एक बीमारी वाली बीमारी है, जो मुख्य रूप से फंगल होती है और **फोटोसिंथेसिस में रुकावट डालकर पेड़ों को कमजोर कर देती है** । पत्ती के टिशू को नुकसान पहुंचाकर, यह बीमारी पौधे की एनर्जी बनाने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पैदावार कम हो जाती है।
- **पैथोजेन:** ज़्यादातर मामले फंगल होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियल भी होते हैं। ये पैथोजेन ज़्यादा नमी वाले माहौल में पनपते हैं, जहाँ पत्तों की सतह पर **12 से 24 घंटे तक पानी रहता है** ।
- **फैलने का तरीका:** स्पोर्स आमतौर पर **हवा** , **हल्की बारिश** या ऊपर से सिंचाई के ज़रिए फैलते हैं, और कमज़ोर पौधों के टिशू पर पहुँचकर एक नया इन्फेक्शन साइकिल शुरू करते हैं।

मुख्य विशेषताएं और पहचान

- **दिखने वाले लक्षण:** धब्बे एंगुलर या गोल, उभरे हुए या धंसे हुए दिख सकते हैं। इनमें अक्सर अलग-अलग रंग के ग्रेडिएंट होते हैं, जो पीले और नारंगी-लाल से लेकर गहरे भूरे या काले तक होते हैं।
- **इन्फेक्शन का तरीका:** लक्षण आमतौर पर सबसे पहले **निचली और अंदर की डालियों पर दिखते हैं** , जहाँ हवा का सर्कुलेशन खराब होता है और नमी का लेवल सबसे ज़्यादा होता है।
- **प्रगति:**
  - **यंग इन्फेक्शन:** छोटे, अलग-अलग धब्बे।
  - **पुराने इन्फेक्शन:** बड़े, मिलते हुए धब्बे; फंगल फ्रूटिंग बॉडीज़ (स्पोर्स) घाव के बीच में छोटे धब्बों के रूप में दिखाई दे सकते हैं।
- **ज़िंदा रहना:** यह पैथोजन मज़बूत होता है, यह गिरे हुए पत्तों के टुकड़ों, सोई हुई कलियों, या नई टहनियों में सर्दियों में रहता है और अगले मौसम में फिर से उग आता है।

उपचार और प्रबंधन ("प्रैक्टिस का पैकेज")

LSD का सफल मैनेजमेंट सफ़ाई, कल्चरल बदलाव और टारगेटेड केमिकल इस्तेमाल के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है।

1. स्वच्छता और सांस्कृतिक प्रथाएँ

- **सोर्स हटाना:** गिरी हुई, इन्फेक्टेड पत्तियों को इकट्ठा करके नष्ट करना, पैथोजन के लाइफ साइकिल को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है।
- **एयरफ्लो और ड्रेनेज:** धूप को बेहतर तरीके से अंदर आने देने के लिए छंटाई करें और पानी जमा होने से बचाने के लिए सही ड्रेनेज पक्का करें।
- **सही दूरी:** ज़्यादा भीड़ से बचें ताकि "माइक्रो-क्लाइमेट" नमी कम हो सके, जो फंगल ग्रोथ के लिए अच्छी होती है।

2. मिट्टी और पोषण स्वास्थ्य

- **एसिडिक मिट्टी मैनेजमेंट:** एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मिट्टी की टेस्टिंग के आधार पर **चूने** का इस्तेमाल ।
- **बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन:** पौधे की नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और **नीम केक का मिला-जुला इस्तेमाल।**

3. रासायनिक और जैविक नियंत्रण

- **बायो-कंट्रोल:** मिट्टी से फैलने वाले पैथोजन्स को दबाने के लिए मिट्टी में **ट्राइकोडर्मा** का इस्तेमाल ।
- **प्रोफिलैक्टिक स्प्रेइंग: मानसून के मौसम में बोर्डो मिक्सचर** (कॉपर-बेस्ड फंगीसाइड) का समय पर इस्तेमाल ।
- **सिस्टमिक फंगीसाइड्स:** बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड पत्तियों को हाथ से हटाने और खत्म करने के बाद **प्रोपिकोनाज़ोल** , **टेबुकोनाज़ोल** , या **प्रोपिनेब** जैसे केमिकल्स का टारगेटेड इस्तेमाल ।

निष्कर्ष

कर्नाटक में चल रहे फील्ड डेमोंस्ट्रेशन रिएक्टिव केमिकल स्प्रेइंग से एक होलिस्टिक, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की ओर बदलाव दिखाते हैं। मॉडर्न फंगीसाइड्स के साथ-साथ मिट्टी की हेल्थ और सख्त सफाई पर फोकस करके, इस प्रोजेक्ट का मकसद सुपारी किसानों की रोजी-रोटी को लीफ स्पॉट डिजीज के लंबे समय तक चलने वाले नुकसानदायक असर से बचाना है।

यूएई ओपेक और ओपेक+ से बाहर निकलेगा

प्रसंग

ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स में एक ऐतिहासिक बदलाव में, **यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE)** ने ऑफिशियली **OPEC** और बड़े **OPEC+** अलायंस से अपनी वापसी की घोषणा की है, जो **1 मई, 2026 से लागू होगी** । यह फैसला प्रोडक्शन कोटा को लेकर सालों से चले आ रहे अंदरूनी तनाव के बाद लिया गया है और यह UAE के अपनी बढ़ी हुई प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा करने पर फोकस करने वाली एक इंडिपेंडेंट एनर्जी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने के इरादे का संकेत देता है।

ओपेक के बारे में

- **यह क्या है: पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों का संगठन (OPEC)** एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल संगठन है जो तेल बाज़ारों को स्थिर करने के लिए अपने सदस्यों की पेट्रोलियम नीतियों को कोऑर्डिनेट करता है।
- **स्थापना:** सितंबर 1960 में **बगदाद कॉन्फ्रेंस में** ।

- **संस्थापक सदस्य:** ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला।
- **हेडक्वार्टर:** वियना, ऑस्ट्रिया (1965 में जिनेवा से शिफ्ट किया गया)।
- **सदस्यता रुझान:** यूएई उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है, जो हाल ही में अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए समूह से बाहर हो गए हैं, जिसमें **अंगोला (2024)** , **कतर (2019)** और **इक्वाडोर (2020) शामिल हैं** ।

ओपेक+ के बारे में

- **यह क्या है: दिसंबर 2016 में कोऑपरेशन डिक्लेरेशन (DoC) के** ज़रिए बनाया गया एक बड़ा अलायंस। यह ग्लोबल सप्लाई पर ज़्यादा कंट्रोल रखने के लिए कोर OPEC मेंबर्स को 10 नॉन-OPEC प्रोड्यूसर्स के साथ जोड़ता है।
- **मुख्य पार्टनर:** मुख्य रूप से **रूस के** साथ-साथ मैक्सिको, कजाकिस्तान और दूसरे देश।
- **मार्केट पर असर:** यह ग्रुप "वॉलंटरी एडजस्टमेंट" के ज़रिए ग्लोबल कीमतों को मैनेज करता है। UAE का बाहर निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह उन कुछ मेंबर्स में से एक था जिनके पास काफ़ी **एक्स्ट्रा कैपेसिटी थी** , और कीमतों पर असर डालने के लिए प्रोडक्शन को तेज़ी से बदलने की काबिलियत थी।

गठबंधनों के मुख्य उद्देश्य

उद्देश्य	ओपेक (कोर)	ओपेक+ (विस्तारित)
मूल्य स्थिरता	प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए सही और स्थिर कीमतें पक्की करना।	हाई ग्लोबल इन्वेंट्री लेवल को मैनेज करके मार्केट को रीबैलेंस करें।
नीति एकीकरण	रेगुलर सप्लाई पक्का करने के लिए पेट्रोलियम पॉलिसी में तालमेल बिठाएं।	लंबे समय तक विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना (चार्टर ऑफ़ कोऑपरेशन, 2019)।
संकट प्रबंधन	कोटा के ज़रिए मार्केट क्रैश और ज़्यादा सामान होने से रोकें।	बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात (जैसे, COVID-19 की वजह से मांग में गिरावट) के दौरान स्थिरता बहाल करना।

UAE के बाहर निकलने के नतीजे

- **प्रोडक्शन की आज़ादी:** UAE अब OPEC+ के कड़े कोटा से बंधा नहीं है, जिससे वह 5 मिलियन बैरल प्रति दिन (mbpd) की कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए अपने बड़े इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कर **सकता है** ।
- **मार्केट में उतार-चढ़ाव:** ज़्यादा स्पेयर कैपेसिटी वाले किसी बड़े प्रोड्यूसर के जाने से, मंदी के दौरान ग्रुप की तेल की कीमतों को "फ्लोर" करने की क्षमता कम हो सकती है।
- **स्ट्रेटेजिक बदलाव:** UAE से उम्मीद है कि वह ज़्यादा डायवर्सिफाइड एनर्जी मॉडल की ओर बढ़ेगा, **LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस)** और हाइड्रोजन में भारी इन्वेस्ट करेगा, और शॉर्ट टर्म में अपने ऑयल रिज़र्व से ज़्यादा तेज़ी से पैसे कमाएगा।
- **OPEC लीडरशिप: इस एग्जिट से सऊदी अरब पर** ग्रुप में एकता बनाए रखने और ग्लोबल एनर्जी मार्केट के सप्लाई-साइड को मैनेज करने का ज़्यादा बोझ आ गया है ।

निष्कर्ष

1 मई, 2026 को UAE का अलग होना, 59 साल की मेंबरशिप के खत्म होने का निशान है और यह नेचुरल रिसोर्स के लिए "सॉवरेनिटी-फर्स्ट" अप्रोच दिखाता है। अलायंस से बाहर निकलने से, UAE को ग्लोबल एनर्जी ट्रांज़िशन को अपनी शर्तों पर चलाने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, भले ही यह ग्लोबल ऑयल प्राइस रेगुलेशन के ट्रेडिशनल मैकेनिज्म में नई अनिश्चितताएं लाता है।

यूसीजी के साथ कोयला खदान विकास समझौते

प्रसंग

कोयला मंत्रालय ने कमर्शियल नीलामी के 14वें राउंड के तहत चार कोयला खदानों के लिए **कोल माइन/ब्लॉक प्रोडक्शन और डेवलपमेंट एग्रीमेंट (CMDPAs) पर साइन करके एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि हासिल की है। भारत के माइनिंग इतिहास में पहली बार, इन एग्रीमेंट में अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन (UCG)** के लिए एम्बेडेड प्रोविज़न शामिल हैं , जो गहरे और पहुंच से बाहर कोयला रिज़र्व को टारगेट करते हैं।

समझौतों के बारे में

- **यह क्या है:** CMDPA भारत सरकार और सफल प्राइवेट/पब्लिक बिडर्स के बीच फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कोल ब्लॉक्स के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन टारगेट और रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल के लिए टाइमलाइन बताते हैं।
- **UCG में बदलाव:** पारंपरिक रूप से, कोयला फिजिकली निकाला जाता है। इन नए एग्रीमेंट के तहत, खास ब्लॉक को *इन-सीटू* कन्वर्जन के लिए तय किया गया है, जिससे भारत पारंपरिक माइनिंग खतरों के बिना "अनइकॉनॉमिक" रिज़र्व का इस्तेमाल कर सकता है।

UCG इंटीग्रेशन की मुख्य विशेषताएं

- **लक्षित खदानें:** चार अग्रणी ब्लॉकों में **रेचेरला** , **चिंतलपुडी सेक्टर A1** , **बेलपहाड़ का डिप एक्सटेंशन** और **तंगरडीही पूर्व शामिल हैं** ।
- **इन-सीटू कन्वर्ज़न:** UCG में कोयले की ज़मीन के नीचे की परत में ऑक्सीडेंट (हवा/ऑक्सीजन) इंजेक्ट करके कंट्रोल्ड कंबशन शुरू किया जाता है, जिससे कोयला सीधे **सिनगैस** (हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का मिक्सचर) में बदल जाता है।
- **इंडस्ट्रियल फीडस्टॉक:** इससे बनने वाला सिनगैस, बनाने के लिए एक कई तरह के कच्चे माल के तौर पर काम आता है:
    - **यूरिया और अमोनिया** (उर्वरकों के लिए)
    - **मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (DME)** (साफ़ ट्रांसपोर्ट ईंधन के लिए)
    - **सिंथेटिक नेचुरल गैस** (बिजली और इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए)

आर्थिक और सामरिक महत्व

पहलू	अनुमानित प्रभाव
राजस्व सृजन	कुल 138 साइन किए गए CMDPAs से हर साल **₹42,980 करोड़ मिलने की उम्मीद है।**
पूंजी निवेश	माइनिंग और गैसीफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग **₹48,231 करोड़ का निवेश होगा।**
रोज़गार	**4.34 लाख नौकरियां** (डायरेक्ट और इनडायरेक्ट) बनने की उम्मीद है ।
आयात प्रतिस्थापन	इम्पोर्टेड नैचुरल गैस और नेफ्था पर निर्भरता कम होती है, जिससे **एनर्जी और फ़ूड सिक्योरिटी मज़बूत होती है** ।

यूसीजी टेक्नोलॉजी के फायदे

- **एनवायरनमेंटल एफिशिएंसी:** इससे बड़े पैमाने पर सतह की खुदाई की ज़रूरत खत्म हो जाती है, जिससे फिजिकल फुटप्रिंट और ऊपरी मिट्टी की खराबी कम होती है।
- **रिसोर्स मैक्सिमाइज़ेशन:** गहरी या "पतली" कोयला परतों को खोलता है जो पारंपरिक ओपन-कास्ट या अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए टेक्निकली या फाइनेंशियली फायदेमंद नहीं हैं।
- **कार्बन पोटेंशियल: कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS)** के लिए एक रास्ता देता है , क्योंकि खाली ज़मीन के अंदर की कैविटी का इस्तेमाल CO_2 को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

कोयला नीलामी के 14वें राउंड में UCG को शामिल करना भारत की "आत्मनिर्भर" एनर्जी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। आसान एक्सट्रैक्शन से एडवांस्ड गैसिफिकेशन में बदलाव करके, भारत न केवल अपने घरेलू एनर्जी बेस को बढ़ा रहा है, बल्कि एक हाई-टेक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी बना रहा है जो कोयले को सीधे केमिकल, फर्टिलाइजर और फ्यूल सेक्टर से जोड़ता है।

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम और सामाजिक समावेशन

प्रसंग

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने *लखनऊ पब्लिक स्कूल एल्डिको बनाम स्टेट ऑफ़ UP & अन्य के मामले में एक अहम फैसला सुनाया।* कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एलिजिबिलिटी के झगड़े के आधार पर **राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के तहत दिए गए स्टूडेंट्स को एडमिशन देने में देरी नहीं कर सकते या मना नहीं कर सकते** । यह फैसला 25% कोटा को एक "नेशनल मिशन" के तौर पर फिर से पक्का करता है जिसे इंस्टीट्यूशनल झगड़े से रोका नहीं जा सकता।

आरटीई अधिनियम के बारे में

- **विधायी आधार:** बच्चों **को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ,** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21A** के तहत मौलिक अधिकार को लागू करता है ।
- **धारा 12(1)(सी):** यह महत्वपूर्ण प्रावधान निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए **25% सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है।**
- **लक्ष्य:** सिर्फ़ "एनरोलमेंट" से आगे बढ़कर सही मायने में **सोशल इन्क्लूजन की ओर बढ़ना** , यह पक्का करना कि अलग-अलग सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ पढ़ें।

मुख्य विशेषताएं और प्रदर्शन (2024-25)

विशेषता	वैधानिक आवश्यकता	वर्तमान स्थिति (UDISE+ 2024-25)
सार्वभौमिक पहुँच	6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा	**प्राथमिक स्तर पर GER > 100%**
छात्र-शिक्षक अनुपात	प्राथमिक विद्यालयों के लिए **30:1**	राष्ट्रीय औसत **26:1 है**

आधारभूत संरचना	सभी के लिए कार्यात्मक सुविधाएँ	**99.3%** स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध है
शिक्षक की गुणवत्ता	व्यावसायिक योग्यता	1.01 करोड़ टीचरों में से **95% प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं**
गैर-भेदभाव	नो-स्क्रीनिंग नीति (धारा 13)	बच्चों या माता-पिता के लिए इंटरव्यू/टेस्ट पर रोक लगाता है

न्यायिक मील का पत्थर: लखनऊ पब्लिक स्कूल केस (2026)

सुप्रीम कोर्ट ने कई "नॉन-नेगोशिएबल" सिद्धांत बनाए:

- **ज़रूरी तुरंत:** स्कूलों को राज्य से मिले स्टूडेंट्स को उसी समय एडमिशन देना होगा जब वे ऑफिशियल लिस्ट में आते हैं; किसी झगड़े के दौरान एडमिशन रोका नहीं जा सकता।
- **अपील पर रोक:** प्राइवेट संस्थानों को कानूनी तौर पर राज्य के चुनने के फैसलों पर "अपील करने" से रोका गया है।
- **बराबरी का दर्जा:** 25% कोटा को सामाजिक और आर्थिक बराबरी के शुरुआती मकसद को पूरा करने के लिए एक मुख्य टूल के तौर पर बताया गया है।

प्रभाव और महत्व

- **सोशल इंटीग्रेशन:** इंटीग्रेटेड क्लासरूम की वजह से अमीर स्टूडेंट्स में अपने कम इनकम वाले साथियों के प्रति **प्रो-सोशल बिहेवियर में 12% की बढ़ोतरी हुई है (इकोनॉमिक सर्वे 2024-25)।**
- **इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी:** अब **98.2%** स्कूलों में लड़कियों के लिए काम करने वाले टॉयलेट मौजूद हैं, जो 2012-13 के 88.7% से बहुत ज़्यादा है।
- **ट्रांज़िशन रेट:** प्राइमरी से अपर प्राइमरी में ट्रांज़िशन रेट **92.2% तक पहुंच गया है** , जिससे यह पक्का होता है कि बच्चे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा समय तक रहें।

संबंधित चुनौतियाँ

- **फाइनेंशियल बकाया:** राज्य सरकारों को प्राइवेट स्कूलों को रीइंबर्समेंट देने में काफी बैकलॉग का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, **महाराष्ट्र पर** अप्रैल 2026 तक **₹2,930 करोड़** की देनदारी बकाया है ।
- **कम सीट-फिल रेट:** 2025 की CAG रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ राज्यों में, मुश्किल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस और अवेयरनेस की कमी की वजह से सिर्फ़ **27.5% EWS सीटें ही भरी गईं।**
- **सीखने में कमी:** नेशनल **अचीवमेंट सर्वे (NAS) 2024** बताता है कि **ग्रेड 5 के 33% छात्र** गणित और भाषा में बेसिक जानकारी से नीचे हैं।
- **डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कतें: दूर-दराज के आदिवासी जिलों में** लगभग **40% योग्य बच्चों के** पास एडमिशन के लिए ज़रूरी इनकम या जाति सर्टिफिकेट नहीं हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ऑटोमेटेड रीइंबर्समेंट:** स्कूलों का फाइनेंशियल बकाया चुकाने और इंस्टीट्यूशनल सहयोग पक्का करने के लिए **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मॉडल** अपनाना ।
- **NIPUN भारत मिशन:** NAS 2024 में पहचाने गए सीखने के गैप को दूर करने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी (FLN) प्रोग्राम को मजबूत करना।
- **डिजिटल हेल्पडेस्क:** ऑनलाइन लॉटरी और पेपरवर्क में मदद के लिए लोकल मदद सेंटर को फंड देने के लिए **समग्र शिक्षा स्कीम** का इस्तेमाल करना ।
- **शिकायत का समाधान:** एडमिशन से मना किए गए माता-पिता के लिए 24/7 हेल्पलाइन के साथ **NCPCR मॉनिटरिंग सिस्टम को** मज़बूत करना ।

निष्कर्ष

न्यायपालिका ने RTE एक्ट को एक ज़रूरी नेशनल मिशन के तौर पर मज़बूत किया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटों से परे है। जहाँ कोर्ट ने बच्चों के कानूनी अधिकारों की रक्षा की है, वहीं राज्य को अब इस ज़रूरत के हिसाब से **रीइंबर्समेंट को आसान बनाना होगा** और **डॉक्यूमेंटेशन की रुकावटों को दूर करना होगा** ताकि यह पक्का हो सके कि हर योग्य बच्चे के लिए "इनक्लूजन" एक सच्चाई हो।

नीति आयोग ने DPI@2047 रोडमैप लॉन्च किया

प्रसंग

नीति आयोग ने आधिकारिक तौर पर विकसित भारत रोडमैप **के लिए DPI@2047** लॉन्च किया । **नीति फ्रंटियर टेक हब (FTH) ने** एकस्टेप फाउंडेशन और डेलॉइट के साथ पार्टनरशिप में इसे बनाया है। इस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का मकसद भारत को बुनियादी डिजिटल इन्क्लूजन (पहचान और पेमेंट) से हाई-प्रोडक्टिविटी, रोजी-रोटी पर आधारित ग्रोथ की राह पर ले जाना है।

रोडमैप के बारे में

- **यह क्या है:** भारत के डिजिटल रेल को वेलफेयर डिलीवरी से आगे बढ़ाकर मार्केट एक्सेस और ह्यूमन कैपेबिलिटी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इंजन में बदलने का एक लॉन्ग-टर्म ब्लूप्रिंट।
- **विज़न:** 2047 तक **$18,000** प्रति व्यक्ति आय के साथ **$30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था** बनाने के लिए

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का फ़ायदा उठाना।

दो-चरणीय दृष्टिकोण

रोडमैप इस यात्रा को दो अलग-अलग स्ट्रेटेजिक युगों में बांटता है:

चरण	**समय**	**विषय**	**मुख्य उद्देश्य**
डीपीआई 2.0	**2025–2035**	आकांक्षाओं को साकार करना	**रोज़ी-रोटी से होने वाली ग्रोथ को** बढ़ावा देना, MSMEs, खेती और हेल्थकेयर को मज़बूत बनाना।
डीपीआई 3.0	**2035–2047**	समृद्धि प्राप्त करना	**ज़मीनी स्तर पर इनोवेशन** और एंटरप्राइज़ कंपाउंडिंग को बढ़ावा देना।

DPI 2.0 के मुख्य स्तंभ

- **बड़े पैमाने पर लोगों को शामिल करना:** छोटे किसानों और MSMEs के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाना और लोकल टैलेंट के लिए नौकरी ढूंढना बेहतर बनाना।
- **इंसानी काबिलियत की बुनियाद:** डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए **लोकल भाषाओं** में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सीखने वालों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना।
- **सिस्टमिक इनेबलर्स: एसेट टोकनाइज़ेशन** के ज़रिए क्रेडिट को डेमोक्रेटाइज़ करना, डीसेंट्रलाइज़्ड एनर्जी मार्केट को इनेबल करना, और प्रोएक्टिव बेनिफिट डिलीवरी।
- **डिजिटल रेल्स 2.0:** प्रोडक्टिविटी और नॉन-लीनियर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खास "इंजन" को जोड़ने के लिए UPI और आधार से आगे बढ़ना।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- **स्ट्रक्चरल रुकावटें:** ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, भाषा की दिक्कतें, और "सिलो" डेटा जो छोटे एंटरप्राइज़ को आगे बढ़ने से रोकते हैं।
- **बिखरा हुआ इकोसिस्टम:** नए DPI फ्रेमवर्क से पैदा हुई डिजिटल डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार लोकल एंटरप्रेन्योर्स की कमी।
- **प्लेटफॉर्म पर निर्भरता:** "दीवारों वाले बगीचों" या बंद प्लेटफॉर्म से बचना जो MSMEs को ग्लोबल वैल्यू चेन से बाहर रखते हैं।
- **"टेक-फर्स्ट" ट्रैप:** ऐसे डिजिटल टूल्स के डेवलपमेंट को रोकना जिनमें साफ़, मार्केट-ड्रिवन डिमांड (समस्या के लिए सॉल्यूशन ढूंढना) की कमी हो।

रणनीतिक सिफारिशें

- **डीसेंट्रलाइज़्ड एग्ज़िक्यूशन:** सॉल्यूशन हाइपर-लोकलाइज़्ड हों, यह पक्का करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन को **राज्य और ज़िला लेवल** पर चलाया जाना चाहिए।
- **बार-बार होने वाले साइकिल: 2 साल के बदलाव वाले साइकिल को** अपनाना, जिसकी शुरुआत 2026-2027 में MSMEs और एग्रीकल्चर से होगी।
- **AI-DPI कन्वर्जेंस:** किसानों, टीचरों और बिज़नेस मालिकों को पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस देने के लिए AI को एक **लोकल असिस्टेंट के तौर पर इंटीग्रेट करना।**
- **ग्लोबल लीडरशिप:** भारत के DPI मॉडल्स को दिखाने और इंटरनेशनल सहयोग को लीड करने के लिए 2027 तक **एक न्यूट्रल ग्लोबल बॉडी बनाना।**
- **आर्थिक योगदान: नीति आयोग का अनुमान है कि ये पहल 2030 तक भारत की GDP में 4%** तक योगदान दे सकती हैं।

निष्कर्ष

DPI@2047 रोडमैप भारत के बेसिक डिजिटल एक्सेस से **आबादी के हिसाब से पैसे बनाने की तरफ बदलाव को दिखाता है। ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर को AI और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलाकर, यह पहल हर जिले को मौके के एक लोकल इंजन में बदलना चाहती है, जिससे यह पक्का हो सके कि** *विकसित भारत* की तरफ बढ़ना सबको साथ लेकर चलने वाला और टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस्ड हो।

पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता

प्रसंग

17वीं पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग बर्लिन में एक गंभीर ग्लोबल एनर्जी संकट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बैकग्राउंड में हुई। साल की पहली बड़ी क्लाइमेट मिनिस्टीरियल मीटिंग के तौर पर, यह **COP31 के लिए एक ज़रूरी पॉलिटिकल प्रीकर्सर के तौर पर काम आई**, जिसमें एनर्जी की ज़्यादा कीमतों और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता से दूर जाने की स्ट्रेटेजिक ज़रूरत पर फोकस किया गया।

संवाद के बारे में

- **यह क्या है:** एक सालाना हाई-लेवल इंटरनेशनल फोरम जो 40 से ज़्यादा देशों के मंत्रियों को UN की औपचारिक बातचीत के बाहर राजनीतिक रुकावटों को सुलझाने के लिए एक अनौपचारिक जगह देता है।
- **स्थापना:** पेरिस समझौते के लिए राजनीतिक गति बनाए रखने के लिए जर्मन सरकार ने **2010 में (COP15 के बाद) इसे शुरू किया।**
- **होस्ट लीडरशिप: 2026 एडिशन को जर्मनी** (मिनिस्टर कार्स्टन श्नाइडर) ने **COP31 प्रेसीडेंसी ऑफ़ तुर्किये** (मिनिस्टर मूरत कुरुम) और **COP31 प्रेसीडेंसी**

ऑफ़ नेगोशिएशन्स ऑस्ट्रेलिया (मिनिस्टर क्रिस बोवेन) के साथ मिलकर होस्ट किया था ।

2026 डायलॉग के मुख्य विषय और विशेषताएं

- **सेंटर-स्टेजिंग इलेक्ट्रिफिकेशन:** इसका एक मुख्य नतीजा यह था कि इलेक्ट्रिफिकेशन को इंटरनेशनल एजेंडा के "पूरी तरह से मुख्य" हिस्से में रखने की मांग की गई। इसमें महंगे और भरोसेमंद नहीं तेल और गैस की जगह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हीट पंप और ग्रीन ग्रिड की तरफ तेज़ी से बदलाव शामिल है।
- **जियोपॉलिटिकल रेजिलिएंस:** नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रिन्यूएबल एनर्जी (सोलर और विंड) सिर्फ़ क्लाइमेट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि होर्मुज स्ट्रेट और दूसरे अस्थिर इलाकों में सप्लाई के झटकों से देशों को बचाने के लिए एक **सिक्योरिटी ज़रूरी है ।**
- **इच्छुक लोगों का गठबंधन ":** ग्लोबल स्टॉकटेक के बाद, बातचीत का फोकस ज़मीन पर छोटे-मोटे कमिटमेंट को "बैंकेबल प्रोजेक्ट्स" में बदलने पर था, जिसमें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग पर ज़ोर दिया गया।
- **SIDS और पैसिफिक पार्टनर्स पर फोकस:** ऑस्ट्रेलिया-तुर्किये पार्टनरशिप के तहत, **स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स (SIDS) की प्रायोरिटीज़ पर नए सिरे से फोकस किया गया** , खासकर अडैप्टेशन और नुकसान और डैमेज फाइनेंस के संबंध में।

मुख्य चर्चा क्षेत्र

फोकस क्षेत्र	उद्देश्य
1.5°C सीमा	ग्लोबल वार्मिंग की लिमिट को बनाए रखने के लिए "एम्बिशन गैप" को बंद करना।
जलवायु वित्त	**न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG)** को लागू करना और ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) को फिर से भरना।
ऊर्जा दक्षता	2030 तक एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार की ग्लोबल रेट को दोगुना करना।
बस संक्रमण	फॉसिल फ्यूल रेवेन्यू पर निर्भर देशों के लिए इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पक्का करना।

महत्व

- **COP31 का माहौल बनाना: इस बातचीत ने** नवंबर 2026 में **तुर्की के अंताल्या** में होने वाले **COP31 समिट** के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद रखी ।
- **ब्रिज बिल्डिंग:** यह एक ऐसा खास प्लेटफॉर्म है जहाँ डेवलप्ड और डेवलपिंग देश नेशनल एमिशन टारगेट (NDCs) पर एकमत होने के लिए खुलकर, "बंद कमरे में" बातचीत कर सकते हैं।
- **इकोनॉमिक लिंकेज:** पहली बार, 2026 डायलॉग में **फाइनेंस सेक्टर और क्लीन-टेक इंडस्ट्री की अहम हिस्सेदारी देखी गई** , जिसने क्लाइमेट पॉलिसी को सीधे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस से जोड़ा।

निष्कर्ष

17वें पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि क्लाइमेट न्यूट्रैलिटी का रास्ता अब **एनर्जी सॉवरेनिटी का दूसरा नाम है** । इलेक्ट्रिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े इन्वेस्टमेंट पर फोकस करके, फोरम का मकसद यह पक्का करना था कि "अगला फॉसिल फ्यूल संकट कम दर्दनाक हो," और साथ ही ग्लोबल क्लाइमेट ज़रूरतों और मौजूद फाइनेंशियल रिसोर्स के बीच के गैप को कम करने की कोशिश की जाए।

मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी)

प्रसंग

मिडिल ईस्ट में लड़ाई में काफ़ी बढ़ोतरी, खासकर सऊदी अरब के जुबैल इंडस्ट्रियल हब पर हमले, ने दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स संकट पैदा कर दिया। **प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) की** कीमतें एक ही महीने में **40% बढ़ गईं। यह मुख्य रूप से हाई-प्योरिटी PPE रेज़िन के प्रोडक्शन में** रुकावट के कारण हुआ , जो एक ज़रूरी कच्चा माल है और जिसके लिए एक ही सप्लायर, **SABIC** , दुनिया भर में सप्लाई का लगभग 70% हिस्सा देता है।

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में

- **यह क्या है:** एक मज़बूत या लचीला सबस्ट्रेट जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैकेनिकली सपोर्ट देने और इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह नॉन-कंडक्टिव सबस्ट्रेट पर लैमिनेटेड कॉपर शीट्स से बनाए गए कंडक्टिव पाथवे (ट्रेस) का इस्तेमाल करता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स का "मदरबोर्ड":** PCBs लगभग सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेसिक हिस्सा हैं, सिंपल खिलौनों से लेकर NVIDIA और AMD द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हाई-एंड **AI सर्वर तक।**

शरीर रचना विज्ञान और कच्चे माल

PCB की कीमत और परफॉर्मेंस उसके मटीरियल से तय होती है:

- **रेजिन (PPE और एपॉक्सी):** हाई-प्योरिटी **पॉलीफेनिलीनीथर (PPE)** हाई-स्पीड सिग्नल इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है। 2026 में इस रेजिन की कमी ने लीड टाइम को 3 हफ़्ते से बढ़ाकर 15 हफ़्ते से ज़्यादा कर दिया है।
- **कॉपर फॉइल:** बोर्ड की कंडक्टिव "वेन्स" की तरह काम करता है। यह आमतौर पर कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट का **60% होता है।**

- **ग्लास फाइबर:** बोर्ड के लिए स्ट्रक्चरल "स्केलेटन" और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन देता है।

विनिर्माण प्रक्रिया

1. **लैमिनेशन:** कॉपर फॉइल, रेज़िन-इम्प्रेग्नेटेड ग्लास फाइबर (प्रीप्रेग), और इनर कोर की बॉन्डिंग लेयर्स को तेज़ गर्मी (**170-200°C**) और प्रेशर में।
2. **एचिंग:** फालतू कॉपर को हटाने के लिए केमिकल सॉल्यूशन (एल्कलाइन या एसिड) का इस्तेमाल करना, और सिर्फ़ डिज़ाइन किए गए सर्किट पैटर्न को छोड़ना।
3. **ड्रिलिंग और प्लेटिंग:** अलग-अलग लेयर्स को जोड़ने के लिए छोटे छेद (vias) बनाना और इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी पक्का करने के लिए उन पर कॉपर की प्लेटिंग करना।
4. **मल्टी-लेयरिंग: मॉडर्न AI सर्वर को** बहुत ज़्यादा डेटा थ्रूपुट को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ **16 से 32+ लेयर वाले** कॉम्प्लेक्स बोर्ड की ज़रूरत होती है ।

मुख्य विशेषताएं और चुनौतियाँ

- **थर्मल मैनेजमेंट:** एडवांस्ड PCBs को हाई-परफॉर्मेंस चिप्स से निकलने वाली बहुत ज़्यादा गर्मी को बिना मुड़े या "डीलेमिनेट" हुए झेलना चाहिए।
- **सिग्नल इंटीग्रिटी:** खास PPE रेजिन सिग्नल लॉस को रोकते हैं, जो 6G और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है।
- **सप्लाई चेन की कमज़ोरी:** 2026 के संकट ने एक "कंसंट्रेशन रिस्क" को दिखाया, जहाँ एक भी क्षेत्रीय लड़ाई खास पेट्रोकेमिकल हब पर निर्भरता के कारण ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को रोक सकती है।

अनुप्रयोग

क्षेत्र	प्रयोग
एआई और डेटा सेंटर	GPU क्लस्टर के लिए हाई-लेयर काउंट बोर्ड (Nvidia, Google TPU).
उपभोक्ता तकनीक	स्मार्टफोन और वियरेबल्स के लिए कॉम्पैक्ट, फ्लेक्सिबल PCBs।
ऑटोमोटिव	EV बैटरी मैनेजमेंट और ADAS के लिए हेवी-ड्यूटी बोर्ड।
औद्योगिक	फैक्ट्री ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के लिए हाई-रिलायबिलिटी बोर्ड।

निष्कर्ष

2026 में PCB की कीमतों में आया झटका इस बात पर ज़ोर देता है कि "सिलिकॉन एज" सेमीकंडक्टर की तरह ही केमिकल रेजिन और कॉपर पर भी निर्भर है। जैसे-जैसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री **सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दे रही है।** और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग (जैसे भारत का IDSPS प्रोग्राम) को जियोपॉलिटिकल उतार-चढ़ाव के रिस्क को कम करने के लिए।

गूगल एआई डेटा हब

प्रसंग

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम के पास गूगल के **$15 बिलियन (लगभग ₹1.35 लाख करोड़) के AI डेटा सेंटर हब की नींव रखी** । यह लैंडमार्क प्रोजेक्ट अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और भारत के "AI-नेटिव" भविष्य के लिए उसके $15 बिलियन के कमिटमेंट का आधार है।

समाचार के बारे में

- **यह क्या है:** एक हाई-कैपेसिटी, हाइपरस्केल AI-ड्रिवन डेटा सेंटर कैंपस जिसे एडवांस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्लोबल डेटा कनेक्टिविटी और हाई-परफॉर्मेंस AI वर्कलोड (जेमिनी, सर्च और YouTube जैसी सर्विसेज़ को सपोर्ट करता है) के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन:** इसे गूगल की सब्सिडियरी, **रेडेन इंफोटेक ने अडानीकनेक्स** (अडानी ग्रुप), **एयरटेल** (भारती एंटरप्राइजेज) के नेक्सट्रा और **नेक्स्टेरा एनर्जी** के साथ एक स्ट्रेटेजिक कंसोर्टियम में डेवलप किया है ।
- **लोकेशन:** तीन खास जगहों पर **601.4 एकड़ में** फैला हुआ :
  - **तारलुवाड़ा** (266.6 एकड़) और **अडविवरम** (160 एकड़)।
  - **रामबिल्ली** (174.8 एकड़)।

प्रमुख विशेषताऐं

- **बड़ी कैपेसिटी:** शुरुआती कैपेसिटी **1 गीगावाट (GW) के साथ प्लान की गई है** , जिसे लंबे समय में 5 GW तक बढ़ाने का विज़न है।
- **ग्लोबल कनेक्टिविटी:** इसमें एक **केबल लैंडिंग स्टेशन (CLS)** और एक डेडिकेटेड सबसी केबल सिस्टम शामिल है जो विशाखापत्तनम को सीधे US, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से जोड़ता है।
- **रिन्यूएबल एनर्जी लिंक्ड:** इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज सॉल्यूशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि सस्टेनेबल ऑपरेशन सुनिश्चित हो सकें।
- **बिज़नेस करने की स्पीड:** राज्य की प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से मदद मिली है, जिसमें बिजली सब्सिडी और GST रीइंबर्समेंट जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं।

महत्व

- **आर्थिक असर:** भारत के सबसे बड़े **फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI)** प्रोजेक्ट्स में से एक होने के नाते, यह ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर के तौर पर देश की जगह को मज़बूत करता है।
- **रोज़गार: साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और क्लाउड ऑपरेशन्स में 3,000 से ज़्यादा डायरेक्ट टेक्निकल नौकरियाँ** और हज़ारों इनडायरेक्ट रोल्स बनने की उम्मीद है ।
- **रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन: विशाखापत्तनम को "AI-पट्नम"** में बदलने की तैयारी , जो हैदराबाद के साइबराबाद की सफलता को दिखाता है।
- **सप्लाई चेन ग्रोथ:** सर्वर मैन्युफैक्चरिंग, कूलिंग टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड नेटवर्किंग सिस्टम में जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है।

पश्चिमी गोलार्ध

- **फेज़्ड डेवलपमेंट:** कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2026 में शुरू हुआ, और पहले फेज़ को **जुलाई 2028 तक चालू करने का टारगेट है** ।
- **राज्य का विज़न: यह प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के 6.5 GW मल्टी-गीगावाट डिजिटल इकोसिस्टम** बनाने के लंबे समय के लक्ष्य के लिए एक सहारा है ।
- **विकसित भारत 2047:** यह एक विकसित भारत के लिए बुनियादी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के राष्ट्रीय विज़न से मेल खाता है।

निष्कर्ष

गूगल AI डेटा हब भारत के टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। बड़े कैपिटल इन्फ्यूजन को स्ट्रेटेजिक ग्लोबल कनेक्टिविटी और स्टेट-लेवल पॉलिसी सपोर्ट के साथ बैलेंस करके, यह प्रोजेक्ट विशाखापत्तनम को एक कोस्टल शहर से ग्लोबल AI इकॉनमी के लिए एक प्राइमरी गेटवे में बदल देता है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

प्रसंग

भारत और न्यूज़ीलैंड ने एक ऐतिहासिक **फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर साइन किया** , जो भारत के इतिहास में सबसे तेज़ ट्रेड बातचीत में से एक है। इस बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मकसद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल मोबिलिटी में आपसी रिश्तों को गहरा करना है, साथ ही एक स्थिर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक जैसे विज़न को मज़बूत करना है।

समाचार के बारे में

- **पार्टनरशिप:** दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बीच रूल्स-बेस्ड ट्रेड एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें न्यूज़ीलैंड की कैपिटल और टेक को इंडिया के "मेक इन इंडिया" इनिशिएटिव के साथ अलाइन किया गया है।
- **लक्ष्य:** बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनावों के बीच ट्रेड में रुकावटों को खत्म करना और बिज़नेस के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके।

FTA की मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण
टैरिफ उन्मूलन (NZ)	न्यूजीलैंड भारत से इंपोर्ट होने वाले **100% सामान पर से टैरिफ हटाएगा।**
टैरिफ में कमी (भारत)	न्यूज़ीलैंड से **होने वाले मौजूदा इंपोर्ट के 95%** पर टैरिफ हटाएगा या कम करेगा ।
निवेश	NZ की तरफ से 15 सालों में भारत में **$20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने का वादा।**
रणनीतिक बहिष्करण	भारत ने सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया: **कोई डेयरी (दूध, चीज़, वगैरह)** , प्याज़, चना, चीनी, या शहद नहीं।
गतिशीलता	**स्किल्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स** के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क ।

प्री-FTA ट्रेड स्नैपशॉट (बेसलाइन डेटा)

- **भारत का एक्सपोर्ट: 32.1%** बढ़कर ~$711.1 मिलियन हो गया (मुख्य सामान: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कीमती धातुएं)।
- **भारत का इम्पोर्ट: 75.2%** बढ़कर ~$587.1 मिलियन हो गया (मुख्य सामान: लकड़ी, फल, खास मशीनरी)।
- **ट्रेड बैलेंस:** एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले भारत का **ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव था।**

अवसर और तालमेल

- **मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर:** $20 बिलियन के निवेश से पूरे भारत में इंडस्ट्रियल क्लस्टर और इनोवेशन हब को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- **सर्विस एक्सपोर्ट: IT और ITES** , एजुकेशन और हेल्थकेयर सर्विस में भारतीय कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है ।
- **एग्रीकल्चरल टेक:** भारतीय किसानों को पैदावार और प्रोसेसिंग क्षमता बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एग-टेक में सहयोग।
- **SME और कारीगरों पर फोकस:** भारतीय टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट के लिए नया मार्केट एक्सेस, जिससे खास तौर पर महिला एंटरप्रेन्योर और MSME को फायदा होगा।

संबंधित चुनौतियाँ

- **डेयरी सेंसिटिविटी:** हालांकि अभी इसे बाहर रखा गया है, लेकिन डेयरी सेक्टर में न्यूज़ीलैंड की दिलचस्पी अभी भी ज़्यादा है, जिससे भविष्य के रिव्यू में दिक्कत हो सकती है।
- **रेगुलेटरी अलाइनमेंट:** छोटे लेवल के भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए "रूल्स ऑफ़ ओरिजिन" और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है।
- **MSME कॉम्पिटिशन:** हाई-टेक न्यूज़ीलैंड के सामान के बढ़ते इम्पोर्ट से खास सेगमेंट में लोकल भारतीय मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव पड़ सकता है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:** भारत को $20 बिलियन के निवेश को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए लॉजिस्टिक्स और "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" मेट्रिक्स में सुधार करना होगा।

पश्चिमी गोलार्ध

- **तेज़ी से मंज़ूरी:** कानूनी प्रक्रिया को प्राथमिकता देना ताकि यह पक्का हो सके कि 2026 के आखिर से पहले यह समझौता पूरी तरह से लागू हो जाए।
- **सेक्टर के रोडमैप:** इंडस्ट्री बॉडीज़ (जैसे FIEO और CII) को MSMEs को न्यूज़ीलैंड के मार्केट में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए गाइड बनानी चाहिए।
- **हाई-ग्रोथ सेक्टर्स पर फोकस:** नेशनल प्रायोरिटीज़ के साथ तालमेल बिठाने के लिए **सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी** की ओर इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट करना ।
- **स्किल हार्मोनाइज़ेशन:** लेबर मोबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आपसी पहचान को तेज़ करना।

निष्कर्ष

भारत-न्यूज़ीलैंड FTA हाई-ट्रस्ट ट्रेड नेगोशिएशन के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है जो आर्थिक महत्वाकांक्षा और घरेलू सेंसिटिविटी के बीच बैलेंस बनाता है। बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हासिल करके और डेयरी जैसे ज़रूरी सेक्टर को बचाकर, भारत ने खुद को एक प्राइमरी बेनिफिशियरी के तौर पर स्थापित किया है। यह एग्रीमेंट न केवल आर्थिक संबंधों को मज़बूत करता है बल्कि इंडो-पैसिफिक की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को भी मज़बूत करता है।

स्वास्थ्य प्रशासन में महिला नेतृत्व

प्रसंग

भारत के हेल्थकेयर लैंडस्केप के 2026 के एनालिसिस से पता चलता है कि गहरी पैट्रियार्कल बनावट **जेंडर इक्विटी में रुकावट डालती रहती है** । कई इंटरवेंशन के बावजूद, जन्म के समय लड़की-लड़के का सेक्स रेश्यो **1,000 लड़कों पर 917 पर कम बना हुआ है** , जो एक गहरे सिस्टमिक संकट का संकेत है जहाँ पैट्रियार्की हेल्थ के प्राइमरी सोशल डिटरमिनेटर के तौर पर काम करती है।

समाचार के बारे में

- **कॉन्सेप्ट:** पेट्रियार्की को एक "छिपी हुई बीमारी" के तौर पर पहचाना जाता है जो पॉलिसी बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर रही है। मौजूदा फ्रेमवर्क अक्सर महिलाओं को अलग-अलग हेल्थ ज़रूरतों वाली बराबर नागरिक मानने के बजाय उनके रिप्रोडक्टिव रोल तक सीमित कर देता है।
- **मुख्य तर्क:** ऊपर से नीचे के पुरुष-प्रधान मॉडल से **महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन में बदलाव के बिना सच्ची स्वास्थ्य समानता हासिल करना असंभव है** ।

हेल्थ इंडिकेटर: डेटा और स्टैट्स

सूचक	वर्तमान स्थिति
जन्म के समय लिंग अनुपात	**917** (प्राकृतिक आनुवंशिक प्रवृत्ति **950 है**)
पोषण संकट	**60%** महिलाएं (प्रजनन आयु) एनीमिया से पीड़ित हैं; **40%** का BMI सब-ऑप्टिमल है
मातृ मृत्यु दर	**प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 97** (2018–20)
बाल विवाह	**23%** महिलाओं (20-24 आयु वर्ग) की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई
आधारभूत संरचना	**81%** लेबर रूम में अच्छे और काम करने वाले टॉयलेट नहीं हैं

पितृसत्ता एक संरचनात्मक बाधा के रूप में

- **रिप्रोडक्टिव रिडक्शनिज़्म:** हेल्थ पॉलिसी लगभग पूरी तरह से महिलाओं पर "माँ" के तौर पर फोकस करती हैं, और प्रेग्नेंसी और बच्चे के जन्म के अलावा हेल्थकेयर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ करती हैं।
- **"पंच पति" सिस्टम:** लोकल गवर्नेंस में, पति अक्सर चुनी हुई महिला सरपंचों की कानूनी ताकतों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, जिससे हेल्थ प्लानिंग में महिलाओं की आवाज़ दब जाती है।
- **खराब हालात को नॉर्मल बनाना:** हेल्थ सुविधाओं में बेसिक साफ़-सफ़ाई और प्राइवेसी की कमी, महिलाओं की इज़्ज़त के लिए सिस्टम में अनदेखी को दिखाता है।
- **लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल दिक्कतें:** महिलाओं को ज़्यादा "ऑपर्च्युनिटी कॉस्ट" (बिना पैसे के देखभाल का काम) और फाइनेंशियल आज़ादी की कमी (अलग बैंक

अकाउंट) का सामना करना पड़ता है, जिससे समय पर मेडिकल मदद नहीं मिल पाती।

महिलाएं: अदृश्य स्तंभ

सिस्टम की रीढ़ होने के बावजूद, महिलाओं को अक्सर लीडरशिप से बाहर रखा जाता है:

- **फ्रंटलाइन वर्कर्स:** भारत **10 लाख ASHA** और **28 लाख आंगनवाड़ी** वर्कर्स पर निर्भर है, फिर भी उन्हें "ऑनरेरी" कैटेगरी में रखा गया है, जिससे उन्हें फॉर्मल लेबर राइट्स और सही सैलरी नहीं मिलती।
- **नर्सिंग बैकबोन:** नर्सिंग और ANM कैडर में महिलाओं का दबदबा है, लेकिन उन्हें ऊपर जाने के लिए कम मौके मिलते हैं और काम करने के हालात भी खराब होते हैं।
- **लीडरशिप की कमी:** 2026 तक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) में सीनियर सलाहकार लेवल पर पुरुषों का दबदबा बना हुआ है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **रिज़र्व्ड लीडरशिप:** MoHFW में सीनियर हेल्थ गवर्नेंस पदों पर महिलाओं के लिए खास रिज़र्वेशन लागू करें ताकि जेंडर-सेंसिटिव पॉलिसी-मेकिंग पक्की हो सके।
- **वर्कफोर्स को फॉर्मल बनाना:** ASHA और आंगनवाड़ी वर्कर्स को "ऑनरेरी" स्टेटस से सोशल सिक्योरिटी और गुज़ारे लायक सैलरी के साथ **फॉर्मल एम्प्लॉई बनाना।**
- **डीसेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग:** गांव लेवल पर महिलाओं को सोशल ऑडिट और लोकल हेल्थ प्लानिंग को लीड करने के लिए मज़बूत बनाना।
- **यूनिवर्सल मैटरनिटी सपोर्ट:** PMMVY (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) में सुधार करके सभी मांओं को शामिल किया जाए, चाहे उनकी उम्र या बच्चों की संख्या कुछ भी हो, और असली वेतन का मुआवज़ा दिया जाए।
- **डिग्निफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर:** हर पब्लिक हेल्थ सेंटर में प्राइवेट, काम करने वाले टॉयलेट और जेंडर-सेंसिटिव सुविधाएं ज़रूरी करें।

निष्कर्ष

भारत की महिलाओं की हेल्थ, उनकी ज़िंदगी को चलाने वाले पावर स्ट्रक्चर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। सिर्फ़ **जेंडर बजटिंग से आगे बढ़कर हेल्थ रिसोर्स पर** असल में **महिलाओं का कंट्रोल होना** ज़रूरी है। जब महिलाएं लीड करेंगी, तभी हेल्थकेयर सिस्टम उन्हें रिप्रोडक्टिव वेसल के तौर पर देखने के बजाय उन्हें बराबर नागरिक के तौर पर वैल्यू देगा।

एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम)

प्रसंग

1976 की इमरजेंसी के दौरान असल में लागू हुआ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) भारत की घरेलू राजनीति में विदेशी दखल को रोकने के लिए बनाया गया था। पिछले कुछ दशकों में, इस एक्ट में बड़े बदलाव हुए हैं, खासकर **2010 और 2020 में** , ताकि नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन (NGOs) के आसपास रेगुलेटरी जाल को कड़ा किया जा सके और यह पक्का किया जा सके कि विदेशी फंड देश के हितों के हिसाब से हों।

नए प्रस्तावित फ्रेमवर्क (2026) के बारे में

एसेट सीज़र प्रोविज़न: एक बहुत बहस वाला नया अमेंडमेंट बताता है कि सरकार डी-रजिस्टर्ड एंटिटीज़ को कैसे हैंडल करती है, इसमें एक ज़रूरी बदलाव होगा। अगर किसी NGO का FCRA लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, तो **विदेशी फंड से बनाए गए एसेट** (जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, या ऑफिस बिल्डिंग) को तुरंत सीज़ कर लिया जाएगा और **सरकार की तरफ से तय अथॉरिटी उसे मैनेज करेगी** ।

संशोधनों के उद्देश्य:

- **नेशनल सिक्योरिटी:** "एंटी-इंडिया" एक्टिविटीज़ पर रोक लगाना और फंड को रेडिकलाइज़ेशन या सोशल अशांति की तरफ जाने से रोकना।
- **जवाबदेही:** यह पक्का करना कि विदेशी पैसे से बनी संपत्ति जनता की सेवा करती रहे, भले ही पेरेंट ऑर्गनाइज़ेशन कानून तोड़ता हो।
- **ट्रांसपेरेंसी:** उन "शेल" NGOs को खत्म करना जो बिना इजाज़त विदेशी असर के लिए काम करते हैं।

सख्त नियामक परिदृश्य

मौजूदा और प्रस्तावित नियमों के तहत, NGOs को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कम्प्लायंस माहौल में काम करना होगा:

- **लाइसेंस वैलिडिटी:** रजिस्ट्रेशन **5 साल के लिए वैलिड होते हैं** । अगर नियमों के उल्लंघन की वजह से लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, तो कंपनी **3 साल के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती** ।
- **सेंट्रलाइज़्ड बैंकिंग: सभी विदेशी योगदान सिर्फ़ स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI), नई दिल्ली मेन ब्रांच में** एक तय "FCRA अकाउंट" में ही मिलने चाहिए ।
- **एडमिनिस्ट्रेटिव कैप:** विदेशी फंड का वह हिस्सा जो "एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों" (सैलरी, किराया, यूटिलिटीज़) के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे **50% से घटाकर 20% कर दिया गया** , जिससे डायरेक्ट फील्ड प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा फंड्स इस्तेमाल करने पड़े।
- **अनिवार्य पहचान:** गुमनाम कंट्रोल को रोकने के लिए सभी ऑफिस बियरर, डायरेक्टर और खास लोगों के लिए **आधार वैलिडेशन ज़रूरी है।**

मुख्य चिंताएँ और आलोचनाएँ

बदलते FCRA फ्रेमवर्क ने सिविल सोसाइटी में बड़ी बहस छेड़ दी है:

- **सही प्रोसेस:** आलोचकों का कहना है कि कोर्ट के कैंसलेशन का रिव्यू करने से पहले तुरंत एसेट ज़ब्त

करने से NGOs को **अपनी बात कहने का अधिकार नहीं मिलता** और प्रोसेस की गलतियों की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के हमेशा के लिए नुकसान का खतरा रहता है।

- **ऑपरेशनल स्ट्रेन:** एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च पर 20% की लिमिट की वजह से रिसर्च-बेस्ड या एडवोकेसी NGOs के लिए हाई-क्वालिटी प्रोफेशनल स्टाफ को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
- **"चिलिंग इफ़ेक्ट":** कड़ी सज़ा और नियमों का पालन करने की मुश्किल के डर से इंटरनेशनल डोनर और ज़मीनी स्तर के सही संगठन सेंसिटिव सेक्टर में काम करने से हतोत्साहित हो सकते हैं।

महत्व

FCRA में बदलाव **"रेगुलेटेड फिलैंथ्रॉपी" की तरफ एक बदलाव दिखाते हैं।** पैसे के फ्लो को सेंट्रलाइज़ करके और इसे व्यक्तिगत पहचान (आधार) से जोड़कर, सरकार का मकसद एक डिजिटल ऑडिट ट्रेल बनाना है, जिससे विदेशी फंड का इस्तेमाल उन मकसदों के लिए करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा जो राज्य की निगरानी से छिपे हुए हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्टैंडर्ड अपील:** FCRA विवादों की सुनवाई के लिए एक खास फास्ट-ट्रैक ट्रिब्यूनल बनाने से राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों और कानूनी मदद के अधिकार के बीच बैलेंस बनाया जा सकता है।
- **"एडमिनिस्ट्रेटिव" परिभाषाओं में स्पष्टता:** "प्रोग्रामेटिक" बनाम "एडमिनिस्ट्रेटिव" लागत क्या होती है, इस पर साफ़ गाइडलाइन देना, ताकि NGOs को उनके काम में रुकावट डाले बिना पालन करने में मदद मिल सके।
- **डिजिटल कंप्लायंस पोर्टल:** इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारियों की अपनी मर्ज़ी से काम करने की शक्ति को कम करने के लिए एक ऑटोमेटेड, ट्रांसपेरेंट डैशबोर्ड के ज़रिए रिन्यूअल प्रोसेस को और आसान बनाना।

निष्कर्ष

FCRA भारत के सॉवरेन स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए एक ज़रूरी टूल बना हुआ है। हालांकि 2026 के प्रस्तावों का मकसद विदेशी फंड वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी कंट्रोल को मज़बूत करना है, लेकिन चुनौती यह पक्का करना है कि ये नियम अनजाने में भारतीय नॉन-प्रॉफिट सेक्टर द्वारा किए जा रहे असली सोशल वेलफेयर के काम को खत्म न कर दें।

चुनाव याचिकाएँ

प्रसंग

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक बार जब **इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI)** किसी चुनाव के नतीजे घोषित कर देता है, तो उस खास बदलाव में उसकी संवैधानिक भूमिका खत्म हो जाती है। चुनाव के नतीजे की वैधता को लेकर बाद में किसी भी चुनौती का निपटारा एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए किया जाना चाहिए, जिसे **इलेक्शन पिटीशन कहा जाता है** ।

चुनाव याचिकाओं के बारे में

परिभाषा: इलेक्शन पिटीशन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल पार्लियामेंट या राज्य विधानसभा के लिए किसी उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने के लिए किया जाता है। यह चुनाव के बाद सुधार के तरीके के तौर पर काम करता है ताकि यह पक्का किया जा सके कि लोगों का जनादेश सही और कानूनी तरीकों से मिला है।

संवैधानिक और कानूनी आधार:

- **आर्टिकल 329(b):** यह चुनावी मामलों में कोर्ट के दखल पर रोक लगाता है, *सिवाय* कानून के तहत दी गई अथॉरिटी के सामने दी गई इलेक्शन पिटीशन के।
- **रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट (RPA), 1951:** इन पिटीशन को फाइल करने और उन पर सुनवाई के लिए डिटेल्ड कानूनी फ्रेमवर्क देता है।

प्रक्रियात्मक ढांचा

क्षेत्राधिकार:

- **ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन:** चुनाव याचिकाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं की जा सकतीं। उन्हें खास तौर पर उस राज्य के **हाई कोर्ट में फाइल किया जाना चाहिए** जहां चुनाव क्षेत्र है।
- **अपील का अधिकार क्षेत्र:** हाई कोर्ट के किसी भी आदेश के खिलाफ **सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है** ।

समयरेखा:

- **फाइलिंग विंडो:** पिटीशन रिजल्ट घोषित होने की तारीख से **45 दिनों के अंदर फाइल करनी होगी।**
- **परीक्षण अवधि:** आरपीए, 1951 की धारा 86 (7) के अनुसार उच्च न्यायालय को प्रस्तुति की तिथि से **छह महीने के भीतर परीक्षण समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।**

चुनाव को चुनौती देने के आधार

अगर हाई कोर्ट को इनमें से कोई भी बात पता चलती है, तो चुनाव रद्द किया जा सकता है:

- **अयोग्य उम्मीदवार:** चुनाव की तारीख पर चुना गया उम्मीदवार योग्य नहीं था या अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
- **भ्रष्ट काम:** रिश्वत, गलत असर, या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का सबूत (जैसे, RPA का सेक्शन 123)।
- **गलत काम:** किसी भी नॉमिनेशन पेपर को गलत तरीके से स्वीकार या अस्वीकार करना।

- **प्रोसेस में गड़बड़ी:** गिनती में गलतियाँ, EVM में खराबी (अगर यह साबित हो जाए कि इससे नतीजे पर असर पड़ता है), या संविधान या RPA का पालन न करना।

ऐतिहासिक मिसाल: 1975 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला इस तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अनुप्रयोग **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण मामला था** ।

- **मामला:** राज नारायण ने प्रधानमंत्री **इंदिरा गांधी की** 1971 में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से जीत को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की।
- **फैसला: जून 1975 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट** के जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा ने चुनावी गड़बड़ी (चुनावी प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल) के आधार पर चुनाव रद्द कर दिया।
- **नतीजा:** इस फैसले के कुछ ही समय बाद भारत में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई।

महत्व

- **ईमानदारी बनाए रखता है:** यह पक्का करता है कि उम्मीदवार गैर-कानूनी कामों या "मजबूत और पैसे की ताकत" से फ़ायदा न उठाएँ।
- **जवाबदेही:** चुने हुए प्रतिनिधियों को पद संभालने के बाद भी कानून के शासन के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है।
- **ज्यूडिशियल ओवरसाइट:** एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन पर नज़र रखता है, यह पक्का करता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन का "बेसिक स्ट्रक्चर" बना रहे।

निष्कर्ष

इलेक्शन पिटीशन बैलेट की पवित्रता के लिए बचाव की आखिरी लाइन का काम करती हैं। विवाद को पॉलिटिकल एरिया से हाई कोर्ट में ट्रांसफर करके, इंडियन लीगल सिस्टम यह पक्का करता है कि "लोगों की इच्छा" सिर्फ़ बहुमत की गिनती नहीं है, बल्कि कानूनी तौर पर वैलिड और नैतिक रूप से सही मैंडेट है।

E20 पेट्रोल

प्रसंग

1 अप्रैल, 2025 से , भारत सरकार ने ऑफिशियली देश भर में सभी रिटेल आउटलेट्स पर स्टैंडर्ड फ्यूल के तौर पर **E20 पेट्रोल को अपनाने को ज़रूरी कर दिया है। यह कदम नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में एक पक्का कदम है** , जो एनर्जी के माहौल को घरेलू सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जा रहा है।

E20 पेट्रोल के बारे में

परिभाषा:

20% इथेनॉल और **80% फॉसिल-बेस्ड पेट्रोल** का मिश्रण है । इस्तेमाल किया जाने वाला इथेनॉल एक एनहाइड्रस एथिल अल्कोहल (C_2H_5OH) है जो रिन्यूएबल बायोमास से **बायोफ्यूल के रूप में बनाया जाता है।**

विनियामक निरीक्षण:

इस रोलआउट की निगरानी **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) करता है** , और इसके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स **ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) तय करते हैं** ।

उत्पादन स्रोत:

E20 मैंडेट के लिए इथेनॉल मुख्य रूप से इनसे मिलता है:

- **गन्ना:** गुड़, गन्ने का रस और सिरप।
- **अनाज:** मक्का (मक्का), खराब अनाज (इंसानों के खाने लायक नहीं), और FCI स्टॉक से बचा हुआ चावल।

मुख्य उद्देश्य

- **एनर्जी सिक्योरिटी:** कच्चे तेल के इंपोर्ट में कटौती करके फॉरेन एक्सचेंज के बड़े आउटफ्लो को कम करना।
- **आत्मनिर्भर भारत:** घरेलू अर्थव्यवस्था को ग्लोबल तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल सप्लाई में रुकावटों से बचाना।
- **खेती में मदद:** इथेनॉल बनाने वाली फसलों की लगातार मांग बनाकर किसानों को कमाई का एक और ज़रिया देना।
- **डीकार्बोनाइजेशन:** ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कार्बन इंटेंसिटी को कम करना।

तकनीकी विशेषताओं

विशेषता	विवरण
ऑक्टेन रेटिंग	रेगुलर पेट्रोल (लगभग **95 RON**) से ज़्यादा। इससे "इंजन नॉकिंग" को रोकने में मदद मिलती है और इंजन आसानी से जलता है।
अनुकूलता	**E20-कम्प्लायंट गाड़ियां:** 2023 के बाद बनने वाली ज़्यादातर गाड़ियां इथेनॉल-कम्पैटिबल मटीरियल (होज़, सील और गैस्केट) से डिज़ाइन की जाती हैं।
विरासत प्रभाव	पुरानी गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी कमी (3–5%) आ सकती है और नॉन-कम्पैटिबल रबर या प्लास्टिक पार्ट्स पर लंबे समय तक घिसाव हो सकता है।
उत्सर्जन	इथेनॉल ऑक्सीजनेटेड होता है, जिससे पूरी तरह से कंबशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोकार्बन (HC) एमिशन में कमी आती है।

महत्व

- **आर्थिक असर:** 20% ब्लेंडिंग पर जाने से भारत को सालाना तेल इंपोर्ट बिल में अरबों डॉलर की बचत होने का अनुमान है।

- **पर्यावरण के फ़ायदे:** पौधों से मिलने वाले फ़्यूल के तौर पर, जलने के दौरान निकलने वाली CO_2 की भरपाई कुछ हद तक फसलों द्वारा उनके बढ़ने के दौरान सोखे गए CO_2 से हो जाती है, जिससे **नेट-ज़ीरो की ओर बढ़ा जाता है।** प्रक्षेप पथ .
- **ग्रामीण विकास:** ग्रामीण इलाकों में बायोरिफाइनरी लगाने को बढ़ावा देता है, जिससे लोकल रोज़गार और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पैदा होती है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- **फीडस्टॉक डायवर्सिफिकेशन:** गन्ने जैसी ज़्यादा पानी वाली फसलों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने से वॉटर टेबल पर दबाव पड़ सकता है; इसलिए, खेती के कचरे (पराली/पराली) से **2G (सेकंड जेनरेशन) इथेनॉल बनाने की तरफ बढ़ना ज़रूरी है।**
- **इंजन रेट्रोफिटिंग:** पुरानी गाड़ी के मालिकों को ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड अपनाने के लिए कन्वर्ज़न किट की उपलब्धता या इंसेंटिव देना।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग:** यह पक्का करना कि सभी पेट्रोल पंपों पर स्टोरेज टैंक और डिस्पेंसिंग यूनिट को इथेनॉल के हाइग्रोस्कोपिक (पानी सोखने वाले) नेचर को संभालने के लिए रीकैलिब्रेट किया जाए।

निष्कर्ष

E20 को अपनाना भारत की एनर्जी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। खेती की पैदावार को ऑटोमोटिव ज़रूरतों के साथ जोड़कर, भारत कामयाबी से एक सर्कुलर इकॉनमी बना रहा है जो एनवायरनमेंटल हेल्थ, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी और किसानों की खुशहाली को बढ़ावा देती है।

पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG)

प्रसंग

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय (MoPNG) ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक हाई-लेवल रिव्यू किया । सरकार गैस-बेस्ड इकॉनमी की ओर बढ़ते हुए शहरी एनर्जी की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है।

पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के बारे में

परिभाषा:

PNG एक साफ़, सुरक्षित और अच्छा फ्यूल है जिसमें ज़्यादातर **मीथेन (CH_4) होता** है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) के उलट, जिसे सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, PNG को सीधे कंज्यूमर्स को एक एडवांस्ड अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क के ज़रिए सप्लाई किया जाता है। यह घरेलू किचन, कमर्शियल जगहों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सर्विस देता है।

सप्लाई चेन मैकेनिज्म:

1. **सोर्स और ट्रांसमिशन:** नैचुरल गैस घरेलू कुओं से ली जाती है या LNG (लिक्विफाइड नैचुरल गैस) के रूप में इम्पोर्ट की जाती है और हाई-प्रेशर **ट्रंक पाइपलाइन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट की जाती है** ।
2. **सिटी गेट स्टेशन (CGS):** CGD कंपनियों को इन स्टेशनों पर गैस मिलती है, जहाँ शहरी सुरक्षा के लिए प्रेशर को रेगुलेट और कम किया जाता है।
3. **लोकल डिस्ट्रीब्यूशन:** गैस **स्टील पाइप के प्राइमरी नेटवर्क से होकर जाती है, जिसके बाद** शहर की सड़कों के नीचे **पॉलीइथिलीन (PE) पाइप** का सेकेंडरी नेटवर्क बिछाया जाता है।
4. **लास्ट-माइल कनेक्शन:** अलग-अलग कनेक्शन छोटे डायमीटर वाले **गैल्वेनाइज्ड आयरन (GI)** या कॉपर पाइप से दिए जाते हैं, जो कंज्यूमर की जगह पर लगे मीटर पर खत्म होते हैं।
5. **गति शक्ति इंटीग्रेशन:** सड़क के काम के दौरान नुकसान को रोकने के लिए, पाइपलाइन नेटवर्क को अब सिंक्रोनाइज़्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए **PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल पर मैप किया गया है।**

विशेषता	फ़ायदा
निरंतर आपूर्ति	24/7 उपलब्ध; सिलेंडर डिलीवरी के लिए बुकिंग या इंतज़ार करने की ज़रूरत खत्म।
सुरक्षा प्रोफ़ाइल	नेचुरल गैस **हवा से हल्की होती है** । लीक होने पर, यह फर्श पर जमा होने के बजाय ऊपर की ओर फैल जाती है, जिससे धमाके का खतरा कम हो जाता है।
स्थान दक्षता	किचन या स्टोरेज की जगह को वापस लेता है जो पहले भारी LPG सिलेंडर से भरी हुई थी।
आर्थिक मूल्य	कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और ज़ीरो ट्रांज़िट लॉस/चोरी इसे घरों के लिए ज़्यादा कॉस्ट-इफेक्टिव बनाते हैं।
बिलिंग सटीकता	पोस्ट-पेड मीटरिंग यह पक्का करती है कि कस्टमर सिर्फ़ इस्तेमाल किए गए वॉल्यूम के लिए ही पेमेंट करें, जैसे बिजली या पानी।

मुख्य विशेषताएँ और लाभ

महत्व

- **एनर्जी सिक्योरिटी:** PNG को बढ़ाने से बोतलबंद LPG से जुड़ा लॉजिस्टिक बोझ और इम्पोर्ट पर निर्भरता कम होती है।
- **पर्यावरण पर असर:** एक साफ़ जलने वाले फ्यूल के तौर पर, PNG कोयले या तेल के मुकाबले काफ़ी कम कार्बन एमिशन और पार्टिकुलेट मैटर पैदा करता है, जिससे शहरी हवा के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है।

- **ईज़ ऑफ़ लिविंग:** शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाता है और फ्यूल डिलीवरी को ऑटोमेट करके घरेलू मैनेजमेंट को आसान बनाता है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- **इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट:** पुराने शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में अंडरग्राउंड पाइप बिछाने के लिए शुरू में ज़्यादा कैपिटल खर्च की ज़रूरत होती है।
- **रेगुलेटरी क्लीयरेंस:** अलग-अलग म्युनिसिपल और स्टेट बॉडीज़ में "राइट ऑफ़ वे" (RoW) परमिशन को आसान बनाना एक रुकावट बनी हुई है।
- **इंटर-यूटिलिटी कोऑर्डिनेशन:** दूसरी यूटिलिटी रिपेयर (पानी/फाइबर-ऑप्टिक) के दौरान गलती से पाइपलाइन टूटने से बचाने के लिए **PM गति शक्ति पोर्टल** के साथ लगातार इंटीग्रेशन ज़रूरी है।

निष्कर्ष

PNG नेटवर्क का तेज़ी से बढ़ना भारत के एनर्जी ट्रांज़िशन का एक ज़रूरी हिस्सा है। "बॉटल्ड" से "पाइप्ड" एनर्जी पर शिफ्ट करके, देश न सिर्फ़ कस्टमर की सुविधा को बेहतर बना रहा है, बल्कि एक ज़्यादा मज़बूत और एनवायरनमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल नेशनल एनर्जी ग्रिड भी बना रहा है।

परमाणु संलयन

प्रसंग

नेचर एनर्जी में छपे एक क्रिटिकल एनालिसिस में चेतावनी दी गई है कि **न्यूक्लियर फ्यूजन** के लिए मौजूदा इकोनॉमिक अनुमान बहुत ज़्यादा आशावादी हो सकते हैं। हालांकि फ्यूजन क्लीन एनर्जी के लिए एक बदलाव लाने वाला "होली ग्रेल" बना हुआ है, रिसर्चर्स का तर्क है कि एक्सपेरिमेंटल सफलता से कमर्शियल वायबिलिटी तक के बदलाव में पहले के अनुमान से ज़्यादा फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल रुकावटें आती हैं।

परमाणु संलयन के बारे में

परिभाषा:

न्यूक्लियर फ्यूजन वह बुनियादी प्रोसेस है जिससे सूरज और तारों को पावर मिलती है। इसमें दो हल्के एटॉमिक न्यूक्लिआई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिससे इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। फिशन के उलट, फ्यूजन कम से कम एनवायरनमेंटल असर के साथ लगभग अनलिमिटेड एनर्जी का वादा करता है।

यांत्रिकी:

1. **प्लाज़्मा स्टेट:** हाइड्रोजन आइसोटोप (**ड्यूटेरियम और ट्रिटियम**) को बहुत ज़्यादा तापमान (100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा) पर गर्म किया जाता है, जिससे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लाज़्मा बनता है।
2. **रिपल्शन पर काबू पाना:** इन तापमानों पर, न्यूक्लिआई को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है कि वे **कूलम्ब बैरियर** , जो पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच नेचुरल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, को पार कर सकें।
3. **स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स:** जब न्यूक्लिआई काफ़ी पास होते हैं, तो **स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स** उन्हें एक साथ बांध देता है, जिससे एक भारी हीलियम न्यूक्लियस और एक भटका हुआ न्यूट्रॉन बनता है।
4. **E=mc^2:** बनने वाले न्यूक्लियस का मास ओरिजिनल न्यूक्लियस से थोड़ा कम होता है। यह "मिसिंग मास" आइंस्टीन के मास-एनर्जी इक्विवेलेंस फ़ॉर्मूला के अनुसार एनर्जी में बदल जाता है।
5. **हीट एक्सट्रैक्शन:** एक रिएक्टर में, हाई-एनर्जी न्यूट्रॉन रिएक्टर की दीवारों (ब्लैंकेट) से टकराते हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है जिसका इस्तेमाल बिजली के लिए स्टीम टर्बाइन चलाने में होता है।

तुलना: फ़्यूज़न बनाम फ़िशन

विशेषता	परमाणु संलयन	परमाणु विखंडन
प्रक्रिया	हल्के न्यूक्लिआई (ड्यूटेरियम/ट्रिटियम) को जोड़ना।	भारी न्यूक्लियस (यूरेनियम/प्लूटोनियम) को तोड़ना।
ईंधन की प्रचुरता	लगभग कभी खत्म न होने वाला (समुद्री पानी में पाया जाता है)।	मिनरल रिसोर्स सीमित हैं; माइनिंग की ज़रूरत है।
ऊर्जा उपज	प्रति यूनिट मास काफ़ी ज़्यादा है।	ज़्यादा, लेकिन फ्यूजन से कम।
रेडियोधर्मी कचरे	कोई लंबे समय तक चलने वाला हाई-लेवल वेस्ट (हीलियम बायप्रोडक्ट) नहीं।	हाई-लेवल वेस्ट हज़ारों सालों से एक्टिव है।
सुरक्षा	मेल्टडाउन का कोई रिस्क नहीं; डिस्टर्ब होने पर रिएक्शन रुक जाता है।	कूलिंग/कंट्रोल फेल होने पर मेल्टडाउन का खतरा।
परिपक्वता	एक्सपेरिमेंटल (जैसे, **ITER** प्रोजेक्ट)।	कमर्शियली प्रूवन और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।

RACE IAS

महत्वपूर्ण सीमाएँ और आर्थिक चुनौतियाँ

हाल ही में *आई नेचर एनर्जी* रिपोर्ट बताती है कि साइंटिफिक सफलताओं के बावजूद फ्यूजन पावर अभी भी "30 साल दूर" क्यों है:

- **बहुत ज़्यादा मुश्किल:** फ्यूजन रिएक्टर बनाना फिशन प्लांट के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उन्हें बड़े सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट और मुश्किल कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके तारे जैसे हालात बनाए रखने की ज़रूरत होती है।
- **पैरासिटिक पावर लॉस:** एक फ्यूजन प्लांट को सिर्फ़ अपने ऑपरेशन (प्लाज़्मा को गर्म करना और क्रायोजेनिक्स चलाना) के लिए सैकड़ों मेगावाट बिजली बनानी पड़ती है, जिससे "नेट एनर्जी गेन" की लिमिट तक पहुंचना आर्थिक रूप से मुश्किल हो जाता है।
- **स्ट्रक्चरल मज़बूती: टोकामक्स** जैसे डिवाइस में "प्याज जैसी" लेयर्स लगी होती हैं। एक अंदरूनी कंपोनेंट को बदलने या रिपेयर करने के लिए अक्सर उसे पूरी तरह से तोड़ना पड़ता है, जिससे मेंटेनेंस का खर्च ज़्यादा होता है।
- **कस्टमाइज़ेशन बनाम स्केलिंग:** मॉड्यूलर फिशन रिएक्टर के उलट, फ्यूजन सुविधाओं को लोकल भूकंपीय हालात और बहुत ज़्यादा पानी ठंडा करने की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कस्टम-बिल्ट किया जाना चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर बनने वाली टेक्नोलॉजी में आम तौर पर देखी जाने वाली लागत में कमी को रोका जा सके।

निष्कर्ष

हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन कार्बन-फ्री भविष्य का आखिरी लक्ष्य बना हुआ है, लेकिन कमर्शियलाइज़ेशन के रास्ते के लिए सिर्फ साइंटिफिक "इग्निशन" से ज़्यादा की ज़रूरत है। ज़्यादा कैपिटल खर्च और मेंटेनेंस की मुश्किलों की **आर्थिक दिक्कतों को दूर करना** , फ्यूजन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज की घटती लागत से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026

प्रसंग

भारतीय संसद ने **जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2026 पास कर दिया है** । यह अहम कानून सरकार के "मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" एजेंडा का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद **छोटे, टेक्निकल और प्रोसिजरल अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है** ताकि राज्य, उसके नागरिकों और बिज़नेस कम्युनिटी के बीच भरोसे का रिश्ता मज़बूत हो सके।

विधेयक के बारे में

पृष्ठभूमि:

2026 का बिल, शुरुआती 2025 वर्शन का बड़ा अगला वर्शन है। **श्री तेजस्वी सूर्या** की अध्यक्षता वाली एक **सेलेक्ट कमिटी के पूरी तरह रिव्यू के बाद** , इसका दायरा 17 से बढ़ाकर **79 सेंट्रल एक्ट कर दिया गया** , जिन्हें 23 मंत्रालय मैनेज करते हैं। यह सुधार 2023 के ओरिजिनल जन विश्वास एक्ट की नींव पर बना है।

उद्देश्य:

- **डीक्रिमिनलाइज़ेशन:** छोटी-मोटी गलतियों से "क्रिमिनल स्टिग्मा" हटाना, जिनसे पब्लिक को नुकसान न हो।
- **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (EoDB):** टेक्निकल गलतियों के लिए जेल जाने के डर को खत्म करके MSMEs और एंटरप्रेन्योर्स पर कम्प्लायंस का बोझ कम करना।
- **ईज़ ऑफ़ लिविंग:** म्युनिसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव कानूनों के साथ नागरिकों के लिए रोज़ाना की बातचीत को आसान बनाना।
- **न्यायिक कामकाज में रुकावट:** छोटे-मोटे झगड़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले के लिए भेजकर अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- **बड़े सुधार: 79 एक्ट्स के 784 प्रोविज़न्स में** बदलाव , जिससे **1,000** से ज़्यादा अपराधों को रैशनलाइज़ किया गया ।
- **सिविल दंड बनाम कारावास:** जेल की अवधि को मौद्रिक दंड से बदल देता है।
  - *उदाहरण:* **ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940** (नकली चीज़ों के लिए) के तहत उल्लंघन पर अब जेल की सज़ा के बजाय ₹1 लाख या सामान की कीमत का तीन गुना सिविल पेनल्टी लगेगी।
- **श्रेणीबद्ध दण्ड प्रणाली:**
  - **सलाह और चेतावनी: अप्रेंटिस एक्ट, 1961** जैसे कानूनों के तहत , पहली बार अपराध करने वालों को सलाह दी जाती है; दूसरी बार अपराध करने वालों को सज़ा लगने से पहले चेतावनी दी जाती है।
  - **सुधार नोटिस: लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009** के तहत , बिज़नेस को जुर्माना भरने से पहले गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है।
- **महंगाई से जुड़े जुर्माने:** रोकथाम बनाए रखने के लिए, जुर्माने और पेनल्टी हर तीन साल में अपने आप मिनिमम रकम का **10% बढ़ जाएंगे।**
- **नया न्याय निर्णय तंत्र:**
  - पूछताछ को संभालने के लिए **एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स** की नियुक्ति को ज़रूरी बनाया गया है ।
  - **अपील अथॉरिटीज़** इसलिए बनाई जाती हैं ताकि छोटे-मोटे मामलों के लिए पारंपरिक अदालतों से

बचकर, एक निष्पक्ष और समय पर अंदरूनी अपील प्रोसेस पक्का किया जा सके।

महत्व

- **प्रोपोर्शनेट जस्टिस:** यह पक्का करता है कि प्रोसेस में हुई गलतियों और गंभीर क्रिमिनल इरादे के बीच फर्क करके "सज़ा जुर्म के हिसाब से हो"।
- **पुराने कानूनों को मॉडर्न बनाना:** फालतू नियमों को खत्म करना, जैसे दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत "गलत फायर अलार्म" देना या खास म्युनिसिपल एक्ट के तहत जन्म/मृत्यु की रिपोर्ट न करना, जहां दूसरे नए कानून पहले से लागू हैं।
- **आर्थिक विकास: 717 प्रावधानों** को डीक्रिमिनलाइज़ करके , यह एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ स्टार्टअप और बिज़नेस "इंस्पेक्टर राज" के लगातार खतरे के बिना काम कर सकते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डिजिटल इंटीग्रेशन:** एक **सेंट्रलाइज़्ड रेगुलेटरी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना** , जो सभी मंत्रालयों में कम्प्लायंस और हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को निष्पक्ष "एडजुडिकेटिंग ऑफिसर" के तौर पर काम करने की ट्रेनिंग देना, ताकि यह पक्का हो सके कि नए सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेटिव दखल न हो।
- **लगातार रिव्यू:** टेक्नोलॉजी और समाज के बदलने के साथ-साथ पुराने हो चुके नियमों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए समय-समय पर रिव्यू का एक सिलसिला बनाना।

निष्कर्ष

जन **विश्वास बिल, 2026** , भारतीय कानून में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जो शक के कल्चर से भरोसे के कल्चर की ओर बढ़ रहा है। छोटे-मोटे मामलों के लिए "जेल-फर्स्ट" अप्रोच को "कम्प्लायंस-फर्स्ट" मॉडल से बदलकर, सरकार का मकसद भारत को बिजनेस के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है, साथ ही अपने नागरिकों की ज़िंदगी की क्वालिटी में भी काफी सुधार करना है।

कर साथी

प्रसंग

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने **'कर साथी' लॉन्च किया है** , जो एक एडवांस्ड AI-इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पहल का मकसद फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाना और टैक्सपेयर्स को **नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025** के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ट्रांज़िशन के दौरान लगातार सपोर्ट देना है ।

समाचार के बारे में

कर साथी एक **AI-पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट** और चैटबॉट इकोसिस्टम है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है। यह डायरेक्ट टैक्स कम्प्लायंस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस पोर्टल के तौर पर काम करता है, जिसे सीधे नई ऑफिशियल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट में इंटीग्रेट किया गया है।

उद्देश्य:

- **आसान कम्प्लायंस:** आम नागरिक के लिए मुश्किल टैक्स कानूनों और रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाना।
- **लगातार उपलब्धता: 24/7 ऑटोमेटेड मदद** देना , जिससे शिकायत दूर करने में समय की कमी दूर हो।
- **विनियामक परिवर्तन: पुराने कानूनों से आयकर अधिनियम, 2025** के प्रावधानों में निर्बाध बदलाव की सुविधा प्रदान करना ।
- **टेक-ड्रिवन गवर्नेंस:** हाई-स्पीड, डेटा-ड्रिवन पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ज़रिए टैक्सपेयर के अनुभव को बेहतर बनाना।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **रियल-टाइम क्वेरी रिज़ॉल्यूशन:** ITR फ़ॉर्म, खास टैक्स प्रोविज़न, डिडक्शन और रिफ़ंड स्टेटस से जुड़े सवालों के लिए तुरंत सपोर्ट।
- **यूनिफाइड रिसोर्स हब:** फॉर्म, पेमेंट चालान, ई-वेरिफिकेशन टूल और FAQs को एक सिंगल, आसान इंटरफ़ेस में एक साथ लाता है।
- **यूज़र-सेंट्रिक डिज़ाइन:** टैक्स कम्प्लायंस से जुड़ी टेक्निकल रुकावटों को कम करने के लिए एक्सेसिबिलिटी को ऑप्टिमाइज़ किया गया है।

पहल का महत्व

- **बिचौलियों पर कम निर्भरता:** इससे टैक्सपेयर्स को रोज़ाना के सवालों और फाइलिंग को खुद से संभालने में मदद मिलती है, जिससे कम्प्लायंस की लागत कम हो सकती है।
- **डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन:** यह भारत के **AI-लेड गवर्नेंस के बड़े विज़न से मेल खाता है** , और टैक्स डिपार्टमेंट को सिर्फ़ एक एनफोर्समेंट एजेंसी के बजाय एक प्रोएक्टिव सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर दिखाता है।
- **एफिशिएंसी और एक्यूरेसी:** गाइडेड AI इंटरैक्शन के ज़रिए फॉर्म चुनने और शुरुआती डेटा एंट्री में मैनुअल गलतियों को कम करता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **डिजिटल लिटरेसी:** यह पक्का करना कि ग्रामीण या सेमी-अर्बन इलाकों में टैक्सपेयर्स AI-ड्रिवन इंटरफ़ेस को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें।

- **डेटा प्राइवेसी:** AI से प्रोसेस की गई सेंसिटिव फाइनेंशियल जानकारी को संभावित साइबर सिक्योरिटी खतरों से बचाना।
- **एल्गोरिदम की सटीकता:** AI के नॉलेज बेस को बनाए रखना ताकि यह बिना किसी गलती के नए कानूनी उदाहरणों और सर्कुलर को दिखाए।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **मल्टीलिंगुअल सपोर्ट:** पूरे भारत में सबको शामिल करने के लिए AI की भाषाई क्षमताओं को सभी तय भाषाओं को शामिल करने के लिए बढ़ाना।
- **थर्ड-पार्टी APIs के साथ इंटीग्रेशन:** डेटा की ऑटोमेटेड प्री-फिलिंग के लिए बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के साथ सिक्योर इंटीग्रेशन की सुविधा देता है।
- **कंटीन्यूअस फीडबैक लूप्स:** एक ऐसा सिस्टम लागू करना जहां एज-केस क्वेरीज़ को ह्यूमन रिव्यू के लिए फ्लैग किया जाता है ताकि समय के साथ AI के लर्निंग मॉडल को बेहतर बनाया जा सके।

निष्कर्ष

कर साथी का लॉन्च भारत में ज़्यादा "टैक्सपेयर-फ्रेंडली" इकोसिस्टम की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाता है। मुश्किल कानून और जनता की समझ के बीच के अंतर को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, सरकार का मकसद अपनी मर्ज़ी से पालन और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का कल्चर बढ़ाना है।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (MTP) और गर्भपात कानून

प्रसंग

भारत में अबॉर्शन के कानूनी और नैतिक माहौल में काफ़ी बदलाव आया है, जो एक सख़्त शर्तों वाली मेडिकल प्रक्रिया से बदलकर रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के एक जाने-माने पहलू में बदल गया है। हाल के न्यायिक दखल ने अबॉर्शन के अधिकारों और जीवन और सम्मान के बुनियादी अधिकार के बीच के संबंध को और मज़बूत किया है।

कानूनी ढांचा: 1971 से 2021 तक

भारत में अबॉर्शन का गवर्नेंस मुख्य रूप से **मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट से तय होता है** , जिसमें आज की सामाजिक हकीकत को दिखाने के लिए ज़रूरी अपडेट किए गए हैं।

- **MTP एक्ट, 1971: शुरू में खास हालात में 20 हफ़्ते** तक की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त थी , खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए (कंट्रासेप्टिव फेलियर का हवाला देते हुए) या माँ की सेहत की सुरक्षा के लिए।
- **एमटीपी (संशोधन) अधिनियम, 2021:**
  - **बढ़ी हुई लिमिट:** खास कैटेगरी की महिलाओं (जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर, माइनर और फिजिकल डिसेबिलिटी वाली महिलाएं शामिल हैं) के लिए प्रेग्नेंसी की ऊपरी लिमिट 20 से बढ़ाकर **24 हफ़्ते कर दी गई।**
  - **सबको शामिल करना:** इसमें साफ़ तौर पर **अविवाहित महिलाओं** और **ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल किया गया** , ताकि यह पक्का हो सके कि शादीशुदा होना अब कानूनी अबॉर्शन में रुकावट न बने।
  - **मेडिकल राय:** 20 हफ़्ते तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और 20-24 हफ़्ते तक दो प्रैक्टिशनर्स की राय ज़रूरी है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS):** जबकि MTP एक्ट एक कानूनी "सेफ हार्बर" देता है, BNS (IPC की जगह) का कहना है कि मिसकैरेज कराना तब तक एक क्रिमिनल ऑफेंस है जब तक कि महिला की जान बचाने के लिए नेकनीयती से ऐसा न किया जाए। यह डुअल स्ट्रक्चर **फीमेल फीटिसाइड** के लिए टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए है ।

गर्भपात एक मौलिक अधिकार है

2022 में एक बड़ा बदलाव आया , जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में एक प्रोग्रेसिव फैसला सुनाया।

- **आर्टिकल 21 (जीवन का अधिकार):** कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रजनन की पसंद और शारीरिक अखंडता का अधिकार, **जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है** ।
- **शारीरिक स्वायत्तता:** न्यायपालिका ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रेग्नेंसी को पूरा करने या खत्म करने का फ़ैसला पूरी तरह से व्यक्ति का है, चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं।
- **मेंटल हेल्थ:** अबॉर्शन के मामलों में "हेल्थ" की परिभाषा को बढ़ाकर **मेंटल हेल्थ को भी शामिल किया गया** , यह मानते हुए कि अनचाही प्रेग्नेंसी एक महिला की साइकोलॉजिकल सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।

वर्तमान बहस और नैतिक दुविधाएँ

कानूनी तरक्की के बावजूद, कई "ग्रे एरिया" पर कोर्ट और सिविल सोसाइटी में तीखी बहस जारी है।

1. 24 हफ़्ते से ज़्यादा समय के बाद गर्भपात:

- 24 हफ़्ते के बाद अबॉर्शन आम तौर पर मना है, जब तक कि **मेडिकल बोर्ड** यह सर्टिफ़ाई न कर दे कि भ्रूण में बड़ी गड़बड़ियों की वजह से या माँ की जान बचाने के लिए अबॉर्शन ज़रूरी है।

- बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या रेप का पता देर से चलने वाले मामलों में **33 हफ़्ते** तक अबॉर्शन की इजाज़त देने के लिए "एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन" का इस्तेमाल किया है ।

2. नाबालिग बलात्कार पीड़िताएं (पॉक्सो अधिनियम):

- **24 हफ़्ते की लिमिट को पूरी तरह हटाने** की मांग बढ़ रही है । एडवोकेट्स का तर्क है कि नाबालिगों को अक्सर जानकारी की कमी या डर की वजह से प्रेग्नेंसी का पता देर से चलता है या वे इसकी रिपोर्ट करती हैं, और उन्हें प्रेग्नेंसी को पूरा करने के लिए मजबूर करना "इंस्टीट्यूशनल क्रूरता" का एक रूप है।

3. "जीवन का अधिकार" बनाम "स्वायत्तता का अधिकार":

- **नैतिक संतुलन:** न्यायपालिका अक्सर **माँ के शारीरिक आज़ादी के अधिकार और अजन्मे भ्रूण के** संभावित अधिकारों के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष करती है , जब वह जीवित रहने की उम्र (आमतौर पर लगभग 24-26 हफ़्ते) के करीब पहुँचता है।
- **सामाजिक-आर्थिक क्षमता:** हाल की बहस इस बात पर भी फोकस है कि क्या बच्चे को पालने में महिला की **आर्थिक और सामाजिक अक्षमता,** देर से अबॉर्शन के लिए एक सही कानूनी आधार होनी चाहिए, खासकर तब जब सरकार बच्चे के भविष्य की भलाई की गारंटी नहीं दे सकती।

महत्व

- **जेंडर जस्टिस:** 2021 का अमेंडमेंट और 2022 का SC का फैसला इस पुरुष-प्रधान सोच को खत्म करता है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं।
- **सुरक्षित हेल्थकेयर:** कानूनी सीमाओं को बढ़ाकर, यह कानून "झोलाछाप डॉक्टरों" और असुरक्षित तरीके से अबॉर्शन पर निर्भरता कम करता है, जो अभी भी मां की मौत का एक बड़ा कारण है।

निष्कर्ष

भारत का MTP फ्रेमवर्क दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क में से एक है, फिर भी यह अभी भी एक काम है जो अभी भी चल रहा है। जबकि कानून "पॉपुलेशन कंट्रोल" से "रिप्रोडक्टिव राइट्स" की ओर बढ़ गया है, चुनौती यह पक्का करने में है कि मेडिकल बोर्ड हमदर्दी के साथ काम करें और भ्रूण की "वाइबिलिटी" महिला की असलियत और इज्ज़त पर हावी न हो।

भवन के खतरे और अग्नि सुरक्षा

प्रसंग

2025 और 2026 में, दिल्ली (पालम, द्वारका, ईस्ट दिल्ली) और नोएडा में आग लगने की कई भयानक घटनाओं ने भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमज़ोरियों को सामने ला दिया है। इन दुखद घटनाओं ने शहरी प्लानिंग, बिल्डिंग कोड लागू करने और इमरजेंसी में मदद करने की क्षमता में सिस्टम की नाकामी को दिखाया है।

समाचार के बारे में

- **समस्या:** तेज़ी से, बिना प्लान के शहरीकरण "शहरी जाल" बना रहा है, जहाँ बिना सही सेफ्टी प्रोटोकॉल के रहने की जगहें और कमर्शियल जगहें एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं।
- **मुख्य कारण:** ज़्यादा आबादी, गर्मियों में बढ़ता तापमान, और घटिया कंस्ट्रक्शन मटीरियल का इस्तेमाल।
- **कानूनी ढांचा: भारत का नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC)** आग और जीवन सुरक्षा के लिए गाइडलाइन देता है, लेकिन लोकल शहरी इलाकों में इसका पालन बहुत कम है।

आपदाओं के कारण

1. संरचनात्मक दोष और शहरी नियोजन:

- **संकरा रास्ता:** ऐतिहासिक और बिना प्लान वाले इलाकों (जैसे, चांदनी चौक) की गलियां इतनी संकरी हैं कि फायर टेंडर या बचाव गाड़ियों के अंदर जाना मुश्किल है।
- **बाहर निकलने का रास्ता नहीं:** कई इमारतों में बालकनी या आग से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, जिससे रहने वालों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता।
- **मिक्स्ड-यूज़ वायलेशन:** रहने के लिए बनाई गई बिल्डिंग्स को अक्सर कमर्शियल वेयरहाउस या छोटी फैक्ट्रियों में बदल दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर ओवरलोड पड़ता है।

2. पर्यावरण और भौतिक जोखिम:

- **गर्मियों में थर्मल लोड:** तेज़ गर्मी की वजह से AC का लगातार इस्तेमाल होता है, जिससे घटिया वायरिंग पिघल जाती है और कंप्रेसर फट जाते हैं।
- **कॉस्ट-कटिंग:** बिल्डर्स अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नॉन-फायर-रिटार्डेंट केबल और लो-क्वालिटी स्विचगियर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शॉर्ट-सर्किट का रिस्क काफी बढ़ जाता है।

3. "स्मार्ट होम" विरोधाभास:

- **खतरनाक जाल:** बिजली जाने या बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक और हाई-सिक्योरिटी वाले स्मार्ट दरवाज़े खराब हो सकते हैं, जिससे लोग अंदर बंद हो सकते हैं।
- **मेटैलिक ग्रिल:** चोरी से सुरक्षा के लिए लगाई जाती हैं, लेकिन भारी, न हटने वाली खिड़की की ग्रिल फायर डिपार्टमेंट को बाहर बचाव करने से रोकती हैं।

राज्य क्षमता और बुनियादी ढांचे के अंतर

- **रिसोर्स की कमी:** बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाकों में हर व्यक्ति के हिसाब से काफ़ी फायर स्टेशन और ऊंची इमारतों के लिए लंबी दूरी की हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे एडवांस्ड इक्विपमेंट की कमी है।
- **टेक्नोलॉजी में कमी:** राजधानी होने के बावजूद, हवाई आग बुझाने या ऊंचाई पर लोगों को निकालने के लिए खास इमरजेंसी हेलीकॉप्टर की कमी है।
- **मेंटेनेंस:** कई भीड़भाड़ वाली जगहों पर पब्लिक फायर हाइड्रेंट अक्सर काम नहीं करते या डिस्कनेक्टेड पाए जाते हैं।

सामाजिक प्रभाव

- **गेटेड कम्युनिटीज़:** प्राइवेट "गेटेड सोसाइटीज़" का बढ़ना, सरकार की सुरक्षा देने की क्षमता पर बढ़ते भरोसे को दिखाता है, जिससे नागरिक प्राइवेट फायर-फाइटिंग सिस्टम और सर्विलांस में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
- **आर्थिक नुकसान:** जान के नुकसान के अलावा, ये आग छोटे बिज़नेस और बिना इंश्योरेंस वाले एसेट्स को भी नष्ट कर देती हैं, जिससे परिवार फिर से गरीबी में चले जाते हैं।
- **मेंटल हेल्थ:** सर्वाइवर्स को अक्सर हाई-डेंसिटी, हाई-रिस्क वाले माहौल में रहने से जुड़े लंबे समय के ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सख्त ऑडिट:** 15 मीटर से ज़्यादा ऊँची सभी बिल्डिंग और सभी मिक्स्ड-यूज़ कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी, थर्ड-पार्टी फायर सेफ्टी ऑडिट।
- **रेट्रोफिटिंग:** पुराने, ज़्यादा आबादी वाले घरों में बाहरी फायर एस्केप और फायर-रेटेड दरवाजे लगाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन।
- **कैपेसिटी बढ़ाना:** "मिनी फायर स्टेशन" में बड़ा इन्वेस्टमेंट, जिसमें छोटे चेसिस वाली गाड़ियां होंगी और जो शहर की तंग गलियों में चल सकेंगी।
- **AI-ड्रिवन मॉनिटरिंग:** आग लगने से पहले कमर्शियल हब में इलेक्ट्रिकल ओवरहीटिंग का पता लगाने के लिए थर्मल सेंसर और AI का इस्तेमाल करना।
- **कम्युनिटी ट्रेनिंग:** फायर डिपार्टमेंट के आने से पहले ज़रूरी मिनटों को मैनेज करने के लिए लोकल लोगों के लिए "फर्स्ट रिस्पॉन्डर" ट्रेनिंग शुरू करना।

निष्कर्ष

भारत में शहरी आग से सुरक्षा के लिए "रिएक्टिव मैनेजमेंट" से "प्रोएक्टिव इंजीनियरिंग" में बदलाव की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल कमियों को दूर करना और राज्य की क्षमता को मज़बूत करना सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि भारत के बढ़ते मेगा-शहरों में जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम हैं।

जर्मेनियम-मुक्त ड्रोन इमेजिंग तकनीक

प्रसंग

डिफेंस में आत्मनिर्भरता (*आत्मनिर्भर भारत*) के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, हैदराबाद के स्टार्टअप **EonSpacelabs ने ड्रोन के लिए** भारत का पहला **जर्मेनियम-फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड पेश किया है** । यह सफलता भारत के डिफेंस और सर्विलांस सेक्टर में सप्लाई चेन की गंभीर कमजोरियों को दूर करती है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** एक स्वदेशी **इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड (EO/IR)** इमेजिंग सिस्टम जो पारंपरिक जर्मेनियम लेंस को घरेलू विकल्प से बदल देता है।
- **मटीरियल शिफ्ट:** मिलिट्री-ग्रेड थर्मल कैमरे आमतौर पर हीट रेडिएशन भेजने के लिए जर्मेनियम पर निर्भर करते हैं, लेकिन यह सिस्टम **चाल्कोजेनाइड ग्लास का इस्तेमाल करता है** ।
- **डेवलपर: इसे** हैदराबाद, इंडिया में मौजूद एक डिफेंस-टेक स्टार्टअप **EonSpacelabs** ने डेवलप किया है ।

उद्देश्य

- **स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी:** चीन से इंपोर्ट पर भारत की भारी निर्भरता को कम करना, जो अभी ग्लोबल जर्मेनियम सप्लाई पर हावी है।
- **सप्लाई चेन सिक्योरिटी:** भारतीय डिफेंस सेक्टर को जियोपॉलिटिकल टेंशन, एक्सपोर्ट पर रोक, और रेयर अर्थ मिनरल्स से जुड़े प्राइस वोलैटिलिटी से बचाना।
- **लोकल मैन्युफैक्चरिंग:** यह पक्का करना कि ज़रूरी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस (ISR) पार्ट्स पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए जाएं।

यह काम किस प्रकार करता है

1. **इन्फ्रारेड ट्रांसपेरेंसी:** स्टैंडर्ड ग्लास इन्फ्रारेड लाइट को ब्लॉक करता है। यह सिस्टम **चाल्कोजेनाइड ग्लास का इस्तेमाल करता है, जो लॉन्ग-वेव इन्फ्रारेड (LWIR)** स्पेक्ट्रम में ट्रांसपेरेंट होने के लिए बनाया गया मटीरियल है ।
2. **हीट डिटेक्शन:** LWIR को पास होने देने से, सेंसर दिखने वाली रोशनी पर निर्भर रहने के बजाय चीज़ों से निकलने वाले हीट सिग्नेचर (थर्मल एनर्जी) का पता लगा सकता है।
3. **एज AI प्रोसेसिंग:** पेलोड में ऑनबोर्ड **एज AI फीचर है** , जिससे ड्रोन लोकल लेवल पर डेटा प्रोसेस कर सकता है। इससे रियल-टाइम टारगेट डिटेक्शन और ऑटोनॉमस ट्रैकिंग मुमकिन हो जाती है, बिना किसी ग्राउंड स्टेशन से हाई-बैंडविड्थ लिंक की ज़रूरत के।

प्रमुख विशेषताऐं

- **हाई डिटेक्शन रेंज: 2 km** तक के इंसानों और **8 km** तक के वाहनों की पहचान करने में सक्षम ।
- **सटीक निगरानी: 40x ऑप्टिकल ज़ूम** से लैस , जिससे ज़्यादा ऊंचाई से साफ़ तस्वीरें मिलती हैं।
- **वर्सेटाइल वेट प्रोफ़ाइल:** पेलोड हल्का है (**800g से 2.2 kg**), जो इसे कॉम्पैक्ट ड्रोन, एयरोस्टेट और **eVTOL** (इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग) प्लेटफॉर्म के लिए सही बनाता है।
- **एक्सट्रीम टेरेन रेडीनेस: -20°C से +55°C** तक के टेम्परेचर में काम करने के लिए इंजीनियर किया गया है , जिससे यह हिमालय की बर्फ़ीली ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक ऑपरेशनल हो जाता है।
- **जिम्बल इंटीग्रेशन:** इसमें स्टेबल जिम्बल सिस्टम हैं जो हाई-स्पीड ड्रोन मैनूवर के दौरान स्मूद, जिटर-फ्री वीडियो पक्का करते हैं।

महत्व

- **एक्सपोर्ट कंट्रोल में कमी: यह** भारत को जर्मेनियम पर चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल से बचाता है, जिससे पहले सप्लाई में रुकावट आई थी और कीमतों में तेज़ उछाल आया था।
- **कॉस्ट एफिशिएंसी :** हाई-प्योरिटी जर्मेनियम के लिए ज़रूरी मुश्किल रिफाइनिंग प्रोसेस की तुलना में, बड़े पैमाने पर चाकोजेनाइड ग्लास बनाना आम तौर पर ज़्यादा कॉस्ट-इफेक्टिव होता है।
- **डिफेंस सॉवरेनिटी:** यह पक्का करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड बैन या डिप्लोमैटिक झगड़ों के दौरान भी भारत की "आसमान में नज़र" चालू रहे।

चुनौतियां

- **प्रोडक्शन बढ़ाना:** एक स्टार्टअप प्रोटोटाइप से पूरे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बड़े पैमाने पर चाकोजेनाइड लेंस बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल स्केलिंग की ज़रूरत होती है।
- **ऑप्टिकल सेंसिटिविटी:** थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जर्मेनियम "गोल्ड स्टैंडर्ड" बना हुआ है; यह पक्का करना कि चाल्कोजेनाइड ग्लास सभी लाइटिंग कंडीशन में लगातार इस परफॉर्मेंस से मैच करे, एक टेक्निकल मुश्किल है।
- **रॉ मटीरियल सोर्सिंग:** जर्मेनियम-फ्री होने के बावजूद, चाल्कोजेनाइड ग्लास को अभी भी सल्फर, सेलेनियम, या टेल्यूरियम जैसे हाई-प्योरिटी एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिनके लिए अपनी सुरक्षित सप्लाई चेन की ज़रूरत होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **आर्म्ड फोर्सेज़ में शामिल होना:** एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने के लिए इंडियन आर्मी और एयर फ़ोर्स द्वारा सफल फील्ड ट्रायल।
- **प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप: DRDO** जैसे संगठनों के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को *टैपस* या *आर्चर* ड्रोन जैसे बड़े स्वदेशी प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना ।
- **ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल:** भारत को दूसरे देशों के लिए नॉन-जर्मेनियम थर्मल टेक के एक अल्टरनेटिव सप्लायर के तौर पर बनाना, जो अपनी डिफेंस खरीद में डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं।

निष्कर्ष

EonSpacelabs की जर्मेनियम-फ्री थर्मल इमेजिंग टेक "ज़रूरत से प्रेरित इनोवेशन" में एक मास्टरक्लास है। एक ज़रूरी मिनरल की रुकावट को पार करके, भारत ने न सिर्फ़ अपनी तुरंत की रक्षा ज़रूरतों को पूरा किया है, बल्कि एडवांस्ड EO/IR टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनने की दिशा में भी एक बड़ी छलांग लगाई है।

मीथेन अलर्ट और प्रतिक्रिया प्रणाली (MARS)

प्रसंग

यूनाइटेड नेशंस ने **मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम (MARS) को** कोयला और वेस्ट सेक्टर को शामिल करने के लिए बढ़ाया है। यह बढ़ोतरी सैटेलाइट से मिले डेटा के बाद हुई है, जिसमें **भारत में कंजुरमार्ग लैंडफिल को** चिली की साइटों के साथ दुनिया के तीन सबसे बड़े मीथेन एमिटर में से एक के रूप में पहचाना गया है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** पहला ग्लोबल सैटेलाइट-बेस्ड सिस्टम जिसे मीथेन "सुपर-एमिटर" को मॉनिटर करने और उस डेटा को तेज़ी से ज़मीन पर होने वाले नुकसान से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **ऑर्गेनाइज़ेशनल फ्रेमवर्क:** यह **UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP)** के तहत **इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्ज़र्वेटरी (IMEO) का एक मुख्य हिस्सा है** ।
- **लॉन्च: COP27** में घोषणा की गई ; जनवरी 2023 से आधिकारिक तौर पर चालू।
- **मुख्य लक्ष्य:** बड़े मीथेन प्लूम की मात्रा का पता लगाना, ज़िम्मेदार सरकारों और कॉर्पोरेशन को बताना, और आने वाले समय में ग्लोबल हीटिंग को धीमा करने के लिए कम करने की कोशिशों को ट्रैक करना।

यह काम किस प्रकार करता है

MARS लाइफसाइकल चार-स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है ताकि यह पक्का हो सके कि डेटा से एक्शन हो:

1. **डिटेक्शन और एट्रिब्यूशन: 35** से ज़्यादा सैटेलाइट के ग्रुप का इस्तेमाल करके , यह सिस्टम दुनिया भर में बड़े मीथेन प्लूम को स्कैन करता है। हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी फिर इन प्लूम को खास जगहों या ऑपरेटरों तक ट्रेस करती है।
2. **नोटिफ़िकेशन और एंगेजमेंट:** IMEO टीम सीधे सरकारों और संबंधित कंपनियों से संपर्क करती है ताकि उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाली बड़ी एमिशन घटनाओं के बारे में अलर्ट किया जा सके।
3. **बचाव के उपाय:** बताए गए स्टेकहोल्डर्स से उम्मीद की जाती है कि वे लीक ठीक करें या ऑपरेशनल तरीकों में बदलाव करें। MARS पार्टनर ज़रूरत पड़ने पर टेक्निकल सलाह देते हैं।
4. **ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन:** IMEO लीक को ठीक करने के लिए फॉलो-अप सैटेलाइट मॉनिटरिंग करता है। डेटा को आखिर में **"आई ऑन मीथेन"** प्लेटफॉर्म पर पब्लिक किया जाता है।

प्रमुख विशेषताऐं

- **सेक्टर का विस्तार:** शुरू में यह तेल और गैस इंडस्ट्री पर फोकस था, लेकिन अब इस सिस्टम में **कोयला खदानें और वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी भी शामिल हैं** ।
- **AI इंटीग्रेशन:** कस्टम **मशीन लर्निंग मॉडल** मिनटों में हज़ारों सैटेलाइट इमेज को एनालाइज़ करते हैं ताकि मीथेन को दूसरे एटमोस्फेरिक इंटरफेरेंस से अलग किया जा सके।
- **ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी:** डिटेक्शन डेटा किसी घटना के 30 से 45 दिन बाद पब्लिश किया जाता है, जिससे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पक्की होती है और इंडस्ट्री को सुधार के लिए समय मिलता है।
- **ग्लोबल डेटाबेस: इसमें कोल मीथेन डेटाबेस** शामिल है , जो दुनिया के 50% से ज़्यादा मेटलर्जिकल कोयला प्रोडक्शन पर नज़र रखता है।
- **क्वांटिफिकेशन मेट्रिक्स:** एक्सीडेंटल, शॉर्ट-टर्म लीक और क्रोनिक, लॉन्ग-टर्म एमिशन सोर्स के बीच अंतर करने के लिए **पर्सिस्टेंसी-वेटेड फ्लक्स (PWF) मेथड का** इस्तेमाल करता है ।

महत्व

- **क्लाइमेट पर असर:** 20 साल के समय में मीथेन **, CO_2 से 80 गुना ज़्यादा असरदार है। मीथेन लीक को रोकना ग्लोबल वार्मिंग पर "सबसे तेज़ ब्रेक" माना जाता है।**
- **आर्थिक सुधार:** इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि लीक रोकने से हर साल **200 बिलियन क्यूबिक मीटर** गैस ग्लोबल मार्केट में वापस आ सकती है।
- **पब्लिक हेल्थ:** मीथेन एमिशन कम करने से ज़मीन पर ओज़ोन बनना भी कम होता है, जिससे आस-पास की जगहों पर हवा की क्वालिटी और सांस की सेहत में सुधार होता है।

चुनौतियां

- **डेटा लेटेंसी:** हालांकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, फिर भी पता लगाने और नोटिफ़िकेशन के बीच अभी भी टाइम लैग है, जिससे शायद काफ़ी मात्रा में गैस निकल सकती है।
- **अधिकार क्षेत्र में सहयोग:** सिस्टम का असर इस बात पर निर्भर करता है कि देश की सरकारें और प्राइवेट कंपनियाँ दिए गए डेटा पर काम करने को तैयार हैं या नहीं।
- **बादल छाए रहना:** ऑप्टिकल सैटेलाइट सेंसर भारी बादलों की वजह से रुक सकते हैं, जिससे ट्रॉपिकल इलाकों में मॉनिटरिंग में कमी आ सकती है।
- **एट्रिब्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी:** घनी इंडस्ट्रियलाइज़्ड ज़ोन में, किसी एक जगह के लिए किसी खास प्लूम को एट्रिब्यूट करना टेक्निकली मुश्किल हो सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **बेहतर रिज़ॉल्यूशन:** नए खास सैटेलाइट (जैसे मीथेनSAT) लॉन्च करना ताकि छोटे, ज़्यादा फैले हुए लीक का पता लगाया जा सके, जिन्हें मौजूदा सिस्टम शायद मिस कर दें।
- **पॉलिसी इंटीग्रेशन:** पेरिस एग्रीमेंट के तहत नेशनल **नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDCs)** में MARS डेटा को शामिल करना ।
- **फाइनेंशियल इंसेंटिव:** मीथेन मिटिगेशन प्रोग्रेस को इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस या कार्बन क्रेडिट एलिजिबिलिटी से जोड़ना।

निष्कर्ष

MARS का कचरा और कोयला सेक्टर में फैलना ग्लोबल क्लाइमेट मॉनिटरिंग में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। कंजुरमार्ग लैंडफिल जैसे सुपर-एमिटर की पहचान करके, UN सैटेलाइट डेटा को असल एनवायरनमेंटल प्रोग्रेस में बदलने के लिए ज़रूरी एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे रहा है, जिससे यह साबित होता है कि ट्रांसपेरेंसी प्लैनेटरी कूलिंग के लिए एक पावरफुल टूल है।

त्रिशंकु विधानसभा

प्रसंग

तमिलनाडु के पॉलिटिकल माहौल में एक बड़ा बदलाव तब आया जब गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाने से पहले **बहुमत का सबूत मांगा** । यह स्थिति गवर्नर की अहम समझदारी वाली

शक्तियों को दिखाती है, जब चुनावी जनादेश तुरंत साफ नहीं होता।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** हंग **असेंबली** तब होती है जब किसी एक राजनीतिक पार्टी या चुनाव से पहले के गठबंधन को राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत (50% + 1) सीटें नहीं मिलती हैं।
- **संवैधानिक विवेक:** ऐसे हालात में, गवर्नर काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स (क्योंकि कोई काउंसिल होती ही नहीं है) की सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं होता है और उसे मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने के लिए उनके फैसले का इस्तेमाल करना चाहिए।
- **आर्टिकल 164(1):** कहता है कि मुख्यमंत्री को गवर्नर अपॉइंट करेगा। हालांकि संविधान में त्रिशंकु सदन के लिए कोई प्रोसेस नहीं बताया गया है, लेकिन ज्यूडिशियल मिसालें और कमीशन की रिपोर्ट इस "सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन" को गाइड करती हैं।

उद्देश्य

- **स्टेबिलिटी:** एक स्टेबल सरकार बनाना पक्का करना जो अपने पूरे समय तक हाउस का भरोसा बनाए रख सके।
- **संवैधानिक निरंतरता:** राज्य की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में वैक्यूम को रोकने के लिए।
- **निष्पक्षता:** पॉलिटिकल एजेंट के बजाय एक न्यूट्रल आर्बिटर के तौर पर काम करना, यह पक्का करना कि डेमोक्रेटिक इच्छा सही बहुमत के ज़रिए दिखे।

वरीयता क्रम (सरकारिया और पुंछी मानदंड)

सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग कमीशन (सरकारिया कमीशन 1983, पुंछी कमीशन 2007) ने गवर्नर के लिए एक खास हायरार्की तय की है, जिसका पालन वे किसी नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते समय करते हैं:

1. **प्री-पोल अलायंस:** चुनाव से पहले बना ऐसा अलायंस जिसे मिलकर सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं।
2. **सिंगल लार्जेस्ट पार्टी (SLP):** सबसे ज़्यादा सीटों वाली पार्टी, बशर्ते वह बहुमत के निशान तक पहुँचने के लिए दूसरों (इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियों) के सपोर्ट का दावा करे।
3. **चुनाव के बाद गठबंधन:** नतीजे आने के बाद बना एक नया गठबंधन, जिसमें सभी पार्टनर सरकार में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं।
4. **चुनाव के बाद बाहरी सपोर्ट वाला गठबंधन:** ऐसा गठबंधन जिसमें कुछ पार्टियां कैबिनेट में शामिल होती हैं, जबकि दूसरी पार्टियां फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत पक्का करने के लिए "बाहर से" सपोर्ट देती हैं।

प्रमुख प्रक्रियाएँ

- **सपोर्ट का वेरिफिकेशन:** गवर्नर सहयोगी पार्टियों से "सपोर्ट लेटर" मांग सकते हैं या MLA को फिजिकली पेश (परेड) कर सकते हैं, हालांकि फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के लिए अक्सर बाद वाले को मना किया जाता है।
- **फ्लोर टेस्ट: एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1994) के** ऐतिहासिक केस के आधार पर, बहुमत **विधानसभा में साबित किया जाना चाहिए** , न कि राज्यपाल के चैंबर में।
- **विश्वास मत के लिए समय:** एक बार नियुक्त होने के बाद, मुख्यमंत्री को आमतौर पर "विश्वास मत" के ज़रिए अपना बहुमत साबित करने के लिए एक समय (आमतौर पर **15 से 30 दिन) दिया जाता है।**
- **प्रो-टेम स्पीकर:** राज्यपाल नए MLAs को शपथ दिलाने और शुरुआती फ्लोर टेस्ट की देखरेख के लिए एक प्रो-टेम स्पीकर नियुक्त करते हैं।

महत्व

- **डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी:** यह पक्का करता है कि सरकार को चुने हुए सदस्यों द्वारा रिप्रेजेंट किए गए "शासित लोगों की सहमति" मिले।
- **हॉर्स-ट्रेडिंग रोकता है:** पहले से तय क्रम का पालन करके और समय पर फ्लोर टेस्ट पर ज़ोर देकर, गवर्नर गलत राजनीतिक दलबदल की संभावना को कम कर सकते हैं।
- **एग्जीक्यूटिव हेड:** यह गारंटी देता है कि पॉलिटिकल बदलाव के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने और इमरजेंसी को संभालने के लिए राज्य का एक फंक्शनल हेड हो।

चुनौतियां

- **विवेक में सब्जेक्टिविटी:** "गवर्नर के फैसले में" वाक्यांश से पार्टी के व्यवहार के आरोप लग सकते हैं, खासकर अगर गवर्नर केंद्र सरकार से जुड़ी किसी पार्टी का पक्ष लेते हैं।
- **"बोम्मई" बनाम व्यावहारिकता:** जबकि मंजिल परीक्षण नियम है, राज्यपाल अक्सर एक "प्रारंभिक सत्यापन" करते हैं जिसमें देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता हो सकती है।
- **गवर्नर बनाम राज्य सरकार:** अक्सर टकराव तब होता है जब गवर्नर शपथ लेने से पहले कड़े सबूत मांगते हैं, जिसे होने वाला CM डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दखल मान सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **गाइडलाइंस को कोडिफाई करना:** सरकारिया और पुंछी कमीशन की सिफारिशों को गवर्नरों के लिए एक फॉर्मल "कोड ऑफ़ कंडक्ट" में बदलना ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो सके।

RACE IAS

- **फिक्स्ड टाइमलाइन:** एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट (जैसे, 48–72 घंटे) तय करना, जिसके अंदर गवर्नर को रिज़ल्ट आने के बाद सबसे भरोसेमंद दावेदार को बुलाना होगा।
- **न्यायिक निगरानी:** गवर्नर के फैसलों की समीक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट की लगातार सक्रिय भूमिका, ताकि यह पक्का हो सके कि वे "मैलाफाइड" (बुरी नीयत से) या गलत नहीं हैं।

निष्कर्ष

त्रिशंकु विधानसभा में गवर्नर की भूमिका भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे नाजुक कामों में से एक है। गवर्नर को यह पक्का करना होता है कि बहुमत मौजूद है, लेकिन उस बहुमत को परखने के लिए आखिरी लैब लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। मैंडेट की पवित्रता बनाए रखने के लिए संवैधानिक ड्यूटी और पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी है।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) शिखर सम्मेलन

प्रसंग

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में **पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) समिट 2026 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया** । यह ऐतिहासिक इवेंट वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन डिप्लोमेसी में भारत के ग्लोबल लीडर बनने का संकेत देता है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** IBCA एक अग्रणी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहु-एजेंसी गठबंधन है।
- **नेटवर्क:** यह **95 बड़ी बिल्लियों वाले देशों** , साइंटिफिक ऑर्गनाइज़ेशन, कंज़र्वेशन पार्टनर और बिज़नेस ग्रुप को एक साथ लाता है।
- **स्थापना:** प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 9 अप्रैल, 2023 को लॉन्च किया गया।
- **हेडक्वार्टर:** IBCA सेक्रेटेरिएट **भारत में है** ।

उद्देश्य

- **पॉपुलेशन रिकवरी:** दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की आबादी में गिरावट को रोकना और उसे उलटना।
- **नॉलेज सिनर्जी:** सफल कंज़र्वेशन तरीकों को दुनिया भर में इस्तेमाल के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड रिपॉजिटरी में इकट्ठा करना।
- **टेक्निकल और फाइनेंशियल मदद:** कम रिसोर्स वाले देशों को ज़मीन पर कंजर्वेशन लागू करने के लिए एक सपोर्ट फ्रेमवर्क देना।

शामिल प्रजातियाँ

सात मुख्य बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा पर फोकस करता है :

1. **चीता**
2. **शेर**
3. **तेंदुआ**
4. **हिम तेंदुआ**
5. **चीता**
6. **जगुआर**
7. **प्यूमा**

महत्वपूर्ण कार्यों

- **सेंट्रलाइज़्ड रिपॉजिटरी: भारत के प्रोजेक्ट टाइगर** जैसे सफल मॉडल्स की बेंचमार्किंग और शेयरिंग , ताकि उन्हें दूसरे रेंज के देशों में भी इस्तेमाल किया जा सके।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** दुनिया भर में फॉरेस्ट अधिकारियों और कंजर्वेशनिस्ट के लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और लागू करने के तरीके देना।
- **पॉलिसी और फाइनेंस: ट्रांसबाउंड्री सहयोग को** मजबूत करना और कंजर्वेशन के लिए नए फाइनेंसिंग सिस्टम बनाना।
- **रिसर्च और इनोवेशन:** इकोलॉजिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (जैसे AI-बेस्ड मॉनिटरिंग और DNA प्रोफाइलिंग) का इस्तेमाल करना।
- **सस्टेनेबल लाइवलीहुड:** लैंडस्केप-बेस्ड तरीकों को बढ़ावा देना जो वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन को लोकल कम्युनिटी की इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जोड़ते हैं।

महत्व

- **ग्लोबल लीडरशिप:** वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन में भारत को "गुरु" के तौर पर स्थापित करना, ज़्यादा डेंसिटी वाले टाइगर लैंडस्केप और रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स (जैसे, प्रोजेक्ट चीता) को मैनेज करने में अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करना।
- **यूनिफाइड डिक्लेरेशन: 2026 समिट में बड़ी बिल्लियों के कंज़र्वेशन पर** पहली बार ग्लोबल डिक्लेरेशन को अपनाने की उम्मीद है , जिसमें अगले दशक के लिए शेयर्ड प्रायोरिटी तय की जाएंगी।
- **डिप्लोमैटिक ब्रिज:** यह साउथ-साउथ सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है, खासकर अफ्रीका और SE एशिया के देशों को उनकी प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में मदद करता है।

चुनौतियां

- **हैबिटैट फ्रैगमेंटेशन:** अलग-अलग देशों में तेज़ी से शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से बड़ी बिल्लियों के इलाके सिकुड़ते जा रहे हैं।
- **इंसान-जानवरों का टकराव:** बड़ी बिल्लियों के इंसानी बस्तियों में भटकने के बढ़ते मामले जानवरों और कंजर्वेशन के लिए लोकल सपोर्ट, दोनों के लिए खतरा पैदा करते हैं।

- **शिकार और गैर-कानूनी व्यापार:** ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क अभी भी बड़ी बिल्लियों के अंगों के लिए एक फायदेमंद ब्लैक मार्केट चलाते हैं, जिसके लिए हाई-लेवल इंटेलिजेंस शेयरिंग की ज़रूरत होती है।
- **फंडिंग गैप्स:** ग्लोबल आर्थिक उतार-चढ़ाव के दौरान 95 सदस्य देशों से लंबे समय के फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को बनाए रखना।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कॉरिडोर को सुरक्षित करना:** जेनेटिक डाइवर्सिटी पक्का करने के लिए अलग-थलग आबादी को जोड़ने वाले माइग्रेटरी कॉरिडोर की सुरक्षा को प्राथमिकता देना।
- **टेक्नोलॉजी ट्रांसफर:** सैटेलाइट ट्रैकिंग और "स्मार्ट" पेट्रोलिंग जैसे हाई-टेक टूल्स को डेवलपिंग रेंज के देशों के लिए आसान बनाना।
- **कम्युनिटी के नेतृत्व में संरक्षण:** ऐसे मॉडल की ओर बढ़ना जहां लोकल कम्युनिटी को बड़ी बिल्लियों के टूरिज्म और इकोसिस्टम सर्विस का मुख्य फायदा मिले।

निष्कर्ष

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाइल्डलाइफ़ के लिए एक ग्लोबल फ्रंट की तरफ़ एक बड़ा कदम है। अलग-अलग देशों को एक छत के नीचे लाकर, 2026 समिट यह पक्का करेगा कि "सेवन बिग कैट्स" मॉडर्न साइंस और सबकी पॉलिटिकल इच्छाशक्ति के साथ जंगल के आइकॉन बने रहें।

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशानिर्देश 2026

प्रसंग

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में **स्कूल मैनेजमेंट कमिटी (SMC) गाइडलाइंस 2026 लॉन्च कीं** । इस पहल का मकसद एजुकेशन सेक्टर में ज़मीनी स्तर पर गवर्नेंस को फिर से मज़बूत करना है, और स्कूल मैनेजमेंट के ज़्यादा भागीदारी वाले और जवाबदेह मॉडल की ओर बढ़ना है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** एक यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क जो SMCs की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को बताता है, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक कंसोलिडेटेड रेफरेंस के तौर पर काम करता है।
- **नोडल विभाग:** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, **शिक्षा मंत्रालय** ।
- **अलाइनमेंट:** नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के तहत इनक्लूसिव एजुकेशन के लिए नेशनल विज़न के साथ राज्य-लेवल के नियमों को मिलाता है।

उद्देश्य

- **कम्युनिटी एम्पावरमेंट:** लोकल कम्युनिटी को अपने स्कूलों की कलेक्टिव ओनरशिप लेने में मदद करना।
- **सुरक्षा और समावेश:** हर बच्चे के लिए एक अच्छा माहौल पक्का करना, खासकर 2047 तक चाहे गए सीखने के नतीजे पाने पर ध्यान देना (**विकसित भारत**)।
- **जवाबदेही:** स्कूल लेवल पर फाइनेंशियल और एकेडमिक निगरानी के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना।

दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

सार्वभौमिक गठन और संरचना:

- **दायरा: हर स्कूल के लिए, जिसमें Grade 12** तक के सेकेंडरी स्कूल भी शामिल हैं , एकेडमिक साल के एक महीने के अंदर SMC बनाना ज़रूरी है।
- **75% पेरेंट रिप्रेजेंटेशन:** ज़्यादातर सदस्य माता-पिता या गार्जियन होने चाहिए।
- **25% मिला-जुला प्रतिनिधित्व:** इसमें लोकल अथॉरिटी के सदस्य, टीचर, शिक्षाविद और फ्रंटलाइन वर्कर (ASHA/आंगनवाड़ी) शामिल हैं।
- **डाइवर्सिटी मैंडेट:** कम से कम **50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए** । सोशियो-इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स (SEDGs) और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों (CwSN) के माता-पिता के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है।

योजना और निगरानी:

- **स्कूल डेवलपमेंट प्लान (SDP): SMC को तीन साल का SDP** तैयार करना होगा , जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक ग्रोथ को गाइड करने के लिए सालाना सब-प्लान में बांटा जाएगा।
- **सब-कमेटी:** स्पेशल ग्रुप बनाने का अधिकार, जैसे *स्कूल बिल्डिंग कमेटी* (इंफ्रास्ट्रक्चर) और *एकेडमिक कमेटी* (लर्निंग आउटकम)।
- **फाइनेंशियल पावर: SMCs सरकारी ग्रांट्स को मॉनिटर करती हैं और ₹30 लाख** तक के सिविल काम कर सकती हैं ।

सुरक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा:

- **हर तीन महीने में सेफ्टी वॉक:** कमिटी को रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए और स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी प्लान बनाने में हिस्सा लेना चाहिए।
- **सोशल ऑडिट:** स्कूल के काम करने के तरीके और फंड के इस्तेमाल में ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए एकेडमिक साल में कम से कम एक बार इसे बढ़ावा दिया जाता है।

महत्व

- **डीसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस:** SMCs को पैसिव मॉनिटरिंग बॉडीज़ से एक्टिव "कम्युनिटी गवर्निंग इंस्टीट्यूशन्स" में बदलता है, जिससे लोकल डेमोक्रेसी मज़बूत होती है।
- **होलिस्टिक डेवलपमेंट:** इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट वेलफेयर, एकेडमिक क्वालिटी और मेंटल हेल्थ पर बराबर ज़ोर दिया जाता है।

- **सोशल इन्क्लूजन:** यह पक्का करता है कि शिक्षा में फैसले लेने की प्रक्रिया में पिछड़े ग्रुप और महिलाओं की आवाज़ें सेंट्रल हों।

चुनौतियां

- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** कई पेरेंट मेंबर, खासकर पिछड़े बैकग्राउंड से आने वाले, के पास एकेडमिक स्टैंडर्ड या फाइनेंशियल ऑडिट को अच्छे से मॉनिटर करने की ट्रेनिंग की कमी हो सकती है।
- **अटेंडेंस की दिक्कतें:** रोज़ी-रोटी के कामों की वजह से, महीने की मीटिंग में पेरेंट्स का रेगुलर हिस्सा लेना एक मुश्किल काम है।
- **पावर डायनामिक्स:** हेडटीचर या लोकल असरदार लोग कभी-कभी कमेटी पर हावी हो जाते हैं, जिससे पेरेंट्स की आवाज़ दब जाती है।
- **रिसोर्स की कमी:** SMCs ₹30 लाख तक के काम कर सकती हैं, लेकिन राज्य सरकारों से फंड का असल फ्लो अनिश्चित हो सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ट्रेनिंग मॉड्यूल:** SMC सदस्यों के लिए लोकल, आम भाषा के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना ताकि वे अपने अधिकार और कर्तव्य समझ सकें।
- **डिजिटल इंटीग्रेशन:** SMCs के लिए अपने स्कूल डेवलपमेंट प्लान और सोशल ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने के लिए ऐप्स या वेब पोर्टल का इस्तेमाल करना, ताकि वे बेहतर तरीके से दिख सकें।
- **पहचान:** अच्छा काम करने वाले SMCs को नेशनल या स्टेट लेवल के अवॉर्ड देकर बढ़ावा देना ताकि वे एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

SMC गाइडलाइंस 2026 शिक्षा में **जनभागीदारी** (लोगों की भागीदारी) की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाती हैं। माता-पिता और लोकल स्टेकहोल्डर्स को साफ़ आदेश और फाइनेंशियल निगरानी देकर, सरकार एक ज़्यादा मज़बूत और जवाबदेह पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम की नींव रख रही है।

ईवी बैटरी रीसाइक्लिंग

प्रसंग

सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए एक बड़े कदम के तौर पर, भारत और यूरोपियन यूनियन ने **ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (TTC)** के तहत **€15.2 मिलियन (~₹169 करोड़) की जॉइंट पहल शुरू की है। यह प्रोग्राम खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बैटरी रीसाइक्लिंग** में इनोवेशन को तेज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है , ताकि ग्रीन ट्रांज़िशन के लिए मिनरल्स की लगातार सप्लाई पक्की हो सके।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** एक मिलकर किया गया रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम जो भारतीय और यूरोपीय कंपनियों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट को आसान बनाता है।
- **रूपरेखा: भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी** के तहत संचालित , जो व्यापार, निवेश और डिजिटल प्रौद्योगिकी में रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित है।
- **फाइनेंशियल सपोर्ट:** EU के **होराइजन यूरोप** प्रोग्राम और भारत के **भारी उद्योग मंत्रालय के ज़रिए मिलकर फंड किया गया** ।

उद्देश्य

- **मिनरल सॉवरिन्टी: लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट** जैसे ज़रूरी कच्चे माल के सेकेंडरी सोर्स को सुरक्षित करना ।
- **सर्कुलर इकॉनमी:** "लीनियर" टेक-मेक-डिस्पोज मॉडल से "सर्कुलर" सिस्टम में शिफ्ट होना, जहाँ बैटरी के पार्ट्स को हमेशा दोबारा इस्तेमाल किया जाता है।
- **स्टैंडर्डाइज़ेशन:** बैटरी हेल्थ, सेफ्टी और रीसाइक्लिंग एफिशिएंसी के लिए कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना।

प्रमुख विशेषताऐं

- **एडवांस्ड रिकवरी टेक्नोलॉजी:** इस्तेमाल हो चुकी बैटरी से 90% से ज़्यादा कीमती मेटल निकालने के लिए हाई-एफिशिएंसी प्रोसेस (जैसे हाइड्रोमेटलर्जी और पायरोमेटलर्जी) पर फोकस करें।
- **जॉइंट पायलट फैसिलिटी:** रीसाइक्लिंग टेक की असल दुनिया में टेस्टिंग और इंडस्ट्रियल लेवल पर डेमोंस्ट्रेशन के लिए भारत में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट **पायलट लाइन बनाना।**
- **डिजिटलाइज़ेशन और ट्रैकिंग:** बैटरी लाइफ़ साइकिल को ट्रैक करने और सुरक्षित कलेक्शन पक्का करने के लिए **डिजिटल बैटरी पासपोर्ट और ब्लॉकचेन-बेस्ड सिस्टम** को लागू करना ।
- **इनक्लूसिव लॉजिस्टिक्स: इनफॉर्मल रीसाइक्लिंग सेक्टर को** एक फॉर्मल, सुरक्षित और डिजिटलाइज़्ड कलेक्शन इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना ।
- **SME और स्टार्टअप फोकस:** भारतीय और यूरोपीय स्टार्टअप को बैटरी सेकंड-लाइफ एप्लिकेशन्स के लिए सॉल्यूशन को-डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना (जैसे, स्टेशनरी ग्रिड स्टोरेज के लिए पुरानी EV बैटरी का इस्तेमाल करना)।

महत्व

- **स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी:** घरेलू बैटरी वेस्ट को रीसायकल करके, भारत और EU चीन जैसे बड़े प्लेयर्स से मिनरल इंपोर्ट पर अपनी मिली-जुली डिपेंडेंस कम कर सकते हैं।

- **क्लाइमेट कमिटमेंट्स:** प्राइमरी माइनिंग की तुलना में रीसाइक्लिंग से कार्बन फुटप्रिंट काफी कम हो जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों को **नेट ज़ीरो** टारगेट पूरा करने में मदद मिलती है।
- **आर्थिक मौका:** एक हाई-टेक "अर्बन माइनिंग" इंडस्ट्री बनाता है, जिससे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में हज़ारों खास नौकरियां पैदा हो सकती हैं।

चुनौतियां

- **कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर:** खतरनाक लिथियम-आयन कचरे के सुरक्षित ट्रांसपोर्ट के लिए पूरे भारत में नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक काम है।
- **केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी:** तेज़ी से बदल रही बैटरी केमिस्ट्री (जैसे, LFP से सॉलिड स्टेट में जाना) के लिए रीसाइक्लिंग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अडैप्टेबल और टेक-एग्नोस्टिक होना ज़रूरी है।
- **आर्थिक फ़ायदा:** रीसायकल किए गए मिनरल की कीमत, नए निकाले गए मिनरल के मुकाबले कम होनी चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सके।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **पॉलिसी अलाइनमेंट:** भारत के **बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (2022) को** EU के **नए बैटरी रेगुलेशन के साथ मिलाना** ताकि टेक्नोलॉजी का आसानी से लेन-देन हो सके।
- **इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव:** "क्लोज्ड-लूप" मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट या प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) देना।
- **पब्लिक अवेयरनेस:** कंज्यूमर्स को इस्तेमाल हो चुके इलेक्ट्रॉनिक्स और EV बैटरी को ऑथराइज़्ड कलेक्शन सेंटर्स पर वापस करने की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना।

निष्कर्ष

इंडिया-EU जॉइंट इनिशिएटिव, EV वैल्यू चेन को लेकर दोनों क्षेत्रों के नज़रिए में एक अहम बदलाव दिखाता है। आज "एंड-ऑफ़-लाइफ़" फ़ेज़ पर फ़ोकस करके, इंडिया और EU आने वाले कल के लिए एक मज़बूत, आत्मनिर्भर एनर्जी इकोसिस्टम बना रहे हैं, और यह पक्का कर रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन नए रिसोर्स पर निर्भरता की कीमत पर न आए।

संघर्षों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा

प्रसंग

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने जियोपॉलिटिकल झटकों के प्रति भारत की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी को दिखाया है। 2026 में **ब्रेंट क्रूड की कीमतें $109.03 प्रति बैरल तक पहुँचने के साथ, इस उतार-चढ़ाव से भारत की आर्थिक वृद्धि FY26 में 7.4% से FY27 में 6.5% तक कम होने का अनुमान है** , जबकि सप्लाई चेन में रुकावटों के कारण महंगाई दोगुनी हो सकती है।

समाचार के बारे में

- **एनर्जी सिक्योरिटी को फिर से परिभाषित करना:** अब यह सिर्फ़ सबसे कम कीमत के बारे में नहीं है; इसमें अब **लचीलापन, डाइवर्सिफ़िकेशन और मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता शामिल है** ।
- **परिभाषा:** किसी देश की अचानक जियोपॉलिटिकल या आर्थिक झटकों को झेलते हुए लगातार, सस्ती एनर्जी सप्लाई बनाए रखने की क्षमता।
- **अभी की वजह:** खाड़ी में समुद्री तनाव और पश्चिम एशिया में चल रहा संकट भारत की "टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी" का टेस्ट ले रहा है।

डेटा और सांख्यिकी: भारत का ऊर्जा प्रोफ़ाइल

मीट्रिक	स्थिति / डेटा बिंदु
आयात निर्भरता	भारत अपने कच्चे तेल का **85% से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है;** FY2024-25 में यह **89.4% पर पहुंच गया।**
चोकपॉइंट जोखिम	**45%** क्रूड इम्पोर्ट **होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुज़रता है** ।
मांग प्रक्षेपण	तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर; **2026 तक डिमांड 5.99 mb/d होने की उम्मीद है** ।
आपूर्तिकर्ता बदलाव	**रूस** अब टॉप सप्लायर है (इंपोर्ट का **36%**) जबकि 2022 से पहले यह 2% था।

वर्तमान स्थिति और कमज़ोरियाँ

हाई टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी:

भारत ने रूस, इराक, सऊदी अरब, UAE और US को शामिल करके अपनी "इम्पोर्ट बास्केट" में सफलतापूर्वक विविधता लाई है।

- *उदाहरण:* रूसी तेल पर शिफ्ट होने से भारत को यूक्रेन संघर्ष के दौरान डिस्काउंटेड कीमतों का फ़ायदा उठाने में मदद मिली।

लगातार संरचनात्मक जोखिम:

घरेलू प्रोडक्शन स्थिर है (FY25 में लगभग **28.7 मिलियन मीट्रिक टन**), जिससे इकॉनमी करेंसी के उतार-चढ़ाव और माल ढुलाई की दरों के प्रति सेंसिटिव हो गई है।

नई ट्रांज़िशन कमज़ोरियाँ:

ज़रूरी मिनरल्स पर नई निर्भरता पैदा हो रही है ।

- *उदाहरण:* भारत अभी अपनी 2035 बैटरी-ग्रेड मिनरल ज़रूरतों का **5% से भी कम प्रोसेस करता है, और इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है।**

संघर्ष-प्रेरित वैश्विक व्यवधान

- **रूस-यूक्रेन युद्ध:** पाइपलाइन पर निर्भर रहने के खतरों को सामने लाया। यूरोप ने 2025 तक रूस पर गैस पर निर्भरता 45% से घटाकर 12% कर दी, और लागत से ज़्यादा सुरक्षा को प्राथमिकता दी।
- **वेस्ट एशिया विवाद:** इसने समुद्र से होने वाले ट्रांसपोर्ट की कमज़ोरी को दिखाया। होर्मुज स्ट्रेट **दुनिया का 25% तेल ले जाता है** , जिससे यह ग्लोबल प्राइस-ट्रांसमिशन पॉइंट बन जाता है।
- **समुद्री खतरे (2026):** बढ़े तनाव के कारण मिलिट्री दखल की ज़रूरत पड़ी। **ऑपरेशन संकल्प के तहत** , इंडियन नेवी ने ज़रूरी कार्गो को सुरक्षित करने के लिए LPG कैरियर्स को एस्कॉर्ट्स दिए।
- **टूटे-फूटे बाज़ार:** बड़ी ताकतें अब "तेज़ी से स्टॉक जमा कर रही हैं।" उदाहरण के लिए, जापान के पास 470 मिलियन बैरल तेल है, जो **254 दिनों** के इस्तेमाल के लिए काफ़ी है।

भारत के लिए निहितार्थ

- **मैक्रोइकॉनॉमिक अस्थिरता:** तेल की ऊंची कीमतें सीधे तौर पर महंगाई (**FY27 में 2.3% से बढ़कर 4.4% होने का अनुमान**) और धीमे इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ावा देती हैं।
- **स्ट्रेटेजिक चोकपॉइंट रिस्क:** होर्मुज स्ट्रेट के किसी भी तरह के बंद होने से भारत के लगभग आधे इम्पोर्ट की सप्लाई तुरंत रुक जाएगी।
- **रिसोर्स वेपनाइज़ेशन:** मिनरल प्रोसेसिंग नेटवर्क पर कंट्रोल (जैसे, रेयर अर्थ्स में चीन का 91% हिस्सा) भारत के सोलर और बैटरी लक्ष्यों के लिए लंबे समय का खतरा है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व (SPR) बढ़ाएँ:** शॉर्ट-टर्म सप्लाई में कटौती के लिए बफर देने के लिए बड़े नेशनल स्टॉक बनाएँ।
- **समुद्री लचीलापन बढ़ाना:** समुद्री रास्तों के लिए नौसेना की सुरक्षा को मज़बूत करना और क्षेत्रीय पार्टनर्स के साथ सहयोग बढ़ाना।
- **तेल की ज़रूरत कम करें:** EV ट्रांज़िशन में तेज़ी लाएं और बायोफ्यूल को बढ़ावा दें ताकि इम्पोर्टेड क्रूड की कुल मांग कम हो सके।
- **क्रिटिकल मिनरल चेन को सुरक्षित करें: नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन** जैसी पहल के ज़रिए लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ्स के लिए घरेलू प्रोसेसिंग क्षमताएं विकसित करें ।
- **ऑप्शन का फ़ायदा उठाएँ:** जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के आधार पर तेज़ी से स्विच करने के लिए अलग-अलग तरह के सप्लायर बेस बनाए रखें।

निष्कर्ष

हालांकि भारत ने हाल के झटकों से निपटने में टैक्टिकल बदलावों के ज़रिए तेज़ी दिखाई है, लेकिन लगभग 90% इम्पोर्ट पर निर्भरता के कारण लंबे समय की सुरक्षा अभी भी मुश्किल है। असली सुरक्षा के लिए "परचेज़िंग पावर" से आगे बढ़कर **स्ट्रक्चरल मज़बूती की ज़रूरत है** , जिसके लिए बढ़ा हुआ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व, घरेलू मिनरल प्रोसेसिंग और ज़रूरी समुद्री ट्रेड रूट की सुरक्षा की ज़रूरत होती है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0

प्रसंग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 को मंजूरी दी** । यह पुनरावृत्ति व्यवसायों को तत्काल **तरलता सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है,** जिससे एमएसएमई और एयरलाइन क्षेत्र को वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न वित्तीय अस्थिरताओं से निपटने में मदद करने के लिए **₹2,55,000 करोड़** का अतिरिक्त क्रेडिट प्रवाह सुगम होगा।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** एक खास क्रेडिट गारंटी पहल जो बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 90% से 100% गारंटी कवरेज देती है।
- **क्रियान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी)** ।
- **काम:** यह लेंडर्स के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, और उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा कोलैटरल की ज़रूरत के बिज़नेस को कम लागत वाली वर्किंग कैपिटल देने के लिए बढ़ावा देता है।

उद्देश्य

- **लिक्विडिटी बफर:** सप्लाई चेन में रुकावट और बढ़ते ऑपरेशनल खर्च की वजह से होने वाले शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी मिसमैच को दूर करने के लिए।
- **सेक्टोरल स्टेबिलिटी:** सिविल एविएशन और MSMEs जैसे ज़्यादा स्ट्रेस वाले सेक्टर में डिफ़ॉल्ट को रोकना।
- **आर्थिक लचीलापन: पश्चिम एशिया संकट** के असर के खिलाफ क्रेडिट इकोसिस्टम को मजबूत करना ।

ECLGS 5.0 की मुख्य विशेषताएं

योग्य उधारकर्ता:

- एक्टिव वर्किंग कैपिटल लिमिट वाले MSME और नॉन-MSME।
- शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस।
- **शर्त: 31 मार्च, 2026** तक बॉरोअर्स के अकाउंट्स **"स्टैंडर्ड" (कोई डिफ़ॉल्ट नहीं)** के तौर पर क्लासिफ़ाई होने चाहिए ।

गारंटी कवरेज और मात्रा:

- **एमएसएमई:** Q4 FY 2026 में इस्तेमाल हुए पीक वर्किंग कैपिटल के 20% तक के एडिशनल क्रेडिट के लिए **100% गारंटी कवरेज (₹100 करोड़ तक की लिमिट)।**
- **गैर-एमएसएमई और एयरलाइंस: 90% गारंटी** कवरेज।
- **एयरलाइन स्पेसिफिक: आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का 100%** तक (हर बॉरोअर के लिए ₹1,500 करोड़ तक)।

लोन की शर्तें:

- **ब्याज दरें:** किफ़ायती होने के लिए तय की गईं।
- **गारंटी शुल्क: शून्य** (सरकार स्टैंडर्ड फीस माफ करती है)।
- **समय (MSMEs/Non-MSMEs):** 5 साल, जिसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1 साल का मोरेटोरियम शामिल है।
- **अवधि (एयरलाइंस):** 7 साल, जिसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 2 साल की रोक शामिल है।
- **वैलिडिटी:** लोन **31 मार्च, 2027 तक मंज़ूर किए गए** ।

महत्व

- **क्राइसिस मैनेजमेंट:** यह इंटरनेशनल झगड़ों से जुड़े बढ़ते फ्यूल कॉस्ट और सप्लाई चेन की रुकावटों के इकोनॉमिक असर को सीधे तौर पर कम करता है।
- **एविएशन लाइफलाइन: यह उन एयरलाइन्स को ₹5,000 करोड़** की बड़ी टारगेटेड मदद देती है, जो फ्यूल की बदलती कीमतों और एयरस्पेस की पाबंदियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं।
- **ज़ीरो कोलैटरल:** यह बिज़नेस को उनके मौजूदा क्रेडिट रिलेशनशिप के आधार पर फंड एक्सेस करने देता है, जिससे मंदी के दौरान एक्स्ट्रा एसेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती।

चुनौतियां

- **लोन देने वालों की हिचकिचाहट:** सरकारी गारंटी के बावजूद, कुछ बैंक एविएशन जैसे ज़्यादा रिस्क वाले सेक्टर को लोन देने में सावधानी बरत सकते हैं।
- **इंटरेस्ट रेट का बोझ:** हालांकि प्रिंसिपल की गारंटी होती है, लेकिन मोरेटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट की सर्विसिंग से बहुत ज़्यादा लेवरेज वाली फर्मों के कैश फ्लो पर दबाव पड़ सकता है।
- **यूटिलाइज़ेशन गैप:** यह पक्का करना कि अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के सबसे छोटे MSMEs भी स्कीम का इस्तेमाल करने के लिए फॉर्मल बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा कर सकें।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **मॉनिटरिंग और आउटरीच:** NCGTC में एक खास शिकायत सुलझाने का सिस्टम बनाना ताकि यह पक्का हो सके कि बैंक सही यूनिट्स को गलत तरीके से क्रेडिट देने से मना न करें।
- **फ़ायदों का विस्तार:** अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बना रहता है, तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे दूसरे मुश्किल में पड़े सेक्टर को भी शामिल करने पर विचार करना।
- **डिजिटल इंटीग्रेशन:** गारंटीड लोन की तेज़ प्रोसेसिंग और डिस्बर्समेंट के लिए उद्यम पोर्टल और GST डेटा का इस्तेमाल करना।

निष्कर्ष

ECLGS 5.0 एक सही समय पर किया गया कदम है जो फोकस को बचने से हटाकर स्थिरता पर लाता है। सॉवरेन गारंटी देकर, सरकार यह पक्का करती है कि बाहरी झटकों के बावजूद अर्थव्यवस्था के पहिए MSMEs और ज़रूरी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चलते रहें।

कपास उत्पादकता मिशन

प्रसंग

यूनियन कैबिनेट ने **₹5,659.22 करोड़** के बड़े फाइनेंशियल खर्च के साथ **कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन को मंज़ूरी दे दी है** । यह पहल भारत के कॉटन लैंडस्केप को फिर से ज़िंदा करने, रुकी हुई पैदावार और क्वालिटी की चुनौतियों को दूर करने की एक स्ट्रेटेजिक कोशिश है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** यह एक नेशनल मिशन है जिसे कीड़ों की कमज़ोरियों से निपटने, फाइबर की क्वालिटी सुधारने और कॉटन सेक्टर में रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
- **स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क:** सरकार के **5F विजन के साथ अलाइन्ड** : *फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन* ।
- **नोडल मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** तथा **कपड़ा मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है ।
- **स्केल: 14 राज्यों के 140 जिलों को** टारगेट करता है और इसमें **2,000 जिनिंग और प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां शामिल हैं** ।

उद्देश्य

- **प्रोडक्शन टारगेट:** 2031 तक कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाकर **498 लाख बेल (हर बेल 170 kg) करना।**
- **प्रोडक्टिविटी में उछाल:** लिंट प्रोडक्टिविटी को अभी के 440 kg/ha से बढ़ाकर **755 kg/ha करना** ।
- **आत्मनिर्भरता:** घरेलू और ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी क्वालिटी वाले, बिना गंदगी वाले कॉटन की लगातार सप्लाई पक्का करके *आत्मनिर्भर भारत का* लक्ष्य हासिल करें ।

प्रमुख विशेषताऐं

- **बीज इनोवेशन: फसल के नुकसान को कम करने के लिए ज़्यादा पैदावार वाली वैरायटी (HYV)** , क्लाइमेट-रेसिलिएंट और पेस्ट-रेसिस्टेंट बीज बनाने पर ध्यान दें ।
- **एडवांस्ड फार्मिंग टेक्नीक: हाई-डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS)** और इंटीग्रेटेड कॉटन मैनेजमेंट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना ।
- **क्वालिटी और मॉडर्नाइज़ेशन:** जिनिंग यूनिट्स को अपग्रेड करके कचरा **2% से कम करना** और इंटरनेशनल बेंचमार्क को पूरा करने के लिए टेस्टिंग लैब्स को मॉडर्नाइज़ करना।
- **ब्रांडिंग और ट्रेसेबिलिटी: कस्तूरी कॉटन भारत को** डिजिटल ट्रेसेबिलिटी के साथ एक प्रीमियम, सस्टेनेबल ब्रांड के तौर पर प्रमोट करना ।
- **डिजिटल एम्पावरमेंट:** ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी के लिए मार्केट यार्ड (मंडियों) को ई-प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना, जिससे लगभग **32 लाख किसानों को फायदा होगा** ।
- **सर्कुलर इकॉनमी:** कॉटन वेस्ट को रीसायकल करके एक्स्ट्रा वैल्यू बनाना और एनवायरनमेंटल फुटप्रिंट को कम करना।
- **फाइबर डाइवर्सिफिकेशन:** कॉटन प्रोडक्शन के साथ **फ्लैक्स, बांस, केला और सिसल** जैसे दूसरे नेचुरल फाइबर को मिलाना ।

महत्व

- **किसान खुशहाली:** डिजिटल इंटीग्रेशन से बेहतर पैदावार और बेहतर कीमत मिलने से 32 लाख किसानों पर सीधा असर पड़ता है।
- **ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस:** *कस्तूरी कॉटन* के ज़रिए ब्रांडिंग को बढ़ाकर , भारत इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम कीमतें हासिल कर सकता है।
- **इंडस्ट्रियल ग्रोथ:** टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हाई-क्वालिटी रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जिससे वेस्ट कम होता है और फैक्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ती है।

चुनौतियां

- **पेस्ट मैनेजमेंट: पिंक बॉलवर्म** जैसे कीड़ों से बार-बार होने वाले खतरों के लिए लगातार R&D और किसानों को जानकारी देने की ज़रूरत है।
- **क्लाइमेट सेंसिटिविटी:** कॉटन अनियमित बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए क्लाइमेट-रेज़िलिएंट बीज ज़रूरी हो जाते हैं।
- **अलग-अलग ज़मीन:** कोऑपरेटिव मॉडल के बिना छोटे, अलग-अलग खेतों में हाई-डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS) लागू करना मुश्किल हो सकता है।
- **कंटैमिनेशन की समस्याएँ:** कम कचरा बनाए रखने के लिए पारंपरिक कटाई और ओटाई के तरीकों में बड़े बदलाव की ज़रूरत है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **एक्सटेंशन सर्विसेज़:** लैब रिसर्च और फील्ड एप्लीकेशन के बीच लिंक को मज़बूत करना ताकि यह पक्का हो सके कि किसान HDPS और HYV बीज अपनाएं।
- **क्वालिटी को बढ़ावा देना:** जिनिंग यूनिट्स में <2% ट्रैश कंटेंट बेंचमार्क पूरा होता है, उन्हें सीधे इंसेंटिव देना।
- **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP):** मिशन की पहुंच को तेज़ करने के लिए बीज बांटने और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करना।

निष्कर्ष

कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, भारत को वॉल्यूम-लेड प्रोड्यूसर से वैल्यू-लेड ग्लोबल कॉटन पावरहाउस में बदलने का एक बड़ा ब्लूप्रिंट है। टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और किसान कल्याण को मिलाकर, यह मिशन "फार्म टू फॉरेन" पाइपलाइन को सुरक्षित करता है, जिससे भारत की टेक्सटाइल विरासत की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित होती है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या

प्रसंग

सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026 लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है । इस कानूनी कदम का मकसद सुप्रीम कोर्ट में **जजों की मंज़ूरी की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है** (भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर)।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा: सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) एक्ट, 1956 में** बदलाव करके भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक क्षमता का कानूनी विस्तार ।
- **कुल क्षमता:** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के शामिल होने के साथ, कोर्ट की कुल मंज़ूर संख्या बढ़कर **38 हो जाएगी** ।

- **उद्देश्य:** बढ़ते केसों को सुलझाना और संविधान बेंचों का अच्छे से काम करना पक्का करना।

संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 124 (1):** मूल रूप से एक मुख्य न्यायाधीश और सात न्यायाधीशों के लिए प्रावधान किया गया था। यह विशेष रूप से **संसद को** कानून पारित करके इस संख्या को बढ़ाने का अधिकार देता है।
- **फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस:** एडिशनल जजों की सैलरी और खर्च **भारत के कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाते हैं** , जिससे ज्यूडिशियरी एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल दबाव से मुक्त रहती है।

जज की ताकत का ऐतिहासिक विकास

बढ़ते कानूनी काम के बोझ को मैनेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संख्या में समय-समय पर बदलाव किया गया है:

वर्ष	संशोधन अधिनियम	स्वीकृत शक्ति (सीजेआई को छोड़कर)	कुल शक्ति
1950	भारत का संविधान	7	8
1956	1956 का मूल अधिनियम	10	11
1960	संशोधन अधिनियम	13	14
1977	संशोधन अधिनियम	17	18
1986	संशोधन अधिनियम	25	26
2009	संशोधन अधिनियम	30	31
2019	संशोधन अधिनियम	33	34
2026	**प्रस्तावित विधेयक**	**37**	**38**

वेतन वृद्धि और नियुक्ति की प्रक्रिया

1. **शुरुआत:** आम तौर पर, CJI पेंडिंग मामलों और ज़्यादा बेंच की ज़रूरत के आधार पर संख्या बढ़ाने की रिक्वेस्ट करते हैं।
2. **कानूनी प्रक्रिया:** संसद को अमेंडमेंट बिल को **सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होगा। राष्ट्रपति की मंज़ूरी** मिलने के बाद यह बदलाव लागू हो जाएगा ।
3. **कॉलेजियम सिस्टम:** सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (CJI + चार सबसे सीनियर जज) नए बनाए गए पदों के लिए नामों की सिफारिश करता है।
4. **एग्जीक्यूटिव की भूमिका:** कानून और न्याय मंत्रालय इन नामों को प्रोसेस करता है, और उन्हें प्रधानमंत्री और उसके बाद राष्ट्रपति को भेजता है।
5. **अंतिम नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति** आधिकारिक तौर पर **अनुच्छेद 124(2)** के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ।

महत्व

- **पेंडिंग मामलों में कमी:** जजों की ज़्यादा संख्या से ज़्यादा बेंच बन सकती हैं, जिससे रोज़ाना हज़ारों पेंडिंग मामलों के निपटारे की दर सीधे तौर पर बढ़ जाती है।
- **संविधान बेंच:** कानून या संविधान की व्याख्या से जुड़े ज़रूरी सवालों वाले मामलों में कम से कम पांच जजों की ज़रूरत होती है। ज़्यादा जजों की संख्या होने से ये बेंच बिना रेगुलर अपील के काम को रोके काम कर पाती हैं।
- **ज्यूडिशियल स्पेशलाइज़ेशन:** जजों का बड़ा पूल टैक्स, क्रिमिनल या एनवायरनमेंटल मामलों के लिए स्पेशल बेंच बनाने में मदद करता है, जिससे ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्वालिटी बेहतर होती है।

चुनौतियां

- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:** जजों की संख्या बढ़ाने के लिए कोर्ट रूम, रहने की जगह और सपोर्ट स्टाफ में उसी अनुपात में बढ़ोतरी की ज़रूरत होती है।
- **अपॉइंटमेंट की खाली जगहें:** अगर रिकमेंडेशन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में देरी की वजह से "असली" स्टाफ कम रहता है, तो "मंज़ूर" स्टाफ बढ़ाना बेअसर है।
- **रीजनल डायवर्सिटी:** अलग-अलग हाई कोर्ट और अलग-अलग बैकग्राउंड से रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस बनाए रखना कॉलेजियम के लिए एक मुश्किल काम है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **अपॉइंटमेंट्स को आसान बनाना:** यह पक्का करना कि खाली जगहों को जल्दी भरने के लिए मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर (MoP) में बताई गई टाइमलाइन का सख्ती से पालन किया जाए।
- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:** तेज़ी से केस मैनेजमेंट और लीगल रिसर्च में बड़ी बेंच की मदद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना।
- **स्ट्रक्चरल सुधार:** जजों की बढ़ी हुई संख्या का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए एक परमानेंट **कॉन्स्टिट्यूशन बेंच** और अलग **अपील डिवीज़न** की संभावना तलाशना ।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करना भारत के बदलते कानूनी माहौल के लिए एक ज़रूरी कदम है। हालांकि संख्या बढ़ाना एक अच्छा कदम है, लेकिन इसकी सफलता इन पोस्ट को समय पर भरने और साथ ही ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्नाइज़ेशन पर निर्भर करती है ताकि यह पक्का हो सके कि "जस्टिस डिले" "जस्टिस डिनाइड" न बन जाए।

OLED (ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड)

प्रसंग

OLED टेक्नोलॉजी हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अभी, दुनिया भर में इसका प्रोडक्शन **हर साल लगभग एक बिलियन स्क्रीन के माइलस्टोन तक पहुँच गया है**, जो प्रीमियम कंज्यूमर डिवाइस में इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को दिखाता है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** दो कंडक्टरों के बीच ऑर्गेनिक (कार्बन-बेस्ड) कंपाउंड की पतली फिल्म रखकर बनाई गई एक फ्लैट, एमिसिव डिस्प्ले टेक्नोलॉजी।
- **बुनियादी अंतर:** पारंपरिक LCD (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले) के विपरीत, OLED को अलग बैकलाइट की ज़रूरत नहीं होती; हर पिक्सेल अपने खुद के लाइट सोर्स के रूप में काम करता है।
- **केमिकल नेचर:** इसे "ऑर्गेनिक" कहा जाता है क्योंकि पतली फिल्म में इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के बजाय कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं।

यह काम किस प्रकार करता है

1. **लेयरिंग:** ऑर्गेनिक पतली फिल्में **एनोड** और **कैथोड के बीच सैंडविच की तरह होती हैं** ।
2. **करंट एप्लीकेशन:** इन ऑर्गेनिक लेयर्स से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जिससे मॉलिक्यूल्स "एक्साइटेड" हो जाते हैं।
3. **लाइट एमिशन:** जैसे ही मॉलिक्यूल अपनी स्टेबल बेस स्टेट में लौटते हैं, वे विज़िबल लाइट के रूप में एनर्जी रिलीज़ करते हैं।
4. **ट्रू ब्लैक:** क्योंकि हर पिक्सेल सेल्फ़-एमिसिव होता है, इसलिए इसे पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, जिससे "इनफ़ाइनाइट" कंट्रास्ट रेश्यो और परफ़ेक्ट ब्लैक लेवल बनते हैं।

प्रमुख विशेषताऐं

- **सेल्फ-एमिसिव:** भारी बैकलाइट को हटाता है, जिससे अल्ट्रा-थिन और लाइटवेट हार्डवेयर मिलता है।
- **बेहतर इमेज क्वालिटी:** ज़्यादा कलर गैमट, ज़्यादा फुलर व्यूइंग एंगल और सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट रेश्यो देता है।
- **हाई परफॉर्मेंस:** इसमें काफी तेज़ रिफ्रेश रेट हैं, जो इसे गेमिंग और हाई-एक्शन मीडिया के लिए पसंदीदा विकल्प बनाता है।
- **फ्लेक्सिबिलिटी:** प्लास्टिक या फॉइल सबस्ट्रेट पर प्रिंट किया जा सकता है, जिससे **फोल्डेबल, रोलेबल और स्ट्रेचेबल** स्क्रीन डिज़ाइन बन सकते हैं।
- **एनर्जी एफिशिएंसी:** कुल मिलाकर कम पावर खर्च होती है, क्योंकि ब्लैक पिक्सल ज़ीरो एनर्जी खर्च करते हैं।
- **ड्यूरेबिलिटी:** ट्रेडिशनल लिक्विड क्रिस्टल की तुलना में ज़्यादा टेम्परेचर रेंज में असरदार तरीके से काम करता है।
- **सस्टेनेबिलिटी:** टॉक्सिक हेवी मेटल्स से मुक्त और अपने पतले, ऑर्गेनिक प्रोफ़ाइल के कारण आसानी से रीसायकल होने वाले।

अनुप्रयोग

- **कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स:** स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और प्रीमियम मॉनिटर के लिए प्राइमरी डिस्प्ले टेक।
- **OLED TV:** दुनिया के सबसे पतले टेलीविज़न बनाने के लिए बड़े ब्रांड (LG, Samsung, Sony, Panasonic) इसका इस्तेमाल करते हैं।
- **फोल्डेबल डिवाइस:** यह नई पीढ़ी की मोबाइल टेक को पावर देता है, जैसे फोल्डेबल फोन और रोलेबल टीवी सेट।
- **वियरेबल्स और हेल्थ:** स्मार्टवॉच और एक्सपेरिमेंटल "ई-टैटू" या मेडिकल मॉनिटरिंग के लिए स्किन पैच में पाए जाते हैं।
- **ऑटोमोटिव:** ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड डिस्प्ले और एक जैसी, हाई-एफिशिएंसी ऑटोमोटिव लाइटिंग (टेललाइट्स) में इस्तेमाल होता है।

चुनौतियां

- **बर्न-इन समस्याएं:** लंबे समय तक दिखाई देने वाली स्टैटिक इमेज "घोस्टिंग" या खास पिक्सल के परमानेंट खराब होने का कारण बन सकती हैं।
- **लाइफ़स्पैन:** ऑर्गेनिक मटीरियल (खासकर ब्लू एमिटर) इनऑर्गेनिक LEDs के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से खराब होते हैं, जिससे कई सालों तक कलर बैलेंस पर असर पड़ सकता है।
- **प्रोडक्शन कॉस्ट:** बड़े OLED पैनल बनाने का प्रोसेस कम होने के बावजूद, स्टैंडर्ड LCD/LED सेटअप के मुकाबले ज़्यादा महंगा है।
- **पानी के प्रति सेंसिटिविटी:** ऑर्गेनिक परतें नमी के प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं, और नुकसान से बचाने के लिए एडवांस्ड एनकैप्सुलेशन टेक्नीक की ज़रूरत होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **मटेरियल इनोवेशन:** एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने और ब्लू सब-पिक्सल की लाइफ बढ़ाने के लिए "फॉस्फोरसेंट OLED" (PHOLED) पर रिसर्च।
- **बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग:** बड़े OLED पैनल को सस्ते में बड़े पैमाने पर बनाने के लिए **इंकजेट प्रिंटिंग (IJP) टेक्नोलॉजी को** बढ़ाना ।
- **हाइब्रिड टेक्नोलॉजी:** OLED के परफेक्ट ब्लैक को क्वांटम डॉट्स की हाई पीक ब्राइटनेस के साथ मिलाने के लिए QD-OLED (क्वांटम डॉट OLED) का डेवलपमेंट।

निष्कर्ष

OLED टेक्नोलॉजी विज़ुअल डिस्प्ले में एक बड़ा बदलाव दिखाती है, जो रिजिड बैकलाइटिंग से हटकर फ्लेक्सिबल, सेल्फ-लाइटिंग सरफेस की ओर बढ़ रही है। जैसे-जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है और ड्यूरेबिलिटी बेहतर होती है, यह एक प्रीमियम फीचर से डिजिटल इंटरफेस के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनने के लिए तैयार है।

महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की योजना

प्रसंग

अक्टूबर 2025 में, मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस ने **क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम के तहत 58 कंपनियों को एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स के तौर पर मंज़ूरी दी** । यह पहल **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के तहत चलती है** ताकि सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा दिया जा सके और भारत की मिनरल सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** एक खास फाइनेंशियल दखल जिसे सेकेंडरी सोर्स (ई-वेस्ट, इस्तेमाल हो चुकी बैटरी और इंडस्ट्रियल स्क्रैप) से ज़रूरी मिनरल निकालने और रिफाइन करने में सब्सिडी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **नोटिफ़िकेशन की तारीख:** 2 अक्टूबर, 2025.
- **परिचालन अवधि:** 6 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31)।
- **शासी मंत्रालय:** खान मंत्रालय, भारत सरकार।

उद्देश्य

- **मिनरल सिक्योरिटी:** ज़रूरी कच्चे माल की रेगुलर सप्लाई पक्का करने के लिए घरेलू रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी को मज़बूत करना।
- **इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन: लिथियम, कोबाल्ट और निकल** जैसे मिनरल्स के लिए इम्पोर्ट पर भारी निर्भरता (अक्सर >80%) को कम करना ।
- **सेक्टर सपोर्ट:** क्लीन एनर्जी, डिफेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ को मज़बूत करना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

वित्तीय परिव्यय: कुल बजट **₹1,500 करोड़** ।

प्रोत्साहन संरचना:

- **कैपेक्स सब्सिडी:** समय पर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एलिजिबल कैपिटल खर्च पर 20% सब्सिडी। (देरी होने पर घटाकर 17% या 14% कर दी गई)।
- **ओपेक्स सब्सिडी:** बेस ईयर (FY 2025-26) में बढ़ी हुई बिक्री से जुड़ी, अलग-अलग स्टेज में दी जाएगी (साल 2 में 40%; साल 5 में 60%)।
- **हाइब्रिड ऑप्शन:** यह बेनिफिशियरी को तय लिमिट के अंदर Capex और Opex सपोर्ट को मिलाने की सुविधा देता है।

लाभार्थी श्रेणियाँ:

- **ग्रुप ए (बड़ी संस्थाएं):** ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू (GMR) ≥ ₹200 करोड़ (सीलिंग: ₹50 करोड़)।
- **ग्रुप बी (एसएमई संस्थाएं):** जीएमआर < ₹200 करोड़ (अधिकतम सीमा: ₹25 करोड़)।

टारगेटेड स्ट्रीम और एलिजिबिलिटी:

- **अर्बन माइनिंग:** ई-वेस्ट, इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरी (LIB), परमानेंट मैग्नेट और कैटेलिटिक कन्वर्टर्स पर फोकस करें।
- **स्कोप: ग्रीनफील्ड** (नए) और **ब्राउनफील्ड** (मॉडर्नाइजेशन) दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए रजिस्टर्ड भारतीय रीसाइक्लर्स के लिए खुला है ।

महत्व

- **सप्लाई चेन रेजिलिएंस:** माइनिंग के ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन (जैसे, चीन) की वजह से होने वाली ग्लोबल रुकावटों की कमज़ोरी को कम करता है।
- **आर्थिक असर: इससे** मिनरल इंपोर्ट पर खर्च होने वाले **₹80,000 करोड़** से ज़्यादा के सालाना फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो को रोकने में मदद मिलती है ।
- **एनवायर्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी:** "अर्बन माइनिंग" को बढ़ावा देता है, जिससे पारंपरिक प्राइमरी माइनिंग से जुड़े एनवायर्नमेंटल फुटप्रिंट को कम किया जा सके।

चुनौतियां

- **कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर:** अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर से ई-वेस्ट और इस्तेमाल हो चुकी बैटरी को अच्छे से इकट्ठा करना एक लॉजिस्टिक रुकावट बनी हुई है।
- **टेक्नोलॉजिकल कमी:** मुश्किल वेस्ट स्ट्रीम से हाई-प्योरिटी निकालने के लिए एडवांस्ड, अक्सर महंगी, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है।
- **मार्केट में उतार-चढ़ाव:** दुनिया भर में वर्जिन मिनरल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रीसायकल किए गए

मिनरल की कीमत की कॉम्पिटिटिवनेस पर असर डाल सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **R&D इन्वेस्टमेंट:** कम लागत वाली, ज़्यादा फ़ायदे वाली रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देना।
- **पॉलिसी इंटीग्रेशन:** कचरे का एक रेगुलर फीडस्टॉक पक्का करने के लिए स्कीम को **एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) नॉर्म्स के साथ अलाइन करना।**
- **ग्लोबल स्टैंडर्ड्स:** रीसायकल किए गए मिनरल्स के लिए इंटरनेशनल क्वालिटी बेंचमार्क अपनाना ताकि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके।

निष्कर्ष

क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम, मिनरल सेक्टर में **आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक कदम है** । शहरी माइनिंग को बढ़ावा देकर, भारत सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देते हुए और आर्थिक कमज़ोरी को कम करते हुए अपना टेक्नोलॉजिकल भविष्य सुरक्षित कर सकता है।

एपनिया परीक्षण

प्रसंग

जिसमें ब्रेन डेथ के लिए एकमात्र प्राइमरी असेसमेंट के तौर पर **एपनिया टेस्ट** के भरोसे को चुनौती दी गई है । केरल के एक डॉक्टर की फाइल की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह टेस्ट मेडिकली पक्का नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है , और इससे उसी ब्रेन डेथ की संभावना हो सकती है जिसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

एपनिया टेस्ट के बारे में

- **यह क्या है: ब्रेनस्टेम डेथ का** पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक ज़रूरी क्लिनिकल प्रक्रिया । यह पता लगाता है कि क्या ब्रेनस्टेम, जो सांस लेने जैसे ऑटोमैटिक कामों को कंट्रोल करता है, हमेशा के लिए काम करना बंद कर चुका है।
- **यांत्रिकी:**
  - **ट्रिगर:** एक स्वस्थ व्यक्ति में, खून में **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का बढ़ता लेवल एक नेचुरल अलार्म की तरह काम करता है, जो दिमाग को सांस लेने का सिग्नल देता है।**
  - **चुनौती: डॉक्टर अस्थायी रूप से वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करते हैं ताकि CO_2 को ≥ 60 mmHg** की सीमा तक बढ़ने (हाइपरकैप्निया) दिया जा सके ।
  - **नतीजा:** अगर मरीज़ ज़्यादा CO_2 और एसिडिक ब्लड pH (< 7.30) होने के बावजूद सांस लेने की कोई कोशिश (हांफना या छाती हिलाना) नहीं करता है, तो टेस्ट ब्रेन डेथ के लिए पॉजिटिव है।

कानूनी और चिकित्सा विवाद (2026)

- **पिटीशनर का तर्क:** डॉ. एस. गणपति ने कहा कि एपनिया टेस्ट "रिस्की और सब्जेक्टिव" है। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर हटाने से दिमाग में खून का बहाव कम हो सकता है, जिससे दिमाग को ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, जो वरना ठीक हो सकता था।
- **"कन्फर्मेटरी" बहस:** याचिका में कहा गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर, WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से, एपनिया टेस्ट को तय करने का **अकेला** आधार होने के बजाय एक **कन्फर्मेटरी कदम होना चाहिए।**
- **सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई:** जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने चिंताओं में "सच्चाई की झलक" देखी और **नई दिल्ली के AIIMS में न्यूरोलॉजी के हेड को** टेस्ट की साइंटिफिक वैलिडिटी का रिव्यू करने और जुलाई 2026 तक रिपोर्ट देने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया।

सुझाए गए विकल्प

पिटीशन में **ऐसे एंसिलरी (सप्लीमेंटल) टेस्ट की वकालत की गई है** जो ब्रेन इनएक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव, वेरिफाइड डेटा देते हैं:

1. **सेरेब्रल एंजियोग्राफी:** यह साबित करने के लिए कि दिमाग में खून का बहाव पूरी तरह से नहीं है।
2. **इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG):** दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की कमी को रिकॉर्ड करने के लिए।
3. **रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन:** "हॉलो स्कल" सिंड्रोम (कोई ब्रेन परफ्यूज़न नहीं) की पुष्टि करने के लिए इमेजिंग तकनीक।

महत्व और निहितार्थ

- **ऑर्गन डोनेशन: ब्रेन डेथ सर्टिफ़िकेशन , ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिशूज़ एक्ट (THOTA), 1994** के तहत "कैडवेरिक" ऑर्गन रिट्रीवल के लिए कानूनी शर्त है ।
- **ट्रांसपेरेंसी:** क्रिटिक्स का कहना है कि दूसरे टेस्ट के उलट, प्राइवेट हॉस्पिटल में एपनिया टेस्ट की वीडियोग्राफी बहुत कम होती है, जिससे ऑर्गन हार्वेस्टिंग को आसान बनाने के लिए "मैकेनिकल" सर्टिफिकेशन का डर रहता है।
- **देखभाल का स्टैंडर्ड:** SC के दखल का मकसद एक ज़्यादा मज़बूत, "फुलप्रूफ़" प्रोटोकॉल बनाना है जो ऑर्गन डोनेशन इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी बनाए रखते हुए मरीज़ों के अधिकारों की रक्षा करे।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू भारतीय मेडिकल कानून में एक अहम मोड़ है। हालांकि एपनिया टेस्ट अभी भी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इमेजिंग (जैसे EEG या एंजियोग्राम) को जोड़ने की तरफ कदम उठाने से यह फिर से तय हो सकता है कि भारत जीवन के अंत को कैसे सर्टिफ़ाई करता है, और यह पक्का हो सकता है कि अंगदान का "नेक काम" कभी भी प्रोसेस से जुड़े शक से धुंधला न हो।

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)

प्रसंग

प्रधानमंत्री के एक टेलीविज़न भाषण को लेकर चिंता जताई गई। आलोचकों ने आरोप लगाया कि **दूरदर्शन** और **ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी मीडिया द्वारा किए गए इस ब्रॉडकास्ट ने,** चुनावी माहौल में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके और खास विपक्षी पार्टियों को टारगेट करके, मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट (MCC) का उल्लंघन किया ।

आदर्श आचार संहिता के बारे में

- **यह क्या है: यह भारत के चुनाव आयोग (ECI)** द्वारा जारी गाइडलाइंस का एक सेट है, जो राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के व्यवहार को रेगुलेट करता है ताकि सबको **बराबर मौका मिल सके** ।
- **लीगल स्टेटस: यह कोई कानूनी कानून नहीं है, बल्कि आम सहमति पर बना डॉक्यूमेंट है। इसे आर्टिकल 324** के तहत ECI की संवैधानिक शक्तियों से अधिकार मिलता है।
- **विकास की समयरेखा:**
  - **1960:** केरल विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ।
  - **1968:** ECI ने इसे औपचारिक रूप दिया और पूरे देश में फैलाया।
  - **1979: पार्ट VII को खास तौर पर "पावर में पार्टी" को** रेगुलेट करने के लिए जोड़ा गया था ।
  - **1991:** CEC **टीएन शेषन के तहत** , MCC को पहली बार सख्ती से लागू किया गया, जो गलत कामों के लिए एक बड़ी रुकावट बन गया।

प्रमुख विशेषताऐं

सामान्य आचरण

- ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाता है जो जातियों, धर्मों या समुदायों के बीच मतभेद बढ़ाती हैं या आपसी नफ़रत पैदा करती हैं।
- दूसरी पार्टियों की आलोचना उनकी पॉलिसी और पिछले रिकॉर्ड तक ही सीमित होनी चाहिए; पर्सनल अटैक या बिना वेरिफ़ाई किए आरोप मना हैं।

भाग VII: सत्ता में पार्टी

- **पब्लिक रिसोर्स:** मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, जिसमें ट्रांसपोर्ट (हवाई जहाज, गाड़ियां) या कर्मचारी शामिल हैं, का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- **पब्लिसिटी:** सरकार चुनावी फ़ायदे के लिए अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए सरकारी खजाने के खर्च पर विज्ञापन जारी नहीं कर सकती।
- **मास मीडिया:** सरकारी मीडिया (दूरदर्शन/AIR) का गलत इस्तेमाल किसी पार्टी की कवरेज या मौजूदा पार्टी का पक्ष लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

बैठकें और मतदान दिवस

- **लॉजिस्टिक्स:** पब्लिक ऑर्डर पक्का करने के लिए पार्टियों को रैलियों की जगह/समय के बारे में लोकल पुलिस को बताना होगा।
- **साइलेंस पीरियड: पोलिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले** सभी कैंपेन बंद हो जाने चाहिए (RPA, 1951 का सेक्शन 126)।

महत्व

- **निष्पक्षता:** "इनकंबेंसी फैक्टर" को रूलिंग पार्टी को गलत फायदा देने से रोकता है।
- **एथिकल स्टैंडर्ड:** हालांकि इसमें कानूनी "असर" नहीं है (इससे सीधे जेल नहीं हो सकती), लेकिन इसके उल्लंघन पर **निंदा** , पार्टी की मान्यता का सस्पेंशन, या पब्लिक में "नाम लेकर शर्मिंदा करना" हो सकता है।
- **नैतिक भार: यह अनुच्छेद 324 के तहत "शक्ति के भंडार" पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जैसा कि** *मोहिंदर सिंह गिल बनाम सीईसी (1978)* में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था ।

मौजूदा चुनौतियाँ (2026 अपडेट)

- **स्टेट रिसोर्स यूटिलाइजेशन:** PM के ब्रॉडकास्ट से जुड़ा हालिया विवाद इस बहस को दिखाता है कि "ऑफिशियल ड्यूटी" कहां खत्म होती है और "इलेक्शन प्रचार" कहां से शुरू होता है।
- **सोशल मीडिया और AI:** ECI को "डीपफेक" और AI से बने कंटेंट से जूझना पड़ा है। 2026 में, ECI ने यह ज़रूरी कर दिया कि सभी AI से बदले गए कैंपेन मटीरियल को पता चलने के 3 घंटे के अंदर **"सिंथेटिक कंटेंट" के तौर पर लेबल किया जाना चाहिए।**
- **कानूनी बनाम नैतिक:** MCC को कानूनी समर्थन (इसे कानून बनाने) देने की लगातार मांग हो रही है। हालांकि, ECI अक्सर इसका विरोध करता है, उसे डर है कि कानूनी देरी से चुनाव के छोटे समय में कोड बेअसर हो जाएगा।
- **धारा 123 (3) आरपीए:** *अभिराम सिंह बनाम सीडी कॉमाचेन* में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि

मतदाता (न कि केवल उम्मीदवार) के धर्म/जाति के आधार पर अपील "भ्रष्ट आचरण" है।

निष्कर्ष

आदर्श आचार संहिता भारतीय चुनावी ईमानदारी की नींव बनी हुई है। हालांकि यह 2026 में AI जैसी नई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन इसका मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि राज्य की ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक मुकाबले को खत्म करने के लिए न हो, यह इसकी सबसे ज़रूरी और विवादित खासियत बनी हुई है।

गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (एमटीपी) अधिनियम

प्रसंग

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट को** और कानूनी सुधार की ज़रूरत है। कोर्ट ने अनचाहे गर्भ की बढ़ती मुश्किलों, खासकर नाबालिगों की मेंटल हेल्थ और देर से होने वाले अबॉर्शन के लिए कानूनी मदद लेने में होने वाली देरी से बेहतर तरीके से निपटने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

समाचार के बारे में

- **यह क्या है:** MTP एक्ट एक ज़रूरी सोशल-हेल्थकेयर कानून है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को खास हालात में प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क देता है।
- **विकास:**
  - **ओरिजिनल एक्ट (1971): शांतिलाल शाह कमेटी की सिफारिशों** के बाद IPC के तहत क्रिमिनल अबॉर्शन का एक सुरक्षित विकल्प देने के लिए बनाया गया था।
  - **बड़ा बदलाव (2021):** MTP **(अमेंडमेंट) एक्ट, 2021 ने** अविवाहित महिलाओं को शामिल करने और प्रेग्नेंसी लिमिट बढ़ाने के लिए कानून को मॉडर्न बनाया।
- **मुख्य उद्देश्य:** रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पक्का करना और असुरक्षित, बिना नियम वाले अबॉर्शन से होने वाली माँ की मौत की दर को कम करना, साथ ही गर्भपात करवाने वाली की इज़्ज़त और गोपनीयता को सुरक्षित रखना।

मुख्य विशेषताएं (2021 संशोधन के बाद)

विशेषता	प्रावधान
ऊपरी गर्भधारण सीमा	स्पेशल कैटेगरी (रेप सर्वाइवर, नाबालिग, दिव्यांग) के लिए **24 हफ़्ते ;** जनरल केस के लिए **20 हफ़्ते ।**
चिकित्सा राय	20 हफ़्ते तक **एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है;** 20-24 हफ़्ते तक **दो डॉक्टरों की ज़रूरत होती है।**
भ्रूण संबंधी असामान्यताएं	अगर स्टेट-लेवल मेडिकल बोर्ड भ्रूण में बड़ी गड़बड़ियों की पुष्टि करता है, तो **कोई ऊपरी सीमा लागू नहीं होती है।**
वैवाहिक स्थिति	**अविवाहित महिलाओं और उनके पार्टनर** के लिए (खासकर गर्भनिरोधक फेल होने पर)।
गोपनीयता	पहचान की सख्त सुरक्षा; प्राइवेसी का उल्लंघन एक सज़ा वाला अपराध है।

महत्व

- **अधिकार-आधारित तरीका:** यह फोकस को "प्रोवाइडर-सेंट्रिक" से "महिला-सेंट्रिक" पर शिफ्ट करता है, और महिलाओं को अपने शरीर पर ऑटोनॉमी को मानता है।
- **पब्लिक हेल्थ पर असर:** "झोलाछाप डॉक्टरों" या असुरक्षित गैर-कानूनी तरीकों के इस्तेमाल को रोकता है, जिनका पहले भारत में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में काफी योगदान रहा है।
- **सबको शामिल करना:** कॉन्ट्रासेप्टिव फेल होने पर "शादीशुदा" होने की ज़रूरत को हटाकर, कानून मॉडर्न रिश्तों की सच्चाई और सभी महिलाओं के बराबर अधिकारों को पहचानता है।

वर्तमान चुनौतियाँ

- **न्यायिक दखल:** 2021 के संशोधनों के बावजूद, कई महिलाएं अभी भी मेडिकल बोर्ड के सख्त फैसलों के कारण 24 हफ़्ते से ज़्यादा समय के बाद गर्भपात के लिए हाई कोर्ट जाने को मजबूर महसूस करती हैं।
- **ग्रामीण इलाकों में पहुंच:** हालांकि कानून प्रोग्रेसिव है, लेकिन टियर-3 शहरों और गांवों में दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (20-24 हफ़्ते के लिए ज़रूरी) अक्सर कम मिलते हैं।
- **नाबालिगों के लिए मुश्किल: POCSO एक्ट** (जो कम उम्र में सेक्स की रिपोर्टिंग ज़रूरी बनाता है) और **MTP एक्ट (जो गोपनीयता पक्का करता है)** का मेल प्रेग्नेंट नाबालिगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों के लिए "कानूनी तौर पर परेशानी" पैदा करता है।
- **मेंटल हेल्थ का मतलब:** कोर्ट अभी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या "मेंटल एगोनी" का मतलब और बड़े पैमाने पर निकाला जाना चाहिए ताकि उन मामलों में

टर्मिनेशन की इजाज़त मिल सके जहाँ प्रेग्नेंसी टेक्निकली हेल्दी है लेकिन सोशली या साइकोलॉजिकली खतरनाक है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कानूनी सुधार:** "मेडिकल बोर्ड" प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक्ट में बदलाव करना, ताकि तेज़ी से फ़ैसले (48–72 घंटों के अंदर) हों और रेड टेप के कारण प्रेग्नेंसी की लिमिट खत्म न हो।
- **डीसेंट्रलाइज़ेशन:** स्टेट-लेवल बोर्ड पर बोझ कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट-लेवल के अस्पतालों को लेट-टर्म केस संभालने के लिए मज़बूत बनाना।
- **जागरूकता:** मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को POCSO बनाम MTP की कानूनी बारीकियों के बारे में ट्रेनिंग देना, ताकि यह पक्का हो सके कि नाबालिग प्रोवाइडर की कानूनी कार्रवाई के डर के बिना सुरक्षित अबॉर्शन करवा सकें।
- **टेक्नोलॉजिकल मदद:** दूर-दराज के इलाकों में 20-24 हफ़्ते के ब्रैकेट के तहत ज़रूरी सेकेंडरी मेडिकल राय के लिए टेली-मेडिसिन का इस्तेमाल करना।

निष्कर्ष

MTP एक्ट भारत के सबसे प्रोग्रेसिव कानूनों में से एक है। हालांकि, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून को लगातार बदलते रहना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ फीटल वायबिलिटी को बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि रिप्रोडक्टिव राइट्स सिर्फ कागज़ पर लीगल न हों, बल्कि असल में भी मिल सकें।

हैन्टावायरस का प्रकोप

प्रसंग

अटलांटिक महासागर में नीदरलैंड के क्रूज़ शिप **MV होंडियस पर सांस की गंभीर बीमारियों के एक क्लस्टर की रिपोर्ट दी। यह बीमारी अप्रैल में अर्जेंटीना से एक सफ़र के दौरान शुरू हुई थी,** जिसके कारण **तीन मौतें हुईं** और कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जिसके कारण कई देशों में पब्लिक हेल्थ जांच शुरू हुई।

समाचार के बारे में

- **यह क्या है:** हैन्टावायरस वायरस का एक परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों से फैलता है और गंभीर सांस या गुर्दे की बीमारियों का कारण बनता है।
- **घटना:**
  - MV होंडियस **, अर्जेंटीना के उशुआइया से** साउथ अटलांटिक के रास्ते एक अभियान पर निकला।
  - 6 मई, 2026 तक, **आठ मामले** (तीन कन्फर्म, पांच सस्पेक्टेड) पहचाने गए थे।
  - **मौतें:** तीन यात्रियों की कॉम्प्लीकेशंस की वजह से मौत हो गई; बाकी लोगों को मेडिकली साउथ अफ्रीका और स्विट्ज़रलैंड ले जाया गया।
- **कन्फर्म स्ट्रेन:** साउथ अफ्रीका और स्विस अधिकारियों के लैब टेस्ट से **एंडीज़ वायरस (ANDV) कन्फर्म हुआ है** , जो एक साउथ अमेरिकन स्ट्रेन है और इंसानों से इंसानों में फैलने की अपनी क्षमता के लिए खास है।

हैन्टावायरस को समझना

- **उत्पत्ति: इसका नाम** दक्षिण कोरिया की **हनतान नदी** के नाम पर रखा गया है, जहाँ इसे पहली बार 1970 के दशक में पहचाना गया था।
- **प्राइमरी वेक्टर:** रोडेंट्स, जिसमें हिरण चूहे, कॉटन चूहे और राइस चूहे शामिल हैं।
- **ट्रांसमिशन के तरीके:**
  1. **एरोसोलाइज़ेशन (सबसे आम):** चूहे की बीट, पेशाब या लार से खराब धूल को सांस के ज़रिए अंदर लेना।
  2. **डायरेक्ट कॉन्टैक्ट:** खराब सतहों को छूना और फिर चेहरे को छूना।
  3. **इंसान से इंसान में:** बहुत कम, लेकिन खास तौर पर **एंडीज़ वायरस के साथ** , लंबे समय तक करीबी संपर्क से होने पर देखा गया है।
- **क्लिनिकल सिंड्रोम:**
  1. **हैन्टावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS):** सांस लेने में गंभीर दिक्कत; अमेरिका में आम।
  2. **हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम (HFRS):** किडनी फेलियर और ब्लीडिंग; यूरोप और एशिया में ज़्यादा आम है।

लक्षण और निदान

- **इन्क्यूबेशन पीरियड:** आमतौर पर **1 से 8 हफ़्ते** ।
- **शुरुआती दौर:** बुखार, थकान और मांसपेशियों में तेज़ दर्द (पीठ, कूल्हे और जांघों में)। कुछ मरीज़ों को चक्कर आना और पेट से जुड़ी दिक्कतें होती हैं।
- **लेट फेज़ (HPS):** शुरुआती लक्षणों के 4–10 दिन बाद होता है। इसमें खांसी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और फेफड़ों में पानी भरना शामिल है।
- **मौत की दर:** HPS बहुत जानलेवा है, इसकी मौत की दर लगभग **38% से 40% है** ।

वर्तमान चुनौतियाँ और प्रतिक्रिया

- **कंटेनमेंट:** MV होंडियस को **काबो वर्डे के तट पर रोक लिया गया** , क्योंकि अधिकारी लोगों को निकालने और सफ़ाई के प्रोटोकॉल को कोऑर्डिनेट कर रहे थे।

- **कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग:** अधिकारी अभी 23 देशों में उतरे यात्रियों को ट्रैक कर रहे हैं ताकि एंडीज़ स्ट्रेन को और फैलने से रोका जा सके।
- **उपचार की सीमाएँ:**
  - कोई खास वैक्सीन या एंटीवायरल दवा मौजूद नहीं है।
  - मैनेजमेंट **इंटेंसिव केयर (ICU)** सपोर्ट पर निर्भर करता है, जिसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन और फ्लूइड मॉनिटरिंग शामिल है।
- **रिस्क असेसमेंट:** WHO अभी दुनिया भर की आम आबादी के लिए रिस्क को **कम मानता है** , क्योंकि वायरस खुली जगहों पर आसानी से नहीं फैलता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **एनवायरनमेंटल सेफ्टी:** चूहों वाले इलाकों में जहाज़ों और ट्रैवल ऑपरेटरों को सख्त पेस्ट कंट्रोल लागू करना चाहिए और "ड्राई स्वीपिंग" से बचना चाहिए, जिससे वायरस हवा में फैल सकता है।
- **जल्दी पता लगाना:** जिन मरीज़ों को सांस लेने में गंभीर दिक्कत है और जो हाल ही में इस बीमारी वाले इलाकों (जैसे, साउथ अमेरिका) से आए हैं, उनमें हैन्टावायरस के बारे में डॉक्टरों में जागरूकता बढ़ाना।
- **रिसर्च:** इस क्लस्टर में देखे गए इंसान-से-इंसान में ट्रांसमिशन की सीमा को समझने के लिए मौजूदा स्ट्रेन की जीनोमिक सीक्वेंसिंग में तेज़ी लाना।
- **ग्लोबल कोऑर्डिनेशन:** बड़े पोर्ट और ट्रांज़िट हब पर तेज़ी से डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पक्का करने के लिए "वन हेल्थ" लैबोरेटरी पहल को मज़बूत करना।

निष्कर्ष

MV होंडियस का आउटब्रेक क्रूज़ के माहौल में रेयर पैथोजन्स के लिए कितना कमज़ोर है, यह दिखाता है। हालांकि आम तौर पर खतरा कम रहता है, लेकिन एंडीज़ वायरस की पुष्टि से साफ़-सफ़ाई और तेज़ी से इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है ताकि लोकल क्लस्टर्स को बड़े पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा बनने से रोका जा सके।

चिकित्सा और कल्याण पर्यटन

प्रसंग

मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) में ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है । हाई-एंड क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पारंपरिक **आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) सिस्टम** के साथ जोड़कर , देश इलाज और बचाव दोनों तरह की हेल्थकेयर के लिए एक मुख्य जगह बन गया है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म में मुश्किल क्लिनिकल इलाज (मेडिकल) या होलिस्टिक, प्रिवेंटिव वेल-बीइंग थेरेपी (वेलनेस) के लिए भारत की यात्रा करना शामिल है।
- **मुख्य सांख्यिकी (2025-2026):**
  - **मार्केट वैल्यू: 2025 में USD 8.7 बिलियन** होने का अनुमान है , 2030 तक **USD 16.2 बिलियन** तक पहुंचने का अनुमान है ।
  - **मरीज़ों की आमद: 2025 में इलाज के लिए 507,000** से ज़्यादा विदेशी नागरिक आए, जो कुल विदेशी आने वालों का 5.5% है।
  - **ग्लोबल स्टैंडिंग:** मेडिकल टूरिज्म में भारत दुनिया भर में **10वें और** वेलनेस टूरिज्म में **12वें स्थान पर है।**
  - **प्राइमरी मार्केट:** बांग्लादेश सबसे आगे (3.25 लाख मरीज़), उसके बाद इराक, उज़्बेकिस्तान और सोमालिया हैं।

एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता

चिकित्सा पर्यटन (उपचारात्मक)

- **कॉस्ट एफिशिएंसी:** अच्छी क्वालिटी की सर्जरी का खर्च US या UK के मुकाबले **60-80% कम होता है ।**
- **मान्यता प्राप्त इंफ्रास्ट्रक्चर: 1,299** से ज़्यादा **NABH-मान्यता प्राप्त अस्पताल** , जिनमें से कई के पास JCI (जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल) सर्टिफ़िकेशन है।
- **एक्सपर्ट वर्कफोर्स: 1.2 मिलियन रजिस्टर्ड डॉक्टरों** का एक पूल यह पक्का करता है कि भारत WHO के बताए गए डॉक्टर-पॉपुलेशन रेश्यो को पूरा करे।
- **कम से कम इंतज़ार का समय:** ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑन्कोलॉजी जैसी स्पेशलाइज़्ड देखभाल तक तुरंत पहुँच।

वेलनेस टूरिज्म (निवारक)

- **इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी:** योग और आयुर्वेद की जन्मभूमि होने के नाते, भारत होलिस्टिक हीलिंग के लिए "ओरिजिनल ब्रांड" है।
- **इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट: एक डेडिकेटेड आयुष मिनिस्ट्री और** जामनगर में **WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर** की स्थापना ।
- **ग्लोबल डिमांड में बदलाव:** नेचुरोपैथी और पंचकर्म के ज़रिए लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को मैनेज करने में इंटरनेशनल लेवल पर दिलचस्पी बढ़ रही है।

सरकारी पहल

- **हील इन इंडिया:** एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो भारत को एक प्रीमियर इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर डेस्टिनेशन के तौर पर पोज़िशन करता है।

- **वीज़ा सुविधा: ई-मेडिकल वीज़ा** और खास **आयुष वीज़ा** की शुरुआत (जुलाई 2023 में लॉन्च)।
- **रीजनल मेडिकल हब:** 2026-27 के बजट में रिसर्च, क्लिनिकल केयर और आयुष को मिलाकर **पांच इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव रखा गया।**
- **क्वालिटी स्टैंडर्ड:** दुनिया भर में भरोसा बनाने के लिए मेडिकल वेलनेस सेवाओं के लिए **ISO 22525** को अपनाना ।
- **डिजिटल इंटीग्रेशन: MVT पोर्टल को** बुकिंग, पेमेंट और ऑपरेशन के बाद टेलीकंसल्टेशन के लिए वन-स्टॉप-शॉप के तौर पर अपग्रेड करना ।

चुनौतियां

- **ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन:** सर्विसेज़ ज़्यादातर साउथ और वेस्ट इंडिया (दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर) में हैं, जिससे दूसरे इलाकों में सर्विस कम मिल पाती है।
- **भाषा की दिक्कतें:** पैरामेडिकल स्टाफ और गाइड की कमी, जो अरबी, फ्रेंच या रशियन जैसी भाषाएं जानते हों।
- **अनऑर्गनाइज़्ड फ़ैसिलिटेटर:** अनरजिस्टर्ड एजेंट होने से प्राइस एक्सप्लॉइटेशन और भरोसे में कमी हो सकती है।
- **इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी:** इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स से पारंपरिक AYUSH इलाज को कवर करवाने में मुश्किलें बनी हुई हैं।
- **सोच से जुड़ी दिक्कतें:** कुछ ग्लोबल मार्केट अभी भी पारंपरिक दवा को सबूत पर आधारित के बजाय "विकल्प" के तौर पर देखते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **रिसर्च बढ़ाना:** क्लिनिकल सबूत और हाई-एंड रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नए **ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट** बनाना ।
- **स्किल डेवलपमेंट:** 10,000+ गाइड और स्टाफ को अलग-अलग कल्चर और विदेशी भाषाओं में अपस्किल करना।
- **लॉजिस्टिकल सपोर्ट:** आसान इमिग्रेशन के लिए बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर **MVT कंसीयज लाउंज** बनाएं ।
- **स्टैंडर्डाइज़ेशन:** ग्लोबल हेल्थ बोर्ड के साथ तालमेल बिठाने के लिए आयुर्वेदिक नतीजों के सख्त साइंटिफिक वैलिडेशन को बढ़ावा दें।
- **मार्केटिंग सिनर्जी:** मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को "इनक्रेडिबल इंडिया" ब्रांड में शामिल करें ताकि एक रेगुलेटेड और भरोसेमंद ग्लोबल हीलिंग हब बनाया जा सके।

निष्कर्ष

USD 115 बिलियन के ग्लोबल MVT मार्केट में एक मज़बूत खिलाड़ी बनाती है । स्टैंडर्डाइज़ेशन और डिजिटल सुविधा के ज़रिए इलाज और बचाव की देखभाल के बीच के अंतर को कम करके, भारत दुनिया भर में पूरी हेल्थ क्रांति को लीड करने के लिए तैयार है।

भारत का जल संकट

संकट: प्रचुरता के बीच कमी

भारत अभी अपनी सबसे बड़ी इकोलॉजिकल चुनौतियों में से एक से जूझ रहा है। हालांकि देश में **दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है** , लेकिन इसके पास **दुनिया के रिन्यूएबल पानी के संसाधनों का सिर्फ़ 4% ही है** ।

- **पानी की कमी:** नीति आयोग के *कम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स में* चेतावनी दी गई है कि लगभग **600 मिलियन लोग** बहुत ज़्यादा से लेकर बहुत ज़्यादा पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।
- **के लिए पानी की कमी:** पहले, हर व्यक्ति के लिए पानी की उपलब्धता 5,000 क्यूबिक मीटर थी। आज, यह आंकड़ा गिरकर लगभग **1,400 क्यूबिक मीटर हो गया है** , जो 1,700 क्यूबिक मीटर की इंटरनेशनल "पानी की कमी" की लिमिट को पार कर गया है।

कमी के मूल कारण

1. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम रिचार्ज हर साल अच्छी-खासी बारिश होने के बावजूद, "ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर" (कंक्रीट की सड़कें और इमारतें) के तेज़ी से बढ़ने से ऐसी सतहें बन गई हैं जो पानी को सोख नहीं सकतीं। इससे बारिश का पानी ज़मीन में रिसकर एक्वीफ़र को रिचार्ज नहीं कर पाता, जिससे शहरों में बहुत ज़्यादा पानी बहता है और ताज़ा पानी बर्बाद होता है।

2. ग्राउंडवाटर का ज़्यादा इस्तेमाल भारत दुनिया में ग्राउंडवाटर का सबसे बड़ा यूज़र है। शहरों में इस्तेमाल और ज़्यादा पानी लेने वाली फसलों (जैसे गन्ना और धान) के लिए गहरे बोरवेल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से ज़्यादातर राज्यों में वॉटर टेबल तेज़ी से गिरा है।

3. खेती में कमी भारत में मौजूद ताज़े पानी का 80% से ज़्यादा खेती में खर्च हो जाता है । बाढ़ से सिंचाई के पुराने तरीके बहुत खराब हैं, जिससे बहुत ज़्यादा भाप बनती है और पानी बर्बाद होता है।

शासन और संरचनात्मक विफलताएँ

भारत में वॉटर मैनेजमेंट में **इंस्टीट्यूशनल बंटवारा है** । ज़िम्मेदारी कई लेवल पर बंटी हुई है:

- **संघ स्तर:** जल शक्ति मंत्रालय (नीति और प्रमुख परियोजनाएं)।

- **राज्य स्तर:** संविधान के तहत पानी एक "राज्य का विषय" है, जिससे राज्यों के बीच नदी विवाद होते हैं (जैसे, कावेरी या SYL नहर)।
- **लोकल लेवल:** नगर पालिकाओं और पंचायतों को मेंटेनेंस और लास्ट-माइल डिलीवरी में दिक्कत होती है।

एक जैसा कमांड स्ट्रक्चर न होने की वजह से अक्सर अधिकार क्षेत्र एक-दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं और प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी होती है।

टिकाऊ समाधान

पानी से जुड़ा भविष्य पक्का करने के लिए, कई तरह के तरीकों की ज़रूरत है:

- **स्मार्ट खेती:** माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम) की तरफ बढ़ना और किसानों को पानी की कमी झेलने वाली फसलें या बाजरा उगाने के लिए बढ़ावा देना।
- **रेनवॉटर हार्वेस्टिंग:** शहरी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को ज़रूरी बनाना और पारंपरिक वॉटर बॉडीज़ (जैसे *बावड़ी* और *अमृत सरोवर*) को ठीक करना।
- **जल जीवन मिशन:** हर ग्रामीण घर में चालू घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) देने के लक्ष्य को तेज़ी से पूरा करना, और यह पक्का करना कि पानी का सोर्स खुद टिकाऊ हो।
- **डीसेलिनेशन और रीसाइक्लिंग:** तटीय शहरों के लिए डीसेलिनेशन प्लांट में निवेश करना और इंडस्ट्रियल और फ्लशिंग इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर गंदे पानी का ट्रीटमेंट करना।

निष्कर्ष

भारत का पानी का संकट सिर्फ़ पानी की कमी का नतीजा नहीं है, बल्कि **मिसमैनेजमेंट का** भी नतीजा है। "सप्लाई-साइड" फोकस से "डिमांड-साइड" मैनेजमेंट पर ध्यान देकर, जहाँ हर बूंद का हिसाब रखा जाता है और उसे रीसायकल किया जाता है, भारत अपने बड़े शहरों में "डे ज़ीरो" तक पहुँचने के खतरे को कम कर सकता है। पानी की सुरक्षा पक्का करना एक मज़बूत और विकसित देश के लिए सबसे ज़रूरी नींव है।

रिटेल बनाम होलसेल महंगाई

भारत में, महंगाई को दो मुख्य इंडेक्स के ज़रिए ट्रैक किया जाता है, जो अपने पॉइंट ऑफ़ सेल, कमोडिटी बास्केट और उन्हें मॉनिटर करने वाली सरकारी एजेंसियों में अलग-अलग होते हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)

- **परिभाषा:** रिटेल लेवल पर **सामान और सर्विस** की एक बास्केट की कीमत में बदलाव को मापता है (वह कीमत जो कंज्यूमर चुकाते हैं)।
- **यूटिलिटी: यह** इन्फ्लेशन टारगेटिंग और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए **रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI)** द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्राइमरी टूल है ।
- **अथॉरिटी:** डेटा हर महीने **नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) द्वारा जारी किया जाता है** , जो मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) के तहत आता है।
- **नोट:** लेबर ब्यूरो खास तौर पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW), एग्रीकल्चरल लेबरर्स (CPI-AL), और रूरल लेबरर्स (CPI-RL) के लिए CPI डेटा जारी करता है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

- **परिभाषा: यह सिर्फ़** होलसेल लेवल (बिज़नेस के बीच बल्क ट्रांज़ैक्शन) पर **सामान** की कीमत में बदलाव को मापता है । इसमें सर्विसेज़ शामिल नहीं हैं।
- **अथॉरिटी:** डेटा कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत **इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है।**

ज़रूरी अपडेट: बेस ईयर और बास्केट

हाल के स्ट्रक्चरल अपडेट यह पक्का करते हैं कि महंगाई और प्रोडक्शन डेटा आज के कंजम्पशन पैटर्न को दिखाते हैं।

सूचकांक / मीट्रिक	नया आधार वर्ष	प्रमुख परिवर्तन
भाकपा	**2024**	बास्केट 299 से बढ़कर **358 आइटम हो गया; अब इसमें OTT प्लेटफॉर्म** जैसी डिजिटल सर्विस भी शामिल हैं ।
सकल घरेलू उत्पाद	**2022-23**	महामारी के बाद की आर्थिक गतिविधि को बेहतर ढंग से कैप्चर करने के लिए अपडेट किया गया।
आईआईपी	**2022-23**	मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को दिखाने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स को अपडेट किया गया।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और एमपीसी

भारत एक **फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग** फ्रेमवर्क को फॉलो करता है।

- **टारगेट:** RBI को महंगाई को **4% पर बनाए रखने का आदेश दिया गया है** , जिसमें टॉलरेंस बैंड **+/- 2% (मतलब 2% से 6%** की रेंज) है।
- **कमिटी:** मॉनेटरी **पॉलिसी कमिटी (MPC)** , जो 6 मेंबर वाली बॉडी है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने और प्राइस

स्टेबिलिटी पक्का करने के लिए पॉलिसी रेट्स (जैसे रेपो रेट) तय करने के लिए हर दो महीने में मिलती है।

प्रमुख बैंकिंग और आर्थिक शब्द

आरक्षित अनुपात

- **कैश रिज़र्व रेश्यो (CRR): किसी बैंक के कुल डिपॉज़िट का एक खास परसेंटेज जो RBI के पास कैश में** रखना होता है । बैंक इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं कमाते।
- **स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेश्यो (SLR):** डिपॉजिट का वह हिस्सा जिसे बैंकों को **अपने पास** सोना या सरकारी सिक्योरिटीज़ जैसे लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना होता है।

नीतिगत दरें

- **रेपो रेट:** वह इंटरेस्ट रेट जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है (आमतौर पर सरकारी सिक्योरिटीज़ के बदले)। इस रेट को बढ़ाने से उधार लेना महंगा हो जाता है और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।
- **रिवर्स रेपो रेट:** वह इंटरेस्ट रेट जिस पर बैंक अपना सरप्लस फंड RBI के पास जमा करते हैं। यह बैंकिंग सिस्टम से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्ज़ॉर्ब करने के एक टूल की तरह काम करता है।

आर्थिक अवधारणाएँ

- **स्टैगफ्लेशन:** एक मुश्किल आर्थिक हालत जिसमें **ग्रोथ रुक जाती है** और बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, साथ ही **महंगाई भी ज़्यादा होती है** ।
- **टैक्स बॉयंसी:** टैक्स सिस्टम की एफिशिएंसी का एक इंडिकेटर; यह मापता है कि **ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) में बढ़ोतरी के जवाब में टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ता है** । अगर टैक्स रेवेन्यू GDP से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो टैक्स सिस्टम को बॉयंट माना जाता है।

निष्कर्ष

CPI के लिए 2024 बेस ईयर में बदलाव और डिजिटल सर्विस को शामिल करना भारत की इकोनॉमिक ट्रैकिंग में एक बड़ा मॉडर्नाइज़ेशन दिखाता है। MPC के ज़रिए ग्रोथ और महंगाई के बीच बैलेंस बनाए रखकर, सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि "विकसित भारत" की यात्रा को एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल मैक्रोइकोनॉमिक माहौल का सपोर्ट मिले।

NEET परीक्षा पेपर लीक

प्रसंग

हाल के सालों में, **NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट)** में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के बाद **नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कड़ी जांच हुई है** । इन घटनाओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाइयों को जन्म दिया है, जिससे भारत की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की पवित्रता पर बुनियादी सवाल उठे हैं।

काम करने का तरीका: लीक कैसे होते हैं

एग्जामिनेशन फ्रॉड की मशीनरी एक सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री बन गई है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में कई बार इस्तेमाल होने वाले तरीकों पर रोशनी डाली गई है:

- **कस्टडी की चेन का उल्लंघन:** लीक अक्सर लॉजिस्टिक्स चेन में कमज़ोर जगहों पर होते हैं, जैसे **प्रिंटिंग प्रेस** , स्ट्रांगरूम में **ले जाते समय** , या **तय बैंक वॉल्ट में** जहाँ कागज़ रखे जाते हैं।
- **"गेस पेपर" स्ट्रैटेजी:** चीटिंग करने वाले ग्रुप अक्सर असली लीक हुए सवालों को "सैंपल" या "गेस" पेपर के बड़े सेट में छिपा देते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकारियों से बचने के लिए 500 सवालों वाली बुकलेट में 180 असली सवाल छिपाना।
- **सेफ-हाउस में याद करना:** जो स्टूडेंट्स लीक हुए कंटेंट के लिए पैसे देते हैं, उन्हें अक्सर एग्जाम से एक दिन पहले प्राइवेट जगहों (होटल या स्कूल) में अलग रखा जाता है, सुपरविज़न में जवाब याद करने के लिए मजबूर किया जाता है, और फिर सीधे सेंटर्स पर ले जाया जाता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में सिस्टमिक विफलताएँ

हालांकि NEET इस मामले में सबसे आगे रहा है, लेकिन SSC (स्टाफ सिलेक्शन कमीशन) और KVS (केंद्रीय विद्यालय संगठन) जैसे दूसरे बड़े एग्जाम में भी धांधली के पैटर्न देखे गए हैं:

- **दूर के सेंटर्स में गड़बड़ी:** दूर या कम रेगुलेटेड इलाकों में एग्जामिनेशन सेंटर्स में अक्सर गड़बड़ी होती है।
- **सर्वर मैनिपुलेशन:** कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) में, हैकर्स और लोकल सेंटर के स्टाफ कभी-कभी **रिमोट-एक्सेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं** या लोकल सर्वर छिपा देते हैं ताकि "सॉल्वर" किसी दूसरी जगह से कैंडिडेट की तरफ से एग्जाम दे सकें।
- **लोकल स्टाफ की मिलीभगत:** इनविजिलेटर से लेकर सेंटर कोऑर्डिनेटर तक, लगभग हर बड़ी लीक जांच में "अंदरूनी लोगों" का शामिल होना एक आम बात है।

नैतिक भ्रष्टाचार के मूल कारण

- **एजुकेशन का कमर्शियलाइज़ेशन:** हाई-स्टेक "कोचिंग हब" की भारी ग्रोथ ने एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बना दी है जहाँ रिज़ल्ट को एक कमोडिटी की तरह माना जाता है, जिससे कभी-कभी हाई "सिलेक्शन रेट" बनाए रखने के लिए गलत तरीके अपनाए जाते हैं।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:** स्टैंडर्ड, सरकारी एग्जामिनेशन सेंटर की कमी की वजह से NTA को प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कमजोर हो सकते हैं।

- **बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन और प्रेशर:** कुछ हज़ार सीटों के लिए लाखों कैंडिडेट के बीच मुकाबला होने से, इन एग्जाम का "करो या मरो" वाला नेचर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को ही मुश्किल कदम उठाने पर मजबूर कर देता है।
- **कमज़ोर निगरानी:** पहले, ऑर्गनाइज़्ड चीटिंग सिंडिकेट को टारगेट करने वाला कोई सख़्त, सेंट्रलाइज़्ड कानून न होने की वजह से, कई लोग कानून के बहुत कम डर के साथ काम कर पाते थे।

सरकार की प्रतिक्रिया: एंटी-चीटिंग एक्ट, 2024

जनता का भरोसा वापस लाने के लिए, केंद्र सरकार ने **पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को नोटिफाई किया** । इसकी खास बातें ये हैं:

- **सख्त सज़ा:** ऑर्गनाइज़्ड पेपर लीक के दोषी पाए जाने वाले लोगों को **5 से 10 साल की जेल और ₹1 करोड़** तक का जुर्माना हो सकता है ।
- **इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी:** अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर (जैसे प्राइवेट एग्जाम सेंटर) इसमें शामिल है, तो उन्हें चार साल तक पब्लिक एग्जाम कराने से रोका जा सकता है और उन्हें एग्जाम का पूरा खर्च देना पड़ सकता है।
- **नॉन-बेलेबल अपराध:** इस एक्ट के तहत सभी अपराध कॉग्निज़ेबल और नॉन-बेलेबल हैं, जिससे यह पक्का होता है कि हाई-प्रोफाइल रैकेटियर जांच के दौरान आसानी से रिहा नहीं हो सकते।

निष्कर्ष

NEET एग्जाम से जुड़ा संकट, एग्जामिनेशन बॉडीज़ के "ओवर-सेंट्रलाइज़ेशन" और टेक्नोलॉजी को मज़बूत करने की ज़रूरत के लिए एक चेतावनी है। जहाँ **एंटी-चीटिंग एक्ट, 2024** अपराधियों को सज़ा देने के लिए कानूनी ताकत देता है, वहीं लंबे समय का समाधान सिंगल-विंडो एग्जाम के हाई-स्टेक्स वाले नेचर को कम करने और सुरक्षित, स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट नेशनल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने में है।

नॉन-टैरिफ बैरियर (NTBs)

प्रसंग

2026 की रिपोर्ट ' *इनविज़िबल बैरियर्स: द कॉस्ट्स ऑफ़ नॉन-टैरिफ़ मेज़र्स' में*, UNCTAD (यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट) ने ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में एक बड़े बदलाव का खुलासा किया है। **नॉन-टैरिफ़ बैरियर्स (NTMs) अब 88% देशों के** लिए ट्रेडिशनल कस्टम्स टैरिफ़ की तुलना में ज़्यादा ट्रेड कॉस्ट लगाते हैं , जो कॉम्प्लेक्स ट्रेड प्रोटेक्शनिज़्म के एक नए दौर का संकेत है।

नॉन-टैरिफ बैरियर (NTBs) के बारे में

- **परिभाषा:** नॉन-टैरिफ बैरियर, आम कस्टम टैरिफ के अलावा, पॉलिसी के ऐसे उपाय हैं जिनका सामान के इंटरनेशनल ट्रेड पर आर्थिक असर पड़ता है।
- **"अदृश्य बाधा":** जबकि टैरिफ इम्पोर्ट पर एक सीधा टैक्स है, NTB एक अदृश्य बाधा है जैसे कि कोई खास सुरक्षा नियम, पैकेजिंग स्टैंडर्ड, या वॉल्यूम कोटा जो ट्रेड किए गए सामान की मात्रा या कीमत को बदल देता है।

गैर-टैरिफ उपायों का वर्गीकरण

UNCTAD क्लासिफिकेशन के अनुसार, इन रुकावटों को दो मुख्य स्ट्रीम में बांटा गया है:

1. तकनीकी उपाय

- **सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय:** ये नियम इंसानों, जानवरों या पौधों को कीड़ों, बीमारियों या ज़हरीले पदार्थों (जैसे, इम्पोर्टेड अंगूरों में पेस्टिसाइड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेसिड्यू लेवल) से बचाने के लिए बनाए गए हैं।
- **ट्रेड में टेक्निकल रुकावटें (TBT):** किसी प्रोडक्ट की खासियतों, जैसे साइज़, वज़न, काम या लेबलिंग (जैसे, बच्चों के खिलौनों के लिए खास सुरक्षा स्टैंडर्ड) को कंट्रोल करने वाले नियम।

2. गैर-तकनीकी उपाय

- **क्वांटिटेटिव पाबंदियां:** किसी देश में आने वाले प्रोडक्ट के वॉल्यूम पर सीधी लिमिट (कोटा) या पूरी तरह बैन।
- **प्राइस कंट्रोल के तरीके:** घरेलू कीमतों को सपोर्ट करने या "गलत" प्राइसिंग पर पेनल्टी लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल, जैसे एंटी-डंपिंग ड्यूटी।
- **ओरिजिन के नियम:** "ट्रेड डिफ्लेक्शन" को रोकने या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के फ़ायदों के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए, प्रोडक्ट कहाँ बनाया गया था, इसका सबूत देने वाले सख़्त कानून।
- **इम्पोर्ट लाइसेंसिंग:** सामान को इम्पोर्ट के लिए क्लियर करने से पहले सरकारी परमिट लेने की फॉर्मल ज़रूरतें।

NTB कैसे काम करते हैं

NTBs **कम्प्लायंस में आने वाली रुकावटों की तरह काम करते हैं** , जिन्हें एक एक्सपोर्टर को विदेशी मार्केट में आने के लिए पार करना होता है। इस प्रोसेस में अक्सर ये शामिल होते हैं:

- **सर्टिफ़िकेशन:** प्रोडक्ट के सुरक्षित होने को साबित करने के लिए मान्यता प्राप्त लैब से डॉक्यूमेंट लेना।
- **लेबलिंग में बदलाव:** लोकल भाषा या खास सेफ्टी सिंबल के हिसाब से पैकेजिंग को फिर से डिज़ाइन करना।
- **ऑडिट इंस्पेक्शन:** इंपोर्ट करने वाले देश के अधिकारियों द्वारा फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करवाना ताकि यह पक्का हो सके कि प्रोडक्शन स्टैंडर्ड पूरे हो रहे हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- **दोहरा स्वभाव:** कई NTB के सही मकसद होते हैं (जैसे, पब्लिक हेल्थ, पर्यावरण सुरक्षा), लेकिन अक्सर घरेलू इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिशन से बचाने के लिए उन्हें **छिपे हुए प्रोटेक्शनिज़्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।**
- **इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री:** फिक्स्ड टैरिफ के उलट, NTB अक्सर मुश्किल कानूनी कोड में दबे होते हैं, जिससे छोटे और मीडियम एंटरप्राइज (SME) के लिए उन्हें समझना खास तौर पर मुश्किल हो जाता है।
- **जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी:** मौजूदा ग्लोबल माहौल में, सरकारें सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी टेक और ज़रूरी मिनरल जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए NTM का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं।

एनटीबी का डब्ल्यूटीओ शासन

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) मानता है कि देशों को सुरक्षा के लिए रेगुलेट करने का अधिकार है, लेकिन यह इन नियमों को लागू करता है ताकि ये गलत रुकावटें न बन जाएं:

तंत्र	उद्देश्य
एसपीएस/टीबीटी समझौते	यह आदेश दें कि नियम **साइंटिफिक सबूतों पर आधारित होने चाहिए** और घरेलू और विदेशी सामान के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए।
पारदर्शिता अधिदेश	इसके तहत सदस्य देशों को नए नियमों के बारे में WTO को पहले से बताना होगा, ताकि ट्रेडिंग पार्टनर बदलाव कर सकें या आपत्ति उठा सकें।
विशिष्ट व्यापार चिंताएँ (एसटीसी)	यह किसी देश को दूसरे सदस्य के रेगुलेशन को फॉर्मल तौर पर चुनौती देने की इजाज़त देता है, अगर उन्हें लगता है कि यह बेवजह रोकने वाला है।
क्षमता निर्माण	WTO और UNCTAD के प्रोग्राम, डेवलपिंग देशों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी लैब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं।

निष्कर्ष

नॉन-टैरिफ बैरियर का बढ़ना ग्लोबल कॉमर्स के लिए एक ज़्यादा मुश्किल और मुश्किल रुकावट है। भारत के लिए, इन "दिखाई न देने वाली रुकावटों" को पार करना एक्सपोर्ट बढ़ाने और यह पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि भारतीय प्रोडक्ट बिना किसी रोक-टोक के डेवलप्ड मार्केट के ऊंचे रेगुलेटरी नियमों को पूरा करें।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी)

प्रसंग

नेशनल **जूट बोर्ड ने जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम (JCIS)** को लागू करने का दायरा बढ़ाया है । **ISRO** के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया यह टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म, फसल की मॉनिटरिंग को मॉडर्न बनाने और "गोल्डन फाइबर" वैल्यू चेन को डिजिटाइज़ करने के लिए बनाया गया है।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB) के बारे में

- **परिभाषा:** NJB , भारत सरकार के **कपड़ा मंत्रालय के तहत सर्वोच्च कानूनी निकाय है** , जो जूट क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए जिम्मेदार है।
- **स्थापना: राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008** के तहत **12 फरवरी, 2009** को औपचारिक रूप से अधिनियमित ।
- **मकसद:** नए इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, मिलों को मॉडर्न बनाकर, और ऑर्गनाइज़्ड और डीसेंट्रलाइज़्ड, दोनों सेक्टर के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को आसान बनाकर भारतीय जूट की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना।

एनजेबी के मुख्य कार्य

- **R&D और इनोवेशन:** जूट फाइबर के लिए अलग-अलग तरह के इस्तेमाल की खोज, पारंपरिक पैकेजिंग से लेकर हाई-एंड टेक्निकल टेक्सटाइल और जियो-टेक्सटाइल तक।
- **मॉडर्नाइज़ेशन असिस्टेंस:** जूट मिलों को मशीनरी और प्रोसेसिंग यूनिट्स को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल इंसेंटिव देना।
- **ग्लोबल मार्केट प्रमोशन:** ग्लोबल खरीदारों को भारतीय जूट प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर और एग्ज़िबिशन ऑर्गनाइज़ करना।
- **सोशल वेलफेयर:** जूट वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप इंसेंटिव स्कीम लागू करना और इंडस्ट्री में ऑक्यूपेशनल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को हल करना।
- **टेक्नोलॉजी ट्रांसफर:** जूट प्रोसेसिंग और खेती में लैबोरेटरी इनोवेशन को सीधे किसानों और कारीगरों तक पहुंचाने के लिए एक पुल का काम करना।

जूट फसल सूचना प्रणाली (जेसीआईएस)

- **सहयोग: नेशनल जूट बोर्ड ने ISRO** और **जूट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (JCI)** के साथ मिलकर एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट डिजिटल इकोसिस्टम बनाया है ।
- **उद्देश्य:** जूट की खेती की निगरानी और पैदावार का अनुमान लगाने के लिए बिखरी हुई, मैनुअल रिपोर्टिंग की जगह जियो-रेफरेंस्ड, सबूतों पर आधारित फ्रेमवर्क लाना।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएं

विशेषता	विवरण
उपग्रह निगरानी	यह ISRO के सैटेलाइट डेटा और वेजिटेबल इंडेक्स का इस्तेमाल करके, मुख्य उगाने वाले जिलों में जूट की फसलों की मात्रा और सेहत को ट्रैक करता है।
भुवन जंप ऐप	यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है जिसका इस्तेमाल **I-CARE** फील्ड नेटवर्क बड़े पैमाने पर **जियो-टैग्ड** ग्राउंड-ट्रुथ डेटा इकट्ठा करने के लिए करता है।
पटसन प्लेटफॉर्म	एक वेब-बेस्ड एनालिटिक्स पोर्टल जो सरकारी स्टेकहोल्डर्स के लिए रियल-टाइम सर्विलांस और प्रोडक्शन असेसमेंट देता है।
स्मार्ट सैंपलिंग	**जियोस्पेशियल स्मार्ट-सैंपलिंग का** इस्तेमाल करता है ताकि पैदावार का सही अनुमान लगाया जा सके।
मौसम और आपदा अलर्ट	बाढ़ या सूखे की पहले से चेतावनी देने के लिए रियल-टाइम मौसम डेटा को इंटीग्रेट करता है और फसल की क्वालिटी पर प्राकृतिक आपदाओं के असर का मॉडल बनाता है।

महत्व

- **पॉलिसी की सटीकता:** यह सरकार को सही प्रोडक्शन ट्रेंड के आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पॉलिसी पर डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है।
- **किसान की हिम्मत:** पर्यावरण के तनाव के बारे में पहले से चेतावनी देकर, यह किसानों को मौसम में होने वाले बदलावों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है।
- **मार्केट ट्रांसपेरेंसी:** ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग से राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच की कमियां खत्म होती हैं, जिससे जूट के लिए एक स्थिर और ट्रांसपेरेंट मार्केट पक्का होता है।

निष्कर्ष

JCIS का विस्तार भारत की जूट इंडस्ट्री के डिजिटल बदलाव में एक अहम पड़ाव है। ISRO की स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नेशनल जूट बोर्ड यह पक्का कर रहा है कि भारत की सबसे पुरानी इंडस्ट्री में से एक को 21वीं सदी में आर्थिक स्थिरता और क्लाइमेट रेजिलिएंस के लिए ज़रूरी मॉडर्न टूल्स मिलें।

वीबी—जी रैम जी अधिनियम, 2025

प्रसंग

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि **विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी** , या **VB–G RAM G , आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट (MGNREGA) की जगह लेगा। यह बदलाव 1 जुलाई, 2026** से शुरू होगा , जो भारत की ग्रामीण रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव होगा।

समाचार के बारे में

- **यह क्या है:** VB–G RAM G एक्ट, 2025, एक "नेक्स्ट-जेनरेशन" रूरल डेवलपमेंट कानून है जो 2005 के MGNREGA एक्ट को रद्द करके उसकी जगह लेगा।
- **विज़न:** यह ग्रामीण मज़दूरी वाले रोज़गार को **विकसित भारत @2047** विज़न के साथ जोड़ता है, जो गुज़ारे पर आधारित मज़दूरी से आगे बढ़कर प्रोडक्टिव, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार ग्रामीण संपत्ति बनाने की ओर ले जाता है।
- **आश्वासन:** सरकार ने "बिना रुकावट और बिना रुकावट" बदलाव की गारंटी दी है। मौजूदा e-KYC वेरिफाइड MGNREGA जॉब कार्ड तब तक वैलिड रहेंगे जब तक नए **ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड** जारी नहीं हो जाते।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **बढ़ी हुई रोज़गार गारंटी:** हर ग्रामीण परिवार के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में बिना स्किल वाले काम की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर **125 दिन कर दिया गया है।**
- **केंद्र प्रायोजित फंड शेयरिंग:**
  1. उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए **90:10 ।**
  2. दूसरे राज्यों और विधानसभा वाले UTs के लिए **यह अनुपात 60:40 है ।**
  3. बिना विधानसभा वाले UTs के लिए **100% सेंट्रल फंडिंग ।**

- **खेती के मौसम में रुकावट:** खेती में मज़दूरों की मौजूदगी बनाए रखने के लिए, राज्य बुवाई और कटाई के सबसे अच्छे मौसम के दौरान हर साल **60 दिन की रुकावट की सूचना दे सकते हैं।**
- **थीमैटिक वर्क डोमेन:** प्रोजेक्ट्स चार पिलर्स पर फोकस्ड हैं:
    1. जल सुरक्षा।
    2. कोर ग्रामीण अवसंरचना।
    3. आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा।
    4. चरम मौसम शमन।
- **इंटीग्रेटेड प्लानिंग (VGPP):** हर काम एक **विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP) से शुरू होना चाहिए, जो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान** के साथ इंटीग्रेटेड हो ।

प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता

- **बायोमेट्रिक और फेशियल ऑथेंटिकेशन:** अटेंडेंस के लिए फेस-ऑथेंटिकेशन और सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बायोमेट्रिक-ऑथेंटिकेशन लागू करना ताकि लीकेज को रोका जा सके।
- **जियोस्पेशियल मॉनिटरिंग:** एसेट बनाने की रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए GPS और स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल।
- **नॉर्मेटिव एलोकेशन:** केंद्र राज्य के हिसाब से खर्च की एक लिमिट (नॉर्मेटिव एलोकेशन) तय करेगा; इस लिमिट से ज़्यादा होने वाला कोई भी खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा।

श्रमिक सुरक्षा उपाय

- **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT):** वेतन हर हफ़्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों के अंदर सीधे बैंक अकाउंट में देना होगा।
- **बेरोज़गारी भत्ता: अगर मांग के 15 दिनों** के अंदर काम नहीं मिलता है , तो राज्य को भत्ता देना होगा (पहले 30 दिनों के लिए मज़दूरी दर का 1/4, उसके बाद 1/2)।
- **ट्रांसपोर्ट अलाउंस:** अगर काम की जगह वर्कर के घर से 5 km के दायरे से बाहर है, तो सैलरी रेट का **10%** एक्स्ट्रा दिया जाता है।

महत्व

लक्ष्य	प्रभाव
वित्तीय लचीलापन	एक्स्ट्रा 25 दिन का गारंटी वाला काम गांव के गरीबों के लिए एक मज़बूत सेफ्टी नेट देता है और गांव में कंजम्प्शन को बढ़ाता है।
टिकाऊ संपत्तियाँ	टेम्पररी "खोदे हुए गड्ढों" से ध्यान हटाकर वॉटर सिक्योरिटी और क्लाइमेट-रेज़िलिएंट सड़कों जैसे हाई-इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित किया गया है।
अभिसरण	अलग-अलग ग्रामीण स्कीम को एक ही गांव के प्लान में जोड़ता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव डुप्लीकेशन कम होता है और प्रोजेक्ट का फ़ायदा बढ़ता है।
राष्ट्रीय संरेखण	डिजिटल इंटीग्रेशन के ज़रिए लोकल गांव के लेबर को सीधे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जोड़ता है।

निष्कर्ष

VB–G RAM G एक्ट पूरी तरह से डिमांड पर आधारित सैलरी प्रोग्राम से **प्रोडक्टिविटी पर आधारित डेवलपमेंट मॉडल में एक बड़ा बदलाव दिखाता है** । यह ज़्यादा गारंटी वाले दिनों और तेज़ी से पेमेंट के साथ वर्कर्स के अधिकारों को बढ़ाता है, साथ ही राज्यों के लिए सख़्त फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन भी लाता है। जैसे-जैसे भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, इस एक्ट का मकसद यह पक्का करना है कि गांव का मज़दूर एक विकसित और मज़बूत "विकसित भारत" की नींव बने।

सेहत मिशन

प्रसंग

केंद्रीय मंत्रियों ने नई दिल्ली में **'SEHAT मिशन'** (कृषि परिवर्तन के ज़रिए स्वास्थ्य के लिए साइंस एक्सीलेंस) लॉन्च किया। यह ऐतिहासिक पहल भारत के कृषि और स्वास्थ्य सेक्टर के पहले औपचारिक मेल को दिखाती है, जिसका मकसद एक वैज्ञानिक तरीके से **कुपोषण** और नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों (NCDs) के बढ़ते बोझ से निपटना है।

मिशन के बारे में

- **परिभाषा:** SEHAT मिशन एक राष्ट्रीय पहल है जिसे **खेती, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच की खाई को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है** ।
- **फ़िलॉसफ़ी:** यह एक "पूरी सरकार" का नज़रिया दिखाता है, जो भारत की हेल्थकेयर स्ट्रैटेजी को रिएक्टिव मॉडल (इलाज पर फ़ोकस) से प्रोएक्टिव मॉडल (सही न्यूट्रिशन के ज़रिए बचाव पर फ़ोकस) में बदल रहा है।

संस्थागत भागीदारी

यह मिशन भारत की दो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं के बीच एक संयुक्त सहयोग है:

- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR):** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन।

- **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन।

प्राथमिक ऑब्जेक्ट

"हेल्दी फ़ूड, हेल्दी फ़ार्म और हेल्दी इंडिया" के लिए एक साइंटिफ़िक फ़्रेमवर्क बनाना है :

- एक साइंटिफिक "फार्म-टू-प्लेट" चेन बनाना।
- यह पक्का करना कि खेती का उत्पादन सीधे तौर पर बीमारी की रोकथाम और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में मदद करे।

प्रमुख विशेषताऐं

- **बायो-फोर्टिफिकेशन: जिंक और आयरन** जैसे ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर फसलों की किस्मों को डेवलप करना और बढ़ाना ।
- **बाजरा पर फोकस: रागी, ज्वार, बाजरा, कोदो और कुटकी** जैसे क्लाइमेट-रेसिलिएंट, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर पारंपरिक अनाजों पर फिर से ज़ोर देना ।
- **इंटीग्रेटेड फार्मिंग:** गांव के परिवारों को फसल की खेती के साथ मछली पालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन को मिलाकर परिवार के संतुलित पोषण के लिए बढ़ावा देना।
- **किसान ऑक्यूपेशनल हेल्थ: किसानों को पेस्टिसाइड** और दूसरे खतरनाक एग्रीकल्चरल केमिकल्स के संपर्क से बचाने के लिए प्रोग्राम लागू करना ।
- **NCDs के लिए डाइटरी सॉल्यूशन: डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर** जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों के लिए "प्रिवेंटिव मेडिसिन" के तौर पर काम करने वाले खाने के विकल्पों पर रिसर्च करना ।
- **'वन हेल्थ' अप्रोच:** जॉइंट मेडिकल और एग्रीकल्चरल रिसर्च के ज़रिए इंसान, जानवर और पर्यावरण की हेल्थ के आपसी जुड़ाव को पहचानना।
- **डेटा-ड्रिवन पॉलिसी:** खेती के प्रोडक्शन को नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करने के लिए रियल-टाइम डैशबोर्ड का इस्तेमाल करना।

महत्व

पहलू	प्रभाव
मूल कारण पर ध्यान	यह हॉस्पिटल में सिर्फ़ लक्षणों का इलाज करने के बजाय, हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को उनकी शुरुआत (डाइट) पर ही ठीक करता है।
पोषण सुरक्षा	इसका मकसद "छिपी हुई भूख" या **माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करना** है, जो भारत के अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बावजूद बनी हुई है।
वहनीयता	क्लाइमेट-रेज़िलिएंट फ़सलों (बाजरा) को बढ़ावा देता है जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल और न्यूट्रिशन के मामले में बेहतर हैं।
आर्थिक लचीलापन	इंटीग्रेटेड खेती को बढ़ावा देकर, यह खेती करने वाले समुदाय की सेहत को पक्का करते हुए गांव की इनकम में अलग-अलग तरह की चीज़ें लाता है।

निष्कर्ष

SEHAT मिशन भारतीय शासन में एक बड़ा बदलाव है, जो यह मानता है कि **खेती ही सेहत का मुख्य ज़रिया है** । ICAR और ICMR को एक साथ लाकर, सरकार का मकसद भारतीय खेती को पब्लिक हेल्थ के लिए एक टूल में बदलना है, यह पक्का करना है कि "विकसित भारत" न्यूट्रिशन में आत्मनिर्भरता और बीमारी-मुक्त आबादी की नींव पर बने।

महिला सुरक्षा का रास्ता

प्रसंग

एक केंद्रीय मंत्री के बेटे से जुड़ा एक हाई-प्रोफाइल POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) केस तेलंगाना में **न्यायिक निष्पक्षता के लिए एक अहम लिटमस टेस्ट के तौर पर सामने आया है** । इस केस ने इस बात पर देश भर में चर्चा छेड़ दी है कि क्या कानूनी मशीनरी तब आज़ादी से काम कर सकती है जब आरोपी के पास बड़ी राजनीतिक ताकत हो।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** "रोड टू विमेन सेफ्टी" एक बड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसका मकसद महिलाओं के लिए **ऑफलाइन (फिजिकल)** और **ऑनलाइन (डिजिटल) दोनों तरह के माहौल को सुरक्षित करना है।**
- **मुख्य उद्देश्य:** रिएक्टिव पुलिसिंग से प्रोएक्टिव सिस्टमिक बदलाव की ओर बदलाव लाना। इसका फोकस कानूनों को बराबर लागू करने पर है, यह पक्का करना कि अपराधी की सामाजिक या राजनीतिक हैसियत न्याय में रुकावट न बने, और महिलाओं को हैरेसमेंट और डिजिटल बदनामी वाले कैंपेन से बचाना है।

मुख्य डेटा और सांख्यिकी

- **बढ़ते क्राइम रेट: NCRB के डेटा से पता चलता है कि तेलंगाना में महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड क्राइम**

3.4% बढ़कर 2022 में 22,066 से **2024 में 24,495 हो गए** ।

- **सेफ्टी ऑडिट के नतीजे: शहर के एक जंक्शन पर एक बड़े अंडरकवर ऑपरेशन में, एक सीनियर IPS ऑफिसर से** एक ही रात में **40 लोगों ने गलत इरादे से** संपर्क किया ।
- **डिजिटल अब्यूज़ स्केल:** हाल ही में पुलिस ने एक पब्लिक हस्ती के खिलाफ़ मिलकर ऑनलाइन ट्रोलिंग करने के एक मामले में **73 लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू की।**
- **नाबालिगों की कमज़ोरी:** हाल ही में POCSO फाइलिंग में यह बात सामने आई है कि नाबालिग बहुत कमज़ोर हैं, और अक्सर उन्हें असरदार पदों पर बैठे लोगों से बुरा बर्ताव झेलना पड़ता है।

महिलाओं के सामने दोहरे जोखिम

1. डिजिटल स्पेस में (ऑनलाइन)

- **AI और बॉट-लेड अटैक:** बड़े पैमाने पर, सेक्शुअलाइज़्ड बदनाम करने वाले कैंपेन शुरू करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड बॉट का इस्तेमाल।
- **ऑर्केस्ट्रेटेड ट्रोलिंग:** ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप पब्लिक रोल में महिलाओं को चुप कराने के लिए सिस्टेमैटिक बेटिंग और गलत जानकारी का इस्तेमाल करते हैं।
- **गुमनामी:** गलत इस्तेमाल करने वाले गुमनाम हैंडल के पीछे छिप जाते हैं, जिससे साइबर सेल द्वारा उन्हें ट्रेस करने और उन पर मुकदमा चलाने का प्रोसेस मुश्किल हो जाता है।
- **प्रोफेशनल असर:** डिजिटल गलत इस्तेमाल अक्सर रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने, मेंटल हेल्थ और करियर में तरक्की पर असर डालने के लिए किया जाता है।

2. फिजिकल स्पेस में (ऑफलाइन)

- **कैज़ुअल सेक्सिज़्म:** पब्लिक और वर्कस्पेस में लगातार गंदी नज़रों से घूरना, पीछा करना और सेक्सिस्ट कमेंट्स सुनना।
- **फिजिकल वायलेंस:** पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ने के बावजूद घरेलू हिंसा और सेक्सुअल असॉल्ट की धमकियों का लेवल बहुत ज़्यादा है।
- **पावर एसिमेट्री:** यह सिस्टम की वह मुश्किल है जिसका सामना पीड़ित तब करते हैं जब वे ऊंची पॉलिटिकल या सोशल हैसियत वाले आरोपी लोगों के खिलाफ इंसाफ मांगते हैं।

की गई पहल (2025–2026)

- **'स्टैंड विद हर' पहल:** मार्च 2026 में सेक्सिज़्म के बारे में बातचीत को मेनस्ट्रीम करने और पुरुषों को सहयोगी के तौर पर काम करने के लिए बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई।
- **स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT):** खास तौर पर सरकारी पदों पर बैठी महिलाओं को टारगेट करने वाले डिजिटल बदनाम करने वाले कैंपेन और "ब्लाइंड आइटम" की जांच के लिए बनाई गई।
- **टेक्निकल पुलिसिंग:** टेक प्लेटफॉर्म के साथ सीधा सहयोग और अनजान डिजिटल गलत इस्तेमाल करने वालों को बेनकाब करने के लिए कड़े कानूनों का इस्तेमाल।
- **SHE टीम्स:** पब्लिक जगहों पर छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ने के लिए तुरंत मदद और अंडरकवर ऑपरेशन के लिए डेडिकेटेड यूनिट्स को बढ़ाना।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **एक जैसा कानून लागू करना:** यह पक्का करना कि कानून ताकतवर और कमज़ोर लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करे, जिसकी शुरुआत बड़े मामलों के तेज़ी से समाधान से हो।
- **डिजिटल लीगल फ्रेमवर्क:** कोऑर्डिनेटेड डिजिटल बदनाम करने वाले कैंपेन को खास तौर पर बताने और सज़ा देने के लिए कानूनों को मज़बूत करना।
- **इंस्टीट्यूशनल सेंसिटाइजेशन:** पुलिस और ज्यूडिशियरी के लिए ज़रूरी जेंडर-सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ताकि केस की अर्जेंसी में "स्टेटस-बायस" को रोका जा सके।
- **मेल एलायशिप:** युवाओं में कैजुअल सेक्सिज्म की जड़ों से निपटने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक अवेयरनेस कैंपेन चलाना।
- **एडवांस्ड साइबर-ट्रेसिंग:** राज्य के साइबर सेल के लिए AI-डिटेक्शन टूल्स में इन्वेस्ट करना ताकि रियल-टाइम में बॉट-लेड हैरेसमेंट और गलत जानकारी को ट्रैक किया जा सके।

निष्कर्ष

तेलंगाना में महिलाओं को असली सुरक्षा देने के लिए पॉलिटिकल कहानी और असली कानूनी नतीजों के बीच के अंतर को कम करना होगा। सड़क पर होने वाले उत्पीड़न और कोऑर्डिनेटेड डिजिटल ट्रोलिंग, दोनों से सख्ती से निपटकर, राज्य एक नेशनल बेंचमार्क बना सकता है। सफलता एक ऐसे सिस्टम पर निर्भर करती है जहाँ सभी महिलाओं को न्याय मिले, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो या आरोपी का असर कुछ भी हो।

भारत में नकली करेंसी का प्रचलन

प्रसंग

2016 में हुई नोटबंदी के लगभग दस साल बाद, लेटेस्ट **'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट 2024 से** पता चलता है कि नकली करेंसी

अभी भी अंदरूनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अकेले इसी साल, अधिकारियों ने **₹54.61 करोड़ से ज़्यादा** के नकली नोट ज़ब्त किए हैं, जो आर्थिक नुकसान पहुंचाने वालों की बदलती चालों को दिखाता है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** नकली करेंसी, या **काउंटरफीट इंडियन करेंसी नोट्स (CICN)** , का मतलब है भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की इजाज़त के बिना बनाए गए कानूनी करेंसी की गैर-कानूनी नकल।
- **मकसद:** इन नोटों का इस्तेमाल मुख्य रूप से देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने, संगठित अपराध को फंड करने और असली करेंसी के एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स की नकल करके सीमा पार आतंकवाद को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है।

मुख्य डेटा और सांख्यिकी

- **कुल ज़ब्ती:** 2017 से अब तक, **₹638 करोड़** के नकली नोट ज़ब्त किए गए हैं, और 2022 में यह ₹382.6 करोड़ का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया।
- **डिनॉमिनेशन ट्रेंड्स:** नकली नोट बनाने वालों ने असरदार तरीके से नई सीरीज़ अपना ली है; 2024 में नकली **₹500 के नोटों की ज़ब्ती** 2016 के मुकाबले **चार गुना ज़्यादा थी।**
- **भौगोलिक हॉटस्पॉट:** 2017 और 2024 के बीच देश भर में हुई कुल ज़ब्ती का 50% से ज़्यादा हिस्सा **गुजरात का है, जो कुल ₹355.72 करोड़ है।**
- **करेंसी इन सर्कुलेशन (CiC):** डिजिटल क्रांति के बावजूद, CiC मई 2026 तक 137% बढ़कर ₹42.12 लाख करोड़ हो गई है, जो नवंबर 2016 में ₹17.74 लाख करोड़ **थी ।**

जालसाजी को बढ़ावा देने वाले कारक

- **एडवांस्ड रेप्लिकेशन: क्रिमिनल्स महात्मा गांधी (न्यू) सीरीज़** , खासकर ₹200 और ₹500 के नोटों के मुश्किल फीचर्स की नकल करने के लिए हाई-एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ।
- **क्रॉस-बॉर्डर स्मगलिंग:** दुश्मन और इंटरनेशनल सिंडिकेट नॉर्थ ईस्ट और पारंपरिक ट्रांज़िट रास्तों से हाई-क्वालिटी "सुपर नोट्स" भेजने के लिए खुले बॉर्डर का फ़ायदा उठाते हैं।
- **कैश पर निर्भरता:** UPI के बढ़ने के बावजूद भारत अभी भी कैश पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। भारी मात्रा में फिजिकल कैश (₹42.12 लाख करोड़) नकली बिलों को सर्कुलेट करने के लिए काफी कवर देता है।
- **कमजोर मार्केट को टारगेट करना:** ऑर्गनाइज़्ड गैंग **MSMEs** और गांव के मार्केट में नकली सामान बांटते हैं, जहां मैनुअल वेरिफिकेशन बहुत कम होता है और UV डिटेक्शन लैंप नहीं होते।

CICN के निहितार्थ

क्षेत्र	प्रभाव
आर्थिक	**महंगाई** बढ़ाता है , जिससे नागरिकों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है।
सुरक्षा	**प्रॉक्सी वॉर** , घरेलू बगावत और टेरर मॉड्यूल की फाइनेंसिंग के लिए एक मुख्य टूल के तौर पर काम करता है ।
सामाजिक	नेशनल करेंसी और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में **लोगों का भरोसा** कम होता है , जिससे आम यूज़र्स में पैनिक पैदा होता है।
राजकोषीय	बार-बार सिक्योरिटी अपडेट और पकड़े गए नकली नोटों को नष्ट करने के लिए RBI और सरकार पर भारी खर्च डालता है।

प्रवर्तन में चुनौतियाँ

- **टेक्नोलॉजी की दौड़:** नकली नोट बनाने वाले रंग बदलने वाली स्याही और माइक्रो-लेटरिंग जैसे नए सुरक्षा उपायों को जल्दी अपना लेते हैं—अक्सर नए नोट के रिलीज़ होने के एक साल के अंदर।
- **तालमेल में कमी:** राज्य पुलिस, NCRB और NIA जैसी सेंट्रल एजेंसियों के बीच डेटा की कमी, एक साथ जवाब देने में रुकावट डालती है।
- **जागरूकता की कमी:** गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा असली सिक्योरिटी थ्रेड और अच्छी क्वालिटी के नकली थ्रेड में फर्क नहीं कर पाता।
- **₹500 की दुविधा:** भारतीय अर्थव्यवस्था के "वर्कहॉर्स" के तौर पर, ₹500 का नोट अपने ज़्यादा सर्कुलेशन और वैल्यू की वजह से नकली नोटों के लिए सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सिक्योरिटी अपग्रेड: नकली सामान बनाने वालों से आगे निकलने के लिए हर कुछ साल में पॉलीमर सबस्ट्रेट** या एडवांस्ड होलोग्राफिक थ्रेड जैसे लेटेस्ट फीचर्स लाएं ।
- **यूनिफाइड इंटेलिजेंस: नेशनल फंक्शनल एनालिसिस सेंटर को** सभी राज्य पुलिस फोर्स को बेहतर ट्रैकिंग के लिए रियल-टाइम, डिस्ट्रिक्ट-लेवल डेटा देने के लिए मज़बूत बनाना ।
- **पब्लिक एजुकेशन:** बॉर्डर और ग्रामीण इलाकों में विज़ुअल एड्स और मोबाइल-बेस्ड वेरिफिकेशन ऐप्स का इस्तेमाल करके "Know Your Note" कैंपेन शुरू करें।

- **डिजिटल इंसेंटिव:** ज़्यादा कीमत वाले कैश ट्रांज़ैक्शन को रोकने के लिए MSMEs के लिए ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट को और कम करना।
- **कानूनी रोकथाम:** ट्रैफिकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जल्दी सज़ा दिलाने के लिए खास तौर पर CICN मामलों के लिए **फास्ट-ट्रैक कोर्ट** बनाएं ।

निष्कर्ष

डीमॉनिटाइजेशन के बाद भी नकली करेंसी का बने रहना यह साबित करता है कि स्ट्रक्चरल बदलावों के साथ लगातार टेक्नोलॉजी और एनफोर्समेंट में बदलाव होना चाहिए। जैसे-जैसे कैश इन सर्कुलेशन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहा है, भारत की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए एग्रेसिव डिजिटाइजेशन और भारतीय रुपये के बिना किसी समझौते के सिक्योरिटी स्टैंडर्डाइजेशन की दोहरी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है।

भारत में नकली नोटों का प्रचलन

प्रसंग

2016 में हुई नोटबंदी के लगभग दस साल बाद, लेटेस्ट **'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट 2024 से** पता चलता है कि नकली करेंसी अभी भी अंदरूनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अकेले इसी साल, अधिकारियों ने **₹54.61 करोड़ से ज़्यादा** के नकली नोट ज़ब्त किए हैं, जो आर्थिक नुकसान पहुंचाने वालों की बदलती चालों को दिखाता है।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा:** नकली करेंसी, या **काउंटरफीट इंडियन करेंसी नोट्स (CICN)** , का मतलब है भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की इजाज़त के बिना बनाए गए कानूनी करेंसी की गैर-कानूनी नकल।
- **मकसद:** इन नोटों का इस्तेमाल मुख्य रूप से देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने, संगठित अपराध को फंड करने और असली करेंसी के एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स की नकल करके सीमा पार आतंकवाद को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है।

मुख्य डेटा और सांख्यिकी

- **कुल ज़ब्ती:** 2017 से अब तक, **₹638 करोड़** के नकली नोट ज़ब्त किए गए हैं, और 2022 में यह ₹382.6 करोड़ का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया।
- **डिनॉमिनेशन ट्रेंड्स:** नकली नोट बनाने वालों ने असरदार तरीके से नई सीरीज़ अपना ली है; 2024 में नकली **₹500 के नोटों की ज़ब्ती** 2016 के मुकाबले **चार गुना ज़्यादा थी।**
- **भौगोलिक हॉटस्पॉट:** 2017 और 2024 के बीच देश भर में हुई कुल ज़ब्ती का 50% से ज़्यादा हिस्सा **गुजरात का है, जो कुल ₹355.72 करोड़ है।**
- **करेंसी इन सर्कुलेशन (CiC):** डिजिटल क्रांति के बावजूद, CiC मई 2026 तक 137% बढ़कर ₹42.12 लाख करोड़ हो गई है, जो नवंबर 2016 में ₹17.74 लाख करोड़ **थी ।**

जालसाजी को बढ़ावा देने वाले कारक

- **एडवांस्ड रेप्लिकेशन: क्रिमिनल्स महात्मा गांधी (न्यू) सीरीज़** , खासकर ₹200 और ₹500 के नोटों के मुश्किल फीचर्स की नकल करने के लिए हाई-एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ।
- **क्रॉस-बॉर्डर स्मगलिंग:** दुश्मन और इंटरनेशनल सिंडिकेट नॉर्थ ईस्ट और पारंपरिक ट्रांज़िट रास्तों से हाई-क्वालिटी "सुपर नोट्स" भेजने के लिए खुले बॉर्डर का फ़ायदा उठाते हैं।
- **कैश पर निर्भरता:** UPI के बढ़ने के बावजूद भारत अभी भी कैश पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। भारी मात्रा में फिजिकल कैश (₹42.12 लाख करोड़) नकली बिलों को सर्कुलेट करने के लिए काफी कवर देता है।
- **कमजोर मार्केट को टारगेट करना:** ऑर्गनाइज़्ड गैंग **MSMEs** और गांव के मार्केट में नकली सामान बांटते हैं, जहां मैनुअल वेरिफिकेशन बहुत कम होता है और UV डिटेक्शन लैंप नहीं होते।

CICN के निहितार्थ

क्षेत्र	प्रभाव
आर्थिक	**महंगाई** बढ़ाता है , जिससे नागरिकों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है।
सुरक्षा	**प्रॉक्सी वॉर** , घरेलू बगावत और टेरर मॉड्यूल की फाइनेंसिंग के लिए एक मुख्य टूल के तौर पर काम करता है ।
सामाजिक	नेशनल करेंसी और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में **लोगों का भरोसा** कम होता है , जिससे आम यूज़र्स में पैनिक पैदा होता है।
राजकोषीय	बार-बार सिक्योरिटी अपडेट और पकड़े गए नकली नोटों को नष्ट करने के लिए RBI और सरकार पर भारी खर्च डालता है।

प्रवर्तन में चुनौतियाँ

- **टेक्नोलॉजी की दौड़:** नकली नोट बनाने वाले रंग बदलने वाली स्याही और माइक्रो-लेटरिंग जैसे नए सुरक्षा उपायों को जल्दी अपना लेते हैं—अक्सर नए नोट के रिलीज़ होने के एक साल के अंदर।

- **तालमेल में कमी:** राज्य पुलिस, NCRB और NIA जैसी सेंट्रल एजेंसियों के बीच डेटा की कमी, एक साथ जवाब देने में रुकावट डालती है।
- **जागरूकता की कमी:** गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा असली सिक्योरिटी थ्रेड और अच्छी क्वालिटी के नकली थ्रेड में फर्क नहीं कर पाता।
- **₹500 की दुविधा:** भारतीय अर्थव्यवस्था के "वर्कहॉर्स" के तौर पर, ₹500 का नोट अपने ज़्यादा सर्कुलेशन और वैल्यू की वजह से नकली नोटों के लिए सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सिक्योरिटी अपग्रेड: नकली सामान बनाने वालों से आगे निकलने के लिए हर कुछ साल में पॉलीमर सबस्ट्रेट** या एडवांस्ड होलोग्राफिक थ्रेड जैसे लेटेस्ट फीचर्स लाएं ।
- **यूनिफाइड इंटेलिजेंस: नेशनल फंक्शनल एनालिसिस सेंटर को** सभी राज्य पुलिस फोर्स को बेहतर ट्रैकिंग के लिए रियल-टाइम, डिस्ट्रिक्ट-लेवल डेटा देने के लिए मज़बूत बनाना ।
- **पब्लिक एजुकेशन:** बॉर्डर और ग्रामीण इलाकों में विज़ुअल एड्स और मोबाइल-बेस्ड वेरिफिकेशन ऐप्स का इस्तेमाल करके "Know Your Note" कैंपेन शुरू करें।
- **डिजिटल इंसेंटिव:** ज़्यादा कीमत वाले कैश ट्रांज़ैक्शन को रोकने के लिए MSMEs के लिए ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट को और कम करना।
- **कानूनी रोकथाम:** ट्रैफिकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जल्दी सज़ा दिलाने के लिए खास तौर पर CICN मामलों के लिए **फास्ट-ट्रैक कोर्ट** बनाएं ।

निष्कर्ष

डीमॉनिटाइजेशन के बाद भी नकली करेंसी का बने रहना यह साबित करता है कि स्ट्रक्चरल बदलावों के साथ लगातार टेक्नोलॉजी और एनफोर्समेंट में बदलाव होना चाहिए। जैसे-जैसे सर्कुलेशन में कैश रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहा है, भारत की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए एग्रेसिव डिजिटाइजेशन और भारतीय रुपये के बिना किसी समझौते के सिक्योरिटी स्टैंडर्डाइजेशन की दोहरी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है।

जन सुरक्षा योजनाएँ

प्रसंग

9 मई, 2026 को तीन खास जन सुरक्षा स्कीमों - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और अटल पेंशन योजना (APY) के **11 साल पूरे हो गए** । 2015 में लॉन्च होने के बाद से, इन स्कीमों ने भारत के सस्ते सोशल सिक्योरिटी नेट का आधार बनाया है।

समाचार के बारे में

- **लॉन्च: 9 मई 2015** को प्रधानमंत्री ने एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के लिए इसे पेश किया।
- **मकसद:** कम कीमत वाला जीवन बीमा, एक्सीडेंटल बीमा और बुढ़ापे की पेंशन देना, खास तौर पर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर और कमजोर आबादी को टारगेट करना।
- **मैकेनिज्म:** इसमें बैंक अकाउंट लिंकेज और ऑटो-डेबिट सुविधाओं वाला एक आसान, डिजिटाइज्ड फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आसानी से एक्सेस मिल सके।

जन सुरक्षा के तीन स्तंभ

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

- **नेचर:** किसी भी वजह से मौत होने पर **₹2 लाख** का एक साल का रिन्यूएबल लाइफ इंश्योरेंस कवर।
- **एलिजिबिलिटी: 18 से 50 साल** की उम्र के बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर ।
- **प्रीमियम: ₹436 प्रति वर्ष** (₹2 प्रति दिन से कम) पर बहुत किफायती ।

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

- **नेचर:** एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जिसमें एक्सीडेंटल डेथ या टोटल डिसेबिलिटी के लिए **₹2 लाख और** पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए **₹1 लाख मिलते हैं।**
- **एलिजिबिलिटी: 18 से 70 साल** के उम्र के अकाउंट होल्डर्स के लिए उपलब्ध ।
- **प्रीमियम:** बहुत कम **₹20 प्रति वर्ष** (₹2 प्रति माह से भी कम)।

3. अटल पेंशन योजना (APY)

- **नेचर:** 60 साल की उम्र के बाद **₹1,000 से ₹5,000** की गारंटीड मंथली पेंशन ।
- **एलिजिबिलिटी: यह 18 से 40 साल** के उन बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए है जो इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं।
- **फायदे:** इसमें ट्रिपल फायदे हैं, सब्सक्राइबर के लिए गारंटीड पेंशन, फिर पति/पत्नी के लिए, और फिर नॉमिनी को पूरी रकम वापस कर दी जाती है।

प्रभाव और आँकड़े (2026 तक)

- **बड़े पैमाने पर एनरोलमेंट:** तीनों स्कीम में कुल **94.56 करोड़** से ज़्यादा एनरोलमेंट हुए, जिसमें अकेले PMSBY में 58.09 करोड़ से ज़्यादा पार्टिसिपेंट शामिल हुए।
- **फाइनेंशियल सेफ्टी नेट: PMJJBY ने ₹21,512.50 करोड़** से ज़्यादा के क्लेम सेटल किए हैं , जिससे 10.7 लाख से ज़्यादा परिवारों को ज़रूरी मदद मिली है।

- **जेंडर इनक्लूसिविटी:** अटल पेंशन योजना के तहत कुल एनरोलमेंट में लगभग **49% महिलाएं हैं, जिससे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ावा मिलता है।**
- **फाइनेंशियल इन्क्लूजन इंटीग्रेशन: 19.30 करोड़ से ज़्यादा PMJDY (जन धन)** अकाउंट होल्डर्स को PMSBY के सुरक्षा दायरे में सफलतापूर्वक लाया गया ।
- **पेंशन ग्रोथ: APY में 9.04 करोड़** से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया है, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी सुरक्षित हो गई है।

चुनौतियां

- **लगातार बने रहना:** सब्सक्राइबर के पास सालाना ऑटो-डेबिट के लिए काफ़ी बैंक बैलेंस बनाए रखने में लॉजिस्टिकल दिक्कतें आती हैं।
- **रिमोट अवेयरनेस:** हालांकि डिजिटल पहुंच ज़्यादा है, लेकिन दूर-दराज के इलाकों में खास क्लेम प्रोसेस को समझना अभी भी एक काम है।
- **लिटरेसी गैप:** "एक्सीडेंटल" और "नेचुरल" डेथ इंश्योरेंस के बीच कन्फ्यूजन की वजह से अक्सर PMSBY के तहत क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं।
- **महंगाई का दबाव: 2015 में तय ₹ 2 लाख का** सम एश्योर्ड, पिछले एक दशक में असल दुनिया में खरीदने की ताकत में कमी आई है।
- **इनकम में उतार-चढ़ाव:** अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में अनियमित कमाई की वजह से कुछ लोगों के लिए APY में लगातार हर महीने योगदान करना मुश्किल हो सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **बेनिफिट्स में बदलाव:** आज की आर्थिक हकीकत और महंगाई के हिसाब से सम एश्योर्ड को समय-समय पर रिव्यू करना और बढ़ाना।
- **डिजिटल एम्पावरमेंट:** क्लेम की आसान, रियल-टाइम ट्रैकिंग और सेटलमेंट के लिए **जन सुरक्षा पोर्टल को** बेहतर बनाना ।
- **ज़मीनी स्तर पर पहुंच: एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट** और ASHA वर्कर की भूमिका को मज़बूत करना ।
- **इंसेंटिवाइज़ेशन:** पॉलिसी रिटेंशन को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय तक, बिना रुकावट वाले सब्सक्राइबर्स के लिए रिवॉर्ड सिस्टम बनाना।
- **प्रोडक्ट इंटीग्रेशन:** एक **यूनिफाइड जन सुरक्षा** प्रोडक्ट की खोज जो जीवन, दुर्घटना और पेंशन बेनिफिट्स को एक ही एनरोलमेंट प्रोसेस में शामिल करता है।

निष्कर्ष

जन सुरक्षा स्कीमों का 11 साल का सफ़र, अपनी मर्ज़ी से दी जाने वाली सब्सिडी से **इंस्टीट्यूशनल फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर बदलाव दिखाता है। लगभग 95 करोड़ नागरिकों को** ज़िंदगी के अचानक आने वाले झटकों से बचाकर , ये पहलें **विकसित भारत** के विज़न का सेंटर हैं , जिससे यह पक्का होता है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ सबको साथ लेकर चलने वाली और मज़बूत बनी रहे।

भारत में बिजली से आग लगने का खतरा

प्रसंग

पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में सुबह-सुबह लगी एक दुखद आग में नौ लोगों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि यह एयर-कंडीशनर (AC) में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था, जिससे शहरी भारत में बिजली से आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है।

समाचार के बारे में

परिभाषा: बिजली में आग लगने के खतरों से निपटने के लिए खराब वायरिंग, ओवरलोडेड सर्किट और घटिया पार्ट्स से होने वाले खतरों को कम करने के लिए कई तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। यह शॉर्ट सर्किट को "एक्सीडेंट" मानने के बजाय उन्हें ऐसी टेक्निकल खराबी मानने की तरफ एक बदलाव दिखाता है जिसे फोरेंसिक एनालिसिस और मॉडर्न प्रोटेक्शन डिवाइस से मैनेज किया जा सकता है।

डेटा और सांख्यिकी:

- **मुख्य कारण: दिल्ली में 80%** से ज़्यादा और मुंबई में लगभग **75% आग लगने की** वजह बिजली की खराबी होती है।
- **एसी सर्ज:** एसी स्थापित आधार 2030 तक **93 मिलियन (2024) से** बढ़कर **240 मिलियन होने का अनुमान है** , जिससे मौजूदा सर्किट पर भारी दबाव पड़ेगा।
- **कम रिपोर्टिंग:** NCRB ने 2022 में **7,500 से ज़्यादा** आग लगने की घटनाओं को रिकॉर्ड किया, लेकिन कई बिजली की घटनाओं को गलत तरीके से क्लासिफ़ाई किया गया, जिससे असली लेवल छिप गया।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: फायर इंफ्रास्ट्रक्चर में 96% की कमी** है और स्पेशलाइज्ड फायर-फोरेंसिक इंजीनियरों की भारी कमी है।

भारत में बिजली से लगने वाली आग के कारण

- **पुरानी वायरिंग बनाम मॉडर्न लोड:** दशकों पहले कम से कम लोड के लिए डिज़ाइन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर अब इन्वर्टर AC और EV चार्जर जैसे ज़्यादा वॉट वाले अप्लायंसेज को पावर दे रहा है।
- **हार्मोनिक डिस्टॉर्शन:** आजकल के इन्वर्टर से चलने वाले उपकरण सिस्टम में "हार्मोनिक्स" डालते हैं, जिससे

न्यूट्रल तार ज़्यादा गरम हो जाते हैं—यह हिस्सा अक्सर ऐसे लोड के लिए छोटा होता है।

- **नकली पार्ट्स:** पतले कॉपर कोर वाले नॉन-ISI मार्क वाले तारों के ज़्यादा होने से अक्सर हाई स्टार्ट-अप करंट में वे पिघल जाते हैं।
- **ढीले और ऑक्सिडाइज़्ड कनेक्शन:** ध्यान न दिए गए सॉकेट "हॉट स्पॉट" बनाते हैं जो आग पकड़ने से पहले महीनों तक सुलग सकते हैं।
- **मेंटेनेंस पर ध्यान न देना:** लंबे ब्रेक के बाद बिना सर्विसिंग के दोबारा चालू किए गए सीज़नल इक्विपमेंट (जैसे AC) में अक्सर धूल या नमी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है।

चुनौतियां

- **फोरेंसिक क्षमता की कमी:** आम "शॉर्ट सर्किट" की वजह पर निर्भर रहने से असली वजहों की पहचान और बनाने वाली कंपनी की जवाबदेही तय नहीं हो पाती।
- **ज़रूरी AFCI का न होना: US के उलट, भारतीय रेजिडेंशियल कोड में आर्क-फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स (AFCI)** ज़रूरी नहीं हैं , जो 80% आग लगने की वजह बनने वाले माइक्रो-आर्किंग का पता लगाते हैं।
- **कमज़ोर इंस्पेक्शन सिस्टम:** घरेलू बिल्डिंग्स के लिए ज़रूरी, समय-समय पर होने वाले इलेक्ट्रिकल ऑडिट की कमी है (जापान जैसे देशों में यह स्टैंडर्ड है)।
- **इंश्योरेंस की कमी:** इंडियन इंश्योरेंस इकोसिस्टम में घर के मालिकों के बीच प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव या टूल्स (जैसे IoT फायर सेंसर) की कमी है।

विनियामक ढांचा और दिशानिर्देश

इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी पर NDMA गाइडलाइंस: नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस बात पर ज़ोर देती है:

- **ज़रूरी लोड ऑडिट:** हॉस्पिटल जैसी ज़्यादा भीड़ वाली जगहों के लिए समय-समय पर चेक।
- **आग से बचाने वाले इंस्टॉलेशन: नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC)** के अनुसार आग से बचाने वाली वायरिंग और मेटल पाइप का इस्तेमाल ।
- **कम्पार्टमेंटलाइज़ेशन:** डिस्ट्रीब्यूशन केबल के लिए अलग, आग रोकने वाले शाफ्ट, ताकि आग को सीधा फैलने से रोका जा सके।
- **ऑटोमैटिक डिटेक्शन:** स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर को सेंट्रलाइज़्ड अलार्म से जोड़ना।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **हार्मोनिक कम्प्लायंस:** मॉल और EV हब के लिए बिल्डिंग अप्रूवल को पावर-क्वालिटी मॉनिटरिंग (IEEE 519 स्टैंडर्ड) से जोड़ें।
- **समय-समय पर ऑडिट:** ज़्यादा लोड बढ़ने (जैसे, रूफटॉप सोलर) की वजह से ज़रूरी इंस्पेक्शन शुरू करें।
- **फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर:** असली वजहों की रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए एक नेशनल **फोरेंसिक फायर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाएं।**
- **कोड अपडेट:** रिहायशी इमारतों में आर्क-फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस को ज़रूरी बनाने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड को अपडेट करें।
- **कंज्यूमर अवेयरनेस:** लोगों को ISI मार्क के महत्व और एक ही पावर स्ट्रिप पर कई भारी डिवाइस इस्तेमाल करने के खतरों के बारे में बताएं।

निष्कर्ष

भारत में बिजली से आग लगने की समस्या इसलिए है क्योंकि आज की इकॉनमी पुरानी वायरिंग पर चल रही है। जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान रिकॉर्ड-हाई बढ़ रहा है और कूलिंग की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, देश को आपदा के बाद एफिडेविट देने के कल्चर से आग लगने से पहले इंस्पेक्शन के कल्चर की ओर बढ़ना होगा। तेज़ी से बिजली वाले देश में जान बचाने का एकमात्र तरीका टेक्नोलॉजी को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाना है।

मानव-पशु संघर्ष क्षेत्र

प्रसंग

गंभीर **इंसान-जंगली संघर्ष (HWC)** बढ़ गया है, जो 2025-26 में गंभीर लेवल पर पहुंच जाएगा। कर्नाटक में इस फाइनेंशियल ईयर में 53 इंसानों की मौत हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 2026 के पहले पांच महीनों में ही 28 बाघों की मौत के साथ गंभीर वाइल्डलाइफ संकट का सामना करना पड़ा।

समाचार के बारे में

परिभाषा: इंसान-जंगली जानवरों के बीच टकराव का मतलब है इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बुरा तालमेल, जिसके नतीजे दोनों के लिए बुरे होते हैं। इसमें इंसानों की मौत, जानवरों का नुकसान, और फसल का नुकसान शामिल है, जिसे बदले में हत्या, रहने की जगह का खत्म होना, और अचानक जंगली जानवरों की मौत के साथ बैलेंस किया जाता है।

मुख्य डेटा और सांख्यिकी:

- **इंसानी नुकसान:** भारत में हर साल हाथियों से मुठभेड़ के कारण लगभग **500 लोग मारे जाते हैं, जो ज़्यादातर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में होते हैं।**
- **वाइल्डलाइफ़ मॉर्टेलिटी:** भारत में हर साल लगभग **100 हाथी** बिजली का झटका लगने और ट्रेन की टक्कर जैसी दूसरी वजहों से मर जाते हैं।

- **टाइगर संकट:** 2025 में, भारत में **166 टाइगर की मौत दर्ज की गई** , जो 1973 के बाद सबसे ज़्यादा है, और इसका मुख्य कारण ज़मीनी झगड़े हैं।
- **आर्थिक असर: हर साल** लगभग **500,000 परिवार** फसल पर हमले से प्रभावित होते हैं, जिससे अक्सर छोटे किसान भारी कर्ज़ में डूब जाते हैं।

मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि के कारण

- **हैबिटैट फ्रैगमेंटेशन:** बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (हाईवे, खदानें) जंगलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे जानवरों को इंसानी बस्तियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
  - *उदाहरण:* **पश्चिमी घाट** में लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार ने पारंपरिक हाथी कॉरिडोर को बाधित कर दिया है।
- **खेती का विस्तार:** जंगल के किनारों पर बने खेतों से खाना आसानी से मिल जाता है, जिससे जंगली जानवर खेती वाले इलाकों में ढल जाते हैं।
  - *उदाहरण:* **महाराष्ट्र** में तेंदुए अक्सर गांवों के पास गन्ने के खेतों में रहते हैं।
- **मौसम में बदलाव:** सूखे और बढ़ते तापमान से कुदरती खाना और पानी कम हो जाता है, जिससे जानवर इंसानों की बस्तियों की ओर चले जाते हैं।
- **इकोलॉजिकल इम्बैलेंस:** इनवेसिव स्पीशीज़ और जंगल की आग के फैलने से कुदरती चारा कम हो जाता है, जिससे फसल पर हमला करना ज़िंदा रहने का एक तरीका बन जाता है।
  - *उदाहरण:* **बांदीपुर** में तेज़ी से उगने वाले खरपतवारों ने देसी घास को दबा दिया है।
- **व्यवहार में बदलाव:** रोकने के कड़े उपायों से जानवर घबरा सकते हैं, जिससे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो सकती हैं या उनका गुस्सा बढ़ सकता है।

अब तक की गई पहल

- **इंटीग्रेटेड कंज़र्वेशन:** 2023-24 में **प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट का मर्जर** , कीस्टोन स्पीशीज़ के लिए रिसोर्स को आसान बनाने के लिए।
- **AI-बेस्ड मॉनिटरिंग:** ट्रेन से हाथियों की मौत को रोकने के लिए, **कोयंबटूर फॉरेस्ट डिवीज़न** में AI-इनेबल्ड अलर्ट सिस्टम को लागू करना।
- **रीजनल एक्शन प्लान (RAP):** दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी इलाकों में लैंडस्केप-लेवल प्लानिंग के लिए पर्यावरण मंत्रालय की पहल।
- **फिजिकल रुकावटें:** ज़्यादा झगड़े वाली जगहों पर लटकती सोलर फेंसिंग और स्टील वायर रस्सियों का इंस्टॉलेशन।
- **एंटी-डिप्रेडेशन स्क्वॉड (ADS):** झगड़ों को कम करने और कम्युनिटी की तरफ से बदले में होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए लोकल टीमों को ट्रेनिंग देना।

HWC ज़ोन के मैनेजमेंट में चुनौतियाँ

- **मुआवज़े में देरी:** मुश्किल डॉक्यूमेंटेशन और धीमी प्रोसेसिंग टाइम की वजह से दूर-दराज के इलाकों (जैसे, छत्तीसगढ़) में पिछड़े समुदायों को तुरंत रिकवरी फंड नहीं मिल पाता।
- **टेक्नोलॉजिकल कमियां:** खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी या ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत वाले इलाकों में अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम और GPS-कॉलरिंग को बढ़ाना मुश्किल है।
- **बिना किसी सिस्टम के जवाब:** फॉर्मल ट्रेनिंग की कमी से प्रोटेक्शन स्क्वॉड गुस्सैल भीड़ में बदल सकते हैं, जिससे इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरा बढ़ जाता है।
- **हैबिटैट डिग्रेडेशन: अगर लैंटाना कैमरा** जैसी इनवेसिव स्पीशीज़ शिकार के नैचुरल बेस और कैरिंग कैपेसिटी को खत्म कर दें, तो किसी एरिया को बचाना बेअसर है।
- **सामाजिक दुश्मनी:** बार-बार होने वाले नुकसानों पर ध्यान न देने से समाज की सहनशीलता कम हो जाती है, जिससे अक्सर गैर-कानूनी ज़हर या जाल बिछाए जाते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **लैंडस्केप-लेवल कनेक्टिविटी:** वाइल्डलाइफ कॉरिडोर के लिए कानूनी सुरक्षा और रेस्टोरेशन देना ताकि अलग-अलग तरह के मैमल्स के लिए सुरक्षित रास्ता पक्का हो सके।
- **कम्युनिटी-बेस्ड मैनेजमेंट:** लोकल कम्युनिटी को एक्टिव कंज़र्वेशन पार्टनर के तौर पर शामिल करें, टूरिज्म रेवेन्यू और फैसले लेने की पावर शेयर करें।
- **तेज़ी से मुआवज़ा:** क्लेम प्रोसेस को डिजिटली आसान बनाना ताकि पीड़ितों को घटना के **एक हफ़्ते के अंदर फ़ाइनेंशियल मदद मिल सके।**
- **हैबिटैट रेस्टोरेशन:** कुदरती चारे को बेहतर बनाने के लिए हमलावर प्रजातियों को हटाने और खराब हो चुके घास के मैदानों को ठीक करने पर ध्यान दें।
- **स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर:** जंगल वाले इलाकों से गुज़रने वाले सभी नए लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इको-ब्रिज और अंडरपास को शामिल करना ज़रूरी करें।

निष्कर्ष

इंसान-जंगली जानवरों का टकराव, ज़मीन के इस्तेमाल के मौजूदा तरीकों और संसाधनों के इस्तेमाल का एक ज़रूरी नतीजा है। मकसद टकराव को पूरी तरह खत्म करने के बजाय साइंटिफिक,

सामाजिक रूप से सही और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल मैनेजमेंट की ओर बदलना चाहिए। साथ रहना, जो प्रोएक्टिव हैबिटैट को ठीक करने और कम्युनिटी की भागीदारी से हासिल होता है, सिर्फ़ एक कंज़र्वेशन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि इंसानी सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी शर्त है।

वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026

प्रसंग

यूनाइटेड नेशंस के एक नए असेसमेंट, **ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 में** चेतावनी दी गई है कि फ्यूलवुड और चारकोल की बढ़ती मांग ग्लोबल फॉरेस्ट डेग्रेडेशन का मुख्य कारण बनकर उभरी है। यह ट्रेंड अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में खास तौर पर गंभीर है, जिससे इंटरनेशनल कंजर्वेशन टारगेट पटरी से उतरने का खतरा है।

रिपोर्ट के बारे में

यह क्या है: ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026, **UN डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स (UNDESA)** और **UN फोरम ऑन फॉरेस्ट्स सेक्रेटेरिएट द्वारा तैयार किया गया एक बड़ा UN असेसमेंट है** । यह छह ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स और उनसे जुड़े टारगेट की प्रोग्रेस को ट्रैक करता है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **शुद्ध वन गिरावट:** वैश्विक वन क्षेत्र **4.18 बिलियन हेक्टेयर (2015) से घटकर 4.14 बिलियन हेक्टेयर (2025)** हो गया, जो **4.12 मिलियन हेक्टेयर** का शुद्ध वार्षिक नुकसान दर्शाता है ।
- **प्राइमरी जंगल का नुकसान: पिछले दस सालों में** दुनिया में लगभग **16 मिलियन हेक्टेयर** प्राइमरी (पुराने) जंगल खत्म हो गए, जिसमें साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा कमी आई।
- **फ्यूलवुड क्राइसिस:** सब-सहारा अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में, एनर्जी के लिए फ्यूलवुड और चारकोल पर निर्भरता, जंगल कम होने और खराब होने के मुख्य कारणों में पारंपरिक कारणों से आगे निकल गई है।
- **खेती का दबाव:** जंगल की ज़मीन को खेती के लिए बदलना, पूरी दुनिया में जंगलों की कटाई का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है।
- **पर्यावरण संबंधी तनाव:** जलवायु से प्रेरित दबाव - जिसमें बड़ी-बड़ी जंगल की आग, सूखा और कीटों का प्रकोप शामिल है - वन स्वास्थ्य में गिरावट की दर को तेज़ कर रहे हैं।
- **रेस्टोरेशन गैप:** जबकि 91 देशों ने **190 मिलियन हेक्टेयर को ठीक करने का वादा किया था,** 2025 तक केवल **44 मिलियन हेक्टेयर (लगभग 23%) ही सफलतापूर्वक ठीक किया जा सका है।**
- **एशिया की लीडरशिप:** एशिया एक अच्छी जगह के तौर पर उभरा, जिसने अपने तय किए गए रेस्टोरेशन एरिया (31 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा) का **42.2% पूरा कर लिया।**

आशय

- **कमज़ोर कार्बन सिंक:** लगातार नुकसान से जंगलों की कार्बन सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे एक खतरनाक फीडबैक लूप बनता है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है।
- **एनर्जी-गरीबी का रिश्ता:** फ्यूलवुड पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, विकासशील देशों में क्लीन एनर्जी तक पहुंच की गंभीर कमी को दिखाती है, जो एनवायरनमेंटल हेल्थ को सीधे गरीबी हटाने से जोड़ती है।
- **बायोडायवर्सिटी का नुकसान:** प्राइमरी जंगलों में कमी खास तौर पर एंडेमिक प्रजातियों और इन जंगलों से मिलने वाली ज़रूरी इकोसिस्टम सर्विस (जैसे पानी को फिल्टर करना) के लिए बहुत खतरनाक है।
- **सप्लाई चेन की कमज़ोरी:** रिपोर्ट में "डेफॉरेस्टेशन-फ्री" ग्लोबल सप्लाई चेन और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फॉरेस्ट गवर्नेंस सिस्टम की तुरंत ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन:** खाना पकाने के लिए सस्टेनेबल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंच बढ़ाना, ताकि चारकोल और फ्यूलवुड की ज़रूरत को कम किया जा सके।
- **गवर्नेंस को मज़बूत करना:** गैर-कानूनी कटाई और बिना नियम के ज़मीन बदलने को रोकने के लिए लोकल और नेशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाना।
- **रेस्टोरेशन गैप को कम करना:** देशों को उनके 2030 तक के रेस्टोरेशन वादों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट में तेज़ी लाना।
- **इंटीग्रेटेड लैंड यूज़:** एग्रोफॉरेस्ट्री और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना, जिनके लिए मौजूदा जंगल को साफ करने की ज़रूरत नहीं होती।

निष्कर्ष

ग्लोबल **फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026** इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि एशिया जैसे इलाकों में जंगल बचाने की कोशिशें अच्छी हैं, लेकिन दुनिया अभी भी जंगलों के नुकसान के खिलाफ लड़ाई हार रही है। इसकी असली वजहों, खासकर एनर्जी की कमी और खेती को बढ़ाना, यह पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि जंगल क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक मज़बूत बचाव बने रहें।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार समिति

प्रसंग

भारत के लीगल सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक हाई-पावर्ड **'ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी' बनाई है** । इस पैनल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार हेड कर रहे हैं और यह सिस्टमिक ज्यूडिशियल रिफॉर्म की दिशा में एक अहम कदम है।

समिति के बारे में

यह क्या है: ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी एक हाई-लेवल एक्सपर्ट पैनल है जिसे भारतीय ज्यूडिशियरी के फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के लैंडस्केप को बदलने के लिए बनाया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाई कोर्ट के सीनियर जज, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल एक्सपर्ट्स शामिल हैं।

- **स्थापित:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
- **अध्यक्ष:** न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)

मुख्य मकसद: कमेटी 21वीं सदी के कोर्ट सिस्टम के लिए एक पूरा रोडमैप बनाकर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को खत्म करना चाहती है। यह कोर्ट को मॉडर्न, टेक-इनेबल्ड और लिटिगेंट-फ्रेंडली जगहों में बदलने के लिए भारत सरकार से अच्छी-खासी **फाइनेंशियल मदद दिलाने में एक पुल का काम करती है।**

मुख्य विशेषताएं और फोकस क्षेत्र

- **सात फोकस एरिया:** पैनल को सिस्टम की दिक्कतों को पहचानने, वकीलों और केस लड़ने वालों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने और केस निपटाने में तेज़ी लाने के लिए टेक्नोलॉजी लागू करने का काम सौंपा गया है।
- **डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: एक मुख्य काम ई-कोर्ट्स पहल** को बढ़ाना है , जिसमें डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा।
- **मॉडर्न कोर्ट कॉम्प्लेक्स:** नई, आसानी से मिलने वाली और टिकाऊ कोर्ट बिल्डिंग डिज़ाइन करना, जो दिव्यांग नागरिकों और पर्यावरण की ज़रूरतों को पहले रखें।
- **इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन:** कमिटी को खास नतीजे और फंडिंग की ज़रूरतें सीधे **प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल (PM-EAC) को जमा करनी होंगी** ।

महत्व

- **पहले कभी नहीं हुआ निवेश: ₹40,000–₹50,000 करोड़** का प्रस्तावित आवंटन आज़ाद भारत के इतिहास में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़े सिंगल-प्रोजेक्ट निवेशों में से एक है।
- **पेंडेंसी कम करना:** फिजिकल सुविधाओं को अपग्रेड करके और तेज़ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, कमिटी का मकसद उन मुख्य रुकावटों को दूर करना है जिनकी वजह से केस में देरी होती है और ज़्यादा बैकलॉग होते हैं।
- **न्याय तक पहुंच:** इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार यह पक्का करता है कि न्यायिक प्रक्रिया आम नागरिक के लिए कम डरावनी और ज़्यादा आसान हो, और **आर्टिकल 39A** (समान न्याय और मुफ्त कानूनी मदद) की भावना को बनाए रखे।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्टैंडर्डाइज़ेशन:** केस लड़ने वालों के लिए एक जैसा अनुभव पक्का करने के लिए सभी राज्यों में कोर्ट डिज़ाइन के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड बनाएं।
- **टाइम-बाउंड इम्प्लीमेंटेशन:** पक्का करें कि मंज़ूर किए गए फंड का इस्तेमाल तय टाइमलाइन के अंदर हो ताकि खर्च बढ़ने से बचा जा सके।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ, नए डिजिटल टूल्स का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए ज्यूडिशियल स्टाफ और वकीलों को ट्रेनिंग देने पर ध्यान दें।

निष्कर्ष

जस्टिस अरविंद कुमार कमिटी का बनना, न्यायिक विकास के लिए एड-हॉक सुधारों से एक स्ट्रक्चर्ड, अच्छी तरह से फंडेड नेशनल स्ट्रेटेजी की ओर बदलाव का संकेत है। तेज़ी से बदलते डिजिटल युग में जनता का भरोसा बनाए रखने और समय पर न्याय पक्का करने के लिए "न्याय के मंदिरों" में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है।

सोमनाथ मंदिर

प्रसंग

भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात में **'सोमनाथ अमृत पर्व' में हिस्सा लिया** । इस खास मौके पर मंदिर के ऐतिहासिक रीकंस्ट्रक्शन की 75वीं सालगिरह और भारत के कल्चरल पुनरुत्थान के सिंबल के तौर पर इसकी भूमिका का जश्न मनाया गया।

मंदिर के बारे में

यह क्या है: सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे भगवान शिव को समर्पित **बारह ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता** है। इसे अक्सर "हमेशा रहने वाला मंदिर" कहा जाता है, इसके बार-बार टूटने और फिर से बनने का इतिहास भारतीय सभ्यता की मज़बूती का सबूत है।

जगह:

- **राज्य:** गुजरात, भारत.

- **क्षेत्र:** सौराष्ट्र पेनिनसुला के पश्चिमी तट पर **प्रभास पाटन , वेरावल** में स्थित है ।
- **भौगोलिक संदर्भ: त्रिवेणी संगम** पर स्थित , तीन नदियों का पवित्र संगम: हिरण, कपिला और सरस्वती।

ऐतिहासिक विकास

- **पुरानी शुरुआत:** कहानियों के मुताबिक, पहला स्ट्रक्चर सोने से चंद्र देवता (**सोम**) ने बनवाया था, इसके बाद आने वाले देवताओं और शासकों ने चांदी, लकड़ी और पत्थर से इसे बनवाया।
- **हमले:** मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट किया गया, सबसे ज़्यादा 1024 AD में **महमूद गजनवी ने** , और बाद में दिल्ली सल्तनत और औरंगजेब ने।
- **आज फिर से वापसी:** आज़ादी के बाद, **सरदार वल्लभभाई पटेल ने** मंदिर को उसकी पुरानी शान वापस दिलाने के संकल्प को आगे बढ़ाया।
- **प्रतिष्ठा (1951):** आधुनिक संरचना पूरी हो गई और **11 मई 1951 को** भारत के प्रथम राष्ट्रपति **डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद** द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई।

स्थापत्य विशेषताएँ

- **मारू-गुर्जर स्टाइल:** अभी का मंदिर हिंदू मंदिर आर्किटेक्चर की **चौलुक्य (मारू-गुर्जर) स्टाइल का एक मास्टरपीस है।**
- **शिखर:** मुख्य शिखर **155 फीट ऊंचा है** और इसके ऊपर 10 टन का पत्थर का बर्तन है जिसे **कलश के नाम से जाना जाता है** ।
- **बनावट:** इसमें *गर्भगृह* (पवित्र स्थान), *सभा मंडप* (असेंबली हॉल), और *नृत्य मंडप* (डांस हॉल) शामिल हैं, सभी में बारीक पत्थर की नक्काशी की गई है।
- **बाण स्तंभ (तीर स्तंभ):** समुद्र की दीवार पर बना यह स्तंभ सीधे साउथ पोल की ओर इशारा करता है। यह एक भौगोलिक चमत्कार है, जो बताता है कि मंदिर के किनारे और अंटार्कटिका के बीच सीधी लाइन में कोई ज़मीन नहीं है।

महत्व

- **आध्यात्मिक केंद्र:** पहले ज्योतिर्लिंग के तौर पर, यह शैव धर्म का मुख्य केंद्र और दुनिया भर के हिंदू समुदाय के लिए आस्था का आधार बना हुआ है।
- **संकल्प का प्रतीक:** यह मंदिर "विनाश पर निर्माण की जीत" दिखाता है। *अमृत पर्व के दौरान*, इसे एक जीवित प्रतीक के रूप में दिखाया गया था कि सदियों के विदेशी हमलों के बावजूद भारत की आध्यात्मिक और वैचारिक नींव अटूट बनी हुई है।
- **कल्चरल पहचान:** 75वीं सालगिरह का जश्न मॉडर्न इंडिया की कल्चरल और नेशनल पहचान को बताने में मंदिर के रोल को दिखाता है।

निष्कर्ष

सोमनाथ मंदिर सिर्फ़ पूजा की जगह से कहीं ज़्यादा है; यह भारत के धीरज का एक ऐतिहासिक इतिहास है। 'सोमनाथ अमृत पर्व' इस संदेश को और मज़बूत करता है कि भले ही इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन अपनी विरासत के ज़रिए बचाए गए देश की भावना हमेशा रहती है।

भारत में वित्तीय समावेशन

प्रसंग

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट में AI-पावर्ड फाइनेंशियल इनक्लूजन की ओर भारत की बदलाव लाने वाली यात्रा पर रोशनी डाली गई। यह तरक्की **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स** के ज़बरदस्त मेल से हो रही है , जो इनक्लूसिव ग्रोथ के लिए दुनिया भर में एक मिसाल कायम कर रहा है।

भारत में AI-पावर्ड फाइनेंशियल इन्क्लूजन के बारे में

फाइनेंशियल इन्क्लूजन क्या है? फाइनेंशियल इन्क्लूजन यह पक्का करने का प्रोसेस है कि लोगों और बिज़नेस को—खासकर कमज़ोर और कम इनकम वाले ग्रुप को—किफ़ायती, काम के और टिकाऊ फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलें। इसमें पेमेंट, सेविंग्स, क्रेडिट और इंश्योरेंस ज़िम्मेदारी से देना शामिल है।

मुख्य डेटा और सांख्यिकी (2026 तक):

- **आइडेंटिटी फाउंडेशन: 144 करोड़** से ज़्यादा [आधार रेडैक्टेड] बनाए गए हैं, जो डिजिटल ऑथेंटिकेशन के लिए एक सुरक्षित बायोमेट्रिक एंकर देते हैं।
- **बैंकिंग पहुंच: जन धन अकाउंट्स** बढ़कर **58.16 करोड़ हो गए हैं** , जिनमें कुल जमा राशि **₹3.02 लाख करोड़ से ज़्यादा है** ।
- **पेमेंट वेलोसिटी:** मार्च 2026 में, **UPI** ने लगभग **₹29.53 लाख करोड़ के ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए** , जो भारत के रिटेल पेमेंट वॉल्यूम का **81% है।**
- **क्रेडिट पोटेंशियल: AI मॉडल्स से उम्मीद है कि वे** कम सेवा वाले MSMEs के लिए **USD 130–170 बिलियन** के क्रेडिट गैप को अनलॉक कर देंगे ।

फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ाने में AI का उदय

- **अल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग:** AI सिर्फ़ ट्रेडिशनल CIBIL स्कोर के बजाय "डिजिटल फुटप्रिंट्स" (यूटिलिटी बिल, ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री) को एनालाइज़ करता है।
  - *उदाहरण:* यूनिफाइड **लेंडिंग इंटरफेस (ULI)** गांव के किसानों की क्रेडिट की योग्यता का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा और ज़मीन के रिकॉर्ड का इस्तेमाल करता है।

- **भाषा की रुकावट हटाना:** AI मॉडल मुश्किल सिस्टम के साथ अपनी भाषाओं में बातचीत करने में मदद करते हैं।
    - *उदाहरण:* **बैंकिंग भाषिनी** सभी 22 शेड्यूल्ड भारतीय भाषाओं में वॉइस-बेस्ड बैंकिंग देती है।
- **फ्रॉड डिटेक्शन और सिक्योरिटी:** रियल-टाइम AI मॉनिटरिंग पहली बार डिजिटल यूज़र्स को साइबरक्राइम से बचाती है।
    - *उदाहरण:* **MuleHunter.AI** मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट का पता लगाने के लिए ट्रांज़ैक्शन में गड़बड़ी को एनालाइज़ करता है।
- **हाइपर-पर्सनलाइज़्ड सॉल्यूशन:** AI इनफॉर्मल वर्कर्स के कैश-फ्लो पैटर्न के हिसाब से प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने में मदद करता है।
    - *उदाहरण:* **मिशन डिजिटल श्रमसेतु** रियल-टाइम स्किल वेरिफिकेशन के ज़रिए 490 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स को फॉर्मल इकॉनमी से जोड़ता है।
- **ऑपरेशनल एफिशिएंसी:** AI के ज़रिए KYC का ऑटोमेशन सर्विस कॉस्ट को कम करता है।
    - *उदाहरण:* अकाउंट **एग्रीगेटर (AA)** फ्रेमवर्क पेपरलेस डेटा शेयरिंग और तुरंत लोन अप्रूवल के लिए AI-कम्पैटिबल APIs का इस्तेमाल करता है।

अब तक की गई पहल

- **JAM ट्रिनिटी: जन धन, [आधार हटा दिया गया], और मोबाइल** कनेक्टिविटी का बुनियादी मेल ।
- **यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (ULI):** एक DPI जो बिना किसी रुकावट के डिजिटल क्रेडिट देने के लिए कई डेटा सोर्स को जोड़ता है।
- **RBI रेगुलेटरी सैंडबॉक्स:** फिनटेक के लिए एक कंट्रोल्ड माहौल, जहां वे डिजिटल KYC जैसे AI-ड्रिवन सॉल्यूशन को सुपरविज़न में टेस्ट कर सकें।
- **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT):** एक ऐसा सिस्टम जिसने लीकेज को खत्म करने के लिए AI-सपोर्टेड डीडुप्लीकेशन का इस्तेमाल करके सीधे बेनिफिशियरी को **₹49.09 लाख करोड़ ट्रांसफर किए हैं।**

फाइनेंस में AI से जुड़ी चुनौतियाँ

- **एल्गोरिदमिक बायस:** गलत ट्रेनिंग डेटा की वजह से AI अनजाने में भेदभाव कर सकता है (जैसे, खास इलाकों में महिला एंटरप्रेन्योर्स को कम आंकना)।
- **डेटा प्राइवेसी की चिंताएं: अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क** के ज़रिए तेज़ी से डेटा शेयर करने के लिए, बिना इजाज़त के डेटा इकट्ठा करने के खिलाफ़ लगातार नज़र रखना ज़रूरी है।
- **डिजिटल लिटरेसी गैप:** यूज़र्स को डिजिटल कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो सकती है, जिससे वे सोशल इंजीनियरिंग (जैसे, OTP एक्सेस देने के लिए धोखा दिया जाना) के शिकार हो सकते हैं।
- **साइबर सिक्योरिटी में बदलाव: AI से होने वाले वॉयस स्कैम (डीपफेक)** के बढ़ने से पारंपरिक वॉयस-रिकग्निशन सिक्योरिटी को बायपास किया जा सकता है।
- **टेक्नोलॉजिकल डिवाइड:** हाई-रिज़ॉल्यूशन AI सर्विसेज़ के लिए अक्सर 5G और मॉडर्न स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है, जो अभी भी गांवों तक पहुंच रहे हैं।

पश्चिमी गोलार्ध

- **बैंकिंग को बढ़ाना BHASHINI:** वॉइस-फर्स्ट AI इंटरफेस को बढ़ाना ताकि यह पक्का हो सके कि "अगले आधे अरब" यूज़र्स बिना टाइप या पढ़े बैंकिंग कर सकें।
- **एथिकल AI फ्रेमवर्क:** क्रेडिट के फैसले ट्रांसपेरेंट और बिना किसी भेदभाव के हों, यह पक्का करने के लिए **एक्सप्लेनेबल AI** के लिए नेशनल स्टैंडर्ड बनाएं।
- **ULI की पहुंच बढ़ाना:** अंदरूनी इलाकों में क्रेडिट की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) को जोड़ना।
- **लगातार डिजिटल शिक्षा:** पहली बार डिजिटल इस्तेमाल करने वालों को साइबर सिक्योरिटी सिखाने के लिए गेम वाले लर्निंग कैंपेन शुरू करें।

निष्कर्ष

बेसिक बैंकिंग एक्सेस से AI-ड्रिवन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तक भारत का बदलाव डिजिटल गवर्नेंस में एक ग्लोबल बेंचमार्क दिखाता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स को कोलैटरल में और भाषा को इंटरफ़ेस में बदलकर, AI USD 170 बिलियन के क्रेडिट गैप को असरदार तरीके से कम कर रहा है। इस इनोवेशन को एथिकल सेफगार्ड्स के साथ बैलेंस करना, हर नागरिक के लिए **विकसित भारत 2047 को** हकीकत बनाने की चाबी है।

देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (COSOP) 2026–2033

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, भारत सरकार और **इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (IFAD)** ने एक नया आठ साल का **कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम (COSOP) लॉन्च किया** । इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मकसद 2026–2033 के समय में भारत के ग्रामीण माहौल को बदलना है, जिसमें सस्टेनेबल और मार्केट-लेड ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा।

कार्यक्रम के बारे में

यह क्या है: COSOP एक हाई-लेवल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो भारत और IFAD के बीच लंबे समय के

सहयोग की रूपरेखा बताता है। यह ग्रामीण आजीविका को मॉडर्न बनाने के लिए एक ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करता है, जो बुनियादी गरीबी हटाने से ध्यान हटाकर बेहतर, मार्केट-ओरिएंटेड और क्लाइमेट-रेज़िलिएंट ग्रामीण सिस्टम बनाने पर फोकस करता है।

- **प्रमुख संगठन:** अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)।
- **अवधि:** आठ वर्ष (**2026–2033**)।

मुख्य मकसद: इस प्रोग्राम का मकसद गांवों की इनकम को बढ़ाना और रोज़ी-रोटी के टिकाऊ मौके बढ़ाना है। यह ज़मीनी स्तर के संस्थानों को मॉडर्न फाइनेंस, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट से जोड़कर यह पक्का करता है कि ये समुदाय आर्थिक उतार-चढ़ाव और क्लाइमेट शॉक दोनों का सामना कर सकें।

प्रमुख विशेषताऐं

- **स्ट्रेटेजिक रेजिलिएंस:** सबसे कमज़ोर ग्रामीण आबादी की सामाजिक, आर्थिक और क्लाइमेट रेजिलिएंस बनाना।
- **नॉलेज स्केलिंग:** सफल भारतीय डेवलपमेंट मॉडल को ग्लोबल लेवल पर डॉक्यूमेंट करने और दोहराने के लिए नॉलेज सिस्टम को मजबूत करना।
- **इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट: सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs)** , **फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्स (FPOs) , और कोऑपरेटिव्स** की क्षमता को मजबूत करना ताकि वे लोकल इकॉनमी को चलाने में मदद कर सकें।
- **वैल्यू चेन इंटीग्रेशन:** इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, वैल्यू एडिशन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन के ज़रिए ग्रामीण एंटरप्राइज को फॉर्मल वैल्यू चेन में बदलना।
- **साउथ-साउथ कोऑपरेशन:** अफ्रीका, साउथ-ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में डेवलपिंग देशों को गाइड करने और सपोर्ट करने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर और इनक्लूसिव फाइनेंस में भारत की एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करना।
- **NABARD पार्टनरशिप:** मछली पालन और पशुपालन सहित खेती से जुड़े सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए **NABARD** के साथ मिलकर काम करना ।

महत्व

- **विकसित भारत 2047:** यह प्रोग्राम एक विकसित भारत की ओर बढ़ने के सफ़र में एक ज़रूरी पिलर है, जो यह पक्का करता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ-साथ आगे बढ़े।
- **क्लाइमेट अडैप्टेशन:** क्लाइमेट-रेज़िलिएंट वैल्यू चेन को प्राथमिकता देकर, COSOP भारतीय किसानों को मौसम के बदलते पैटर्न और बहुत ज़्यादा खराब मौसम की घटनाओं का सामना करने के लिए ज़रूरी टूल्स और टेक्नीक देता है।
- **महिला सशक्तिकरण:** SHG नेटवर्क का फ़ायदा उठाने पर ज़्यादा ध्यान देने से यह पक्का होता है कि महिलाओं के बिज़नेस ग्रामीण फ़ाइनेंशियल क्रांति में सबसे आगे रहें।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **टेक्नोलॉजी अपनाना:** ग्रामीण क्रेडिट और इंश्योरेंस में **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देना ।
- **ग्लोबल लीडरशिप:** ग्लोबल साउथ के साथ भारतीय खेती के इनोवेशन को शेयर करने के लिए खास सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाना।
- **मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन:** रियल-टाइम, AI-ड्रिवन ट्रैकिंग लागू करना ताकि यह पक्का हो सके कि प्रोजेक्ट के माइलस्टोन पूरे हों और रिसोर्स अच्छे से बांटे जाएं।

निष्कर्ष

COSOP 2026–2033 "एग्रीकल्चर 2.0" की ओर एक बदलाव दिखाता है, जहाँ ग्रामीण भारत को सिर्फ़ भलाई की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि बिज़नेस और इनोवेशन के हब के तौर पर देखा जाता है। IFAD के साथ इस पार्टनरशिप के ज़रिए, भारत का मकसद एक ऐसा ग्रामीण इकोसिस्टम बनाना है जो सेल्फ-सस्टेनिंग, ग्लोबली कनेक्टेड और असल में मज़बूत हो।

लीड्स 2025 रिपोर्ट

प्रसंग

13 मई, 2026 को , केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में **अलग-अलग राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस (LEADS) 2025 रिपोर्ट** का **7वां एडिशन जारी किया। इस इवेंट में LEAPS 2025 (लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस, एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड) अवार्ड्स** भी शामिल थे , जो MSMEs और स्टार्टअप्स सहित 13 कैटेगरी में लीडरशिप और इनोवेशन को पहचान देते हैं।

LEADS 2025 रिपोर्ट के बारे में

यह क्या है:

LEADS, लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए भारत का सबसे अहम सालाना असेसमेंट और बेंचमार्किंग टूल है। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) की तरह, यह हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज़ और रेगुलेटरी पहलुओं पर मूल्यांकन करता है।

- **प्रकाशित:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **लक्ष्य: लॉजिस्टिक्स लागत में कमी को एक "नेशनल मिशन" के तौर पर** आगे बढ़ाना , जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स लागत (GDP का ~8%) को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर लाना है।

2025 एडिशन की खास बातें:

- **नया 4-टियर फ्रेमवर्क:** इकोसिस्टम मैच्योरिटी को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए 3-टियर क्लासिफिकेशन (*अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायरर्स*) से ज़्यादा ग्रेन्युलर 4-टियर सिस्टम (*एग्जेम्प्लर्स, हाई परफॉर्मर्स, एक्सेलरेटर्स, ग्रोथ सीकर्स) में बदला गया है।*
- **डेटा-ड्रिवन मजबूती:** रिपोर्ट में **ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स को लगभग 59% वेटेज दिया गया** (पिछले सालों से काफी ज़्यादा), जिससे परसेप्शन-बेस्ड डेटा पर निर्भरता कम हो गई।
- **इंटीग्रेशन: PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान** और **नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP)** के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ ।

प्रदर्शन स्तर और राज्य रैंकिंग (2025)

टीयर	**परिभाषा**	**टॉप उदाहरण (LEADS 2025)**
मिसाल	"गोल्ड स्टैंडर्ड" परफ़ॉर्मर सभी मामलों में लगातार बेहतरीन काम करते हैं।	**तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश** , मिजोरम, दिल्ली
उच्च प्रदर्शनकर्ता	ज़्यादातर इंडिकेटर्स में मज़बूत और एक जैसे नतीजे दिखाने वाले राज्य।	**गुजरात, केरल** , महाराष्ट्र, तेलंगाना
त्वरक	राज्यों में सुधार की अच्छी रफ़्तार और सुधार की राह दिख रही है।	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, कर्नाटक
विकास चाहने वाले	लॉजिस्टिक्स सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज पर राज्य।	पश्चिम बंगाल, राजस्थान, सिक्किम

भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में चुनौतियाँ

- **इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी:** रेल और समुद्र के मुकाबले सड़क से माल ढुलाई का ज़्यादा दबदबा (>60%) है, जिससे फ्यूल की खपत और भीड़भाड़ ज़्यादा होती है।
- **बंटवारा:** इस इंडस्ट्री पर छोटे, अनऑर्गनाइज़्ड प्लेयर्स का दबदबा है, जिससे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी होती है।
- **टेक्नोलॉजिकल लैग:** छोटे लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच डिजिटल टूल्स को अपनाने की गति धीमी है।

रसद को मजबूत करने की पहल

- **PM गतिशक्ति:** लोगों और सामान की बिना रुकावट मल्टीमॉडल आवाजाही पक्का करने के लिए एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान।
- **ULIP (यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म):** एक्सपोर्टर्स और MSMEs के लिए सड़क, रेल और समुद्र में रियल-टाइम विज़िबिलिटी देता है।
- **MMLPs (मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स):** ये स्ट्रेटेजिक हब ट्रांसपोर्ट के तरीकों के बीच अच्छे से स्विच करके माल ढुलाई का खर्च कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- **LEAPS अवार्ड्स: एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ESG)** प्रैक्टिस और सप्लाई चेन में जेंडर डायवर्सिटी जैसे खास एरिया में बेहतरीन काम को बढ़ावा देना ।

निष्कर्ष

LEADS 2025 रिपोर्ट भारत के लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप के सबूतों पर आधारित, डेटा पर आधारित असेसमेंट की दिशा में एक बड़ा बदलाव दिखाती है। **कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देकर, यह राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी सुधारों को प्राथमिकता देने के लिए बढ़ावा देती है, जो भारत के USD 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट और विकसित भारत 2047** के विज़न को पाने के लिए ज़रूरी हैं ।

सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना

प्रसंग

यूनियन कैबिनेट ने सरफेस कोल/लिग्नाइट गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ₹37,500 करोड़ के बड़े फाइनेंशियल खर्च के साथ एक बड़ी स्कीम को मंज़ूरी दी । यह कदम भारत की अपने एनर्जी सेक्टर को मॉडर्न बनाने और इम्पोर्टेड केमिकल्स और फ्यूल्स पर अपनी भारी निर्भरता को कम करने की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।

योजना के बारे में

यह क्या है: यह एक सेंट्रल इंसेंटिव स्कीम है जिसे भारत में सरफेस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कोयले या लिग्नाइट को **सिंथेसिस गैस (सिनगैस) में बदलने के लिए फाइनेंशियल मदद देती है** , जो यूरिया, अमोनिया और मेथनॉल जैसे हाई-वैल्यू डाउनस्ट्रीम केमिकल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है।

- **मंत्रालय:** कोयला मंत्रालय, भारत सरकार।
- **राष्ट्रीय लक्ष्य: 2030 तक 100 मिलियन टन (MT)** कोयला गैसीकरण हासिल करना ।

मुख्य उद्देश्य: इस स्कीम का मकसद भारत के बड़े घरेलू कोयला भंडार के इस्तेमाल में विविधता लाना है। कोयले को सिनगैस में बदलकर, भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत करना

चाहता है और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG), यूरिया और मेथनॉल जैसे प्रोडक्ट्स के लिए **₹2.77 लाख करोड़ के** इंपोर्ट बिल (FY2025) को काफी कम करना चाहता है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **फाइनेंशियल खर्च: लगभग 75 MT** कोयला/लिग्नाइट के गैसीफिकेशन को टारगेट करने वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कुल **₹37,500 करोड़ का बजट।**
- **प्रोत्साहन संरचना:**
  - **ग्रांट:** फ़ाइनेंशियल मदद प्लांट और मशीनरी की कीमत का **20% तक सीमित है।**
  - **प्रोजेक्ट कैप:** हर प्रोजेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा **₹5,000 करोड़ ।**
  - **प्रोडक्ट कैप: किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए** ज़्यादा से ज़्यादा **₹9,000 करोड़** (SNG और यूरिया को छोड़कर)।
  - **एंटिटी कैप:** सभी प्रोजेक्ट्स में एक ग्रुप या कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा **₹12,000 करोड़ ।**
- **कॉम्पिटिटिव बिडिंग:** बेनिफिशियरी का सिलेक्शन एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस से होता है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट और एफिशिएंसी को बेंचमार्क करता है।
- **माइलस्टोन-लिंक्ड डिस्बर्समेंट:** वेरिफाइड प्रोजेक्ट माइलस्टोन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इंसेंटिव **चार बराबर इंस्टॉलमेंट में जारी किए जाते हैं।**
- **लंबे समय की स्थिरता:** निवेश की निश्चितता देने के लिए कोल लिंकेज का समय **30 साल तक बढ़ा दिया गया है।**
- **स्वदेशी टेक्नोलॉजी:** हालांकि यह स्कीम टेक्नोलॉजी से अलग है, लेकिन यह "मेक इन इंडिया" गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को अपनाने को प्राथमिकता देती है और बढ़ावा देती है।

महत्व

- **आत्मनिर्भर भारत:** यूरिया और अमोनिया का लोकल प्रोडक्शन करके, यह स्कीम सीधे तौर पर फर्टिलाइज़र और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को सपोर्ट करती है।
- **आर्थिक असर: इस स्कीम से** ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कोयला वाले राज्यों में **₹2.5 से ₹3.0 लाख करोड़** के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने का अनुमान है।
- **एनवायरनमेंटल बदलाव:** पारंपरिक तरीके से जलाने के मुकाबले सरफेस गैसीफिकेशन को कोयले के इस्तेमाल का एक साफ तरीका माना जाता है, क्योंकि इससे सिनगैस के प्रोडक्शन के दौरान पॉल्यूटेंट और CO2 को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन:** सिनगैस और उसके डेरिवेटिव्स को अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैसीफिकेशन प्लांट्स के पास खास पाइपलाइन और स्टोरेज हब बनाना।
- **R&D फोकस:** कोयला मंत्रालय और बड़े इंस्टिट्यूट (जैसे IIT) के बीच पार्टनरशिप को मज़बूत करना, ताकि खास तौर पर भारतीय कोयला ग्रेड के लिए सही हाई-ऐश कोल गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जा सके।
- **ग्रीन हाइड्रोजन इंटीग्रेशन:** बनाए गए केमिकल्स के कार्बन फुटप्रिंट को और कम करने के लिए "ग्रीन हाइड्रोजन" को सिनगैस के साथ मिलाने की कोशिश।

निष्कर्ष

₹ **37,500 करोड़ की** गैसीफिकेशन स्कीम भारत की इकॉनमी में कोयले की भूमिका को फिर से तय करने में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। सिंपल कंबशन से एडवांस्ड केमिकल प्रोडक्शन की ओर बढ़कर, भारत न केवल अपने एनर्जी भविष्य को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि एक मजबूत, घरेलू डाउनस्ट्रीम केमिकल इंडस्ट्री के लिए नींव भी रख रहा है।

भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्य)

प्रसंग

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने **भारत औद्योगिक विकास निगम (BDCV)** के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। **विकास योजना (BHAVYA) । यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए** पूरे भारत में **स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट** के पहले फेज़ के लिए प्रपोज़ल जमा करने का एक कॉम्पिटिटिव मौका देती है ।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड:
यूनियन कैबिनेट से मंज़ूर, **BHAVYA** एक **सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका मकसद पूरे देश में इन्वेस्टमेंट** के लिए तैयार, प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाना है । इस स्कीम का मकसद ब्यूरोक्रेटिक देरी को कम करने और मैन्युफैक्चरिंग से होने वाली ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए प्री-अप्रूव्ड क्लीयरेंस के साथ पूरी तरह से सर्विस्ड इंडस्ट्रियल ज़मीन देना है।

प्रशासनिक और वित्तीय ढांचा

- **नोडल एजेंसी:**
  यह स्कीम कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत **इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड प्रमोशन डिपार्टमेंट द्वारा लागू की जाती है।**
- **प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (PMA):**
  नेशनल **इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट के लिए ज़िम्मेदार है।

- **फाइनेंशियल खर्च:**
  इस स्कीम के लिए कुल बजट **₹33,660 करोड़ है** ।
- **कार्यान्वयन समयरेखा: BHAVYA को छह साल की अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2031-32)** में लागू किया जाएगा , जिसमें औद्योगिक पार्कों के पहले सेट को तीन साल के भीतर चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

भाव्या योजना की मुख्य विशेषताएं

- **चैलेंज-बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस: इस स्कीम का मकसद फिक्स्ड स्टेट-वाइज कोटा के बजाय, कॉम्पिटिटिव चैलेंज मेथड** से **100 इंडस्ट्रियल पार्क** बनाना है । पहले फेज में **50 इंडस्ट्रियल पार्क चुने जाएंगे** ।
- **फाइनेंशियल मदद: राज्यों को स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल पार्क के लिए**
  हर एकड़ पर ₹1 करोड़ तक मिल सकते हैं । प्राइवेट हिस्सेदारी वाले प्रोजेक्ट में, **हर एकड़ पर ₹50 लाख** तक की मदद मिलती है । यह स्कीम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को भी सपोर्ट करती है।
- **विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) मॉडल: कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत स्थापित **विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी)** के माध्यम से होगा , जो पेशेवर परियोजना निष्पादन और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

व्यापक बुनियादी ढांचा विकास:

- **कोर इंफ्रास्ट्रक्चर:**
  इसमें सड़कें, यूटिलिटी नेटवर्क, अंडरग्राउंड कॉरिडोर और **कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETPs) शामिल हैं** ।
- **वैल्यू-एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर:**
  फैक्ट्री शेड, टेस्टिंग लैब, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सुविधाओं का इंतज़ाम।
- **सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर:**
  इसमें वर्कर के रहने की जगह, हेल्थकेयर सुविधाएं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और मनोरंजन की जगहें शामिल हैं।

कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

- **ज़मीन की ज़रूरत का क्राइटेरिया: राज्यों को बिना रुकावट के एक-दूसरे से सटे ज़मीन के टुकड़े** देने होंगे । ज़्यादातर राज्यों के लिए कम से कम **100 एकड़ ज़मीन ज़रूरी है, जबकि पहाड़ी राज्य, उत्तर-पूर्वी राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 एकड़** के साथ क्वालिफ़ाई कर सकते हैं ।
- **PM गतिशक्ति के साथ इंटीग्रेशन :**
  सभी प्रपोज़्ड इंडस्ट्रियल पार्कों को **PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ अलाइन होना चाहिए** ताकि रोड, रेल और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आसानी से कनेक्टिविटी पक्की हो सके।
- **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP): यह स्कीम PPP मॉडल** के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की इजाज़त देती है , जिसे ट्रांसपेरेंट ज़मीन के बंटवारे और रेगुलेटरी सुरक्षा उपायों से सपोर्ट मिलता है।
- **टेक्नोलॉजी-बेस्ड मॉनिटरिंग: प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को** नेशनल स्टीयरिंग कमिटी की देखरेख में **GIS मैपिंग, सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का** इस्तेमाल करके मॉनिटर किया जाएगा ।

चुनौतियां

- **ज़मीन खरीदने में रुकावटें:**
  कई राज्यों के लिए बड़े, बिना मुकदमे वाले और एक-दूसरे से सटे ज़मीन के टुकड़े हासिल करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:**
  औद्योगिक रूप से उन्नत राज्यों को प्रोजेक्ट्स का बड़ा हिस्सा मिल सकता है, जिससे क्षेत्रीय विकास में अंतर बढ़ सकता है।
- **राज्य-स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव देरी:**
  इस स्कीम की सफलता इंडस्ट्रियल अप्रूवल और एनवायरनमेंटल परमिशन के लिए कुशल राज्य-स्तर के **सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम पर निर्भर करती है।**

आगे बढ़ने का रास्ता

- **SPVs को मज़बूत बनाना:**
  राज्यों को ब्यूरोक्रेटिक देरी को कम करने के लिए SPVs को प्लानिंग और अप्रूवल की पावर देकर उन्हें मज़बूत करना चाहिए।
- **सबको साथ लेकर चलने वाला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट:**
  बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ पक्का करने के लिए कम डेवलप और दूर-दराज के इलाकों के लिए खास इंसेंटिव बनाए जाने चाहिए।
- **दूसरी स्कीम्स के साथ कन्वर्जेंस:**
  BHAVYA को रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और **प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI)** स्कीम्स से जुड़ी पहलों के साथ इंटीग्रेट किया जाना चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके।

निष्कर्ष

BHAVYA **स्कीम पारंपरिक ज़मीन के बंटवारे से हटकर मॉडर्न, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम** के विकास की ओर एक ज़रूरी बदलाव है । प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव बंटवारे और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर, इस स्कीम का मकसद भारत की मैन्युफैक्चरिंग

कैपेसिटी को मज़बूत करना और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह बेहतर करना है।

परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का 11वां समीक्षा सम्मेलन

प्रसंग

न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में हुई **न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) की 11वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस** फाइनल घोषणा पर आम सहमति के बिना खत्म हो गई। यह **लगातार 16 साल है** जब दोनों की सहमति से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, जिससे ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन सिस्टम के असर पर चिंता बढ़ गई है।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड:

NPT **रिव्यू कॉन्फ्रेंस** एक डिप्लोमैटिक फोरम है जो हर **पांच साल में न्यूक्लियर वेपन्स के नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT)** के इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए ऑर्गनाइज़ किया जाता है । **1975** में अपनी शुरुआत के बाद से , यह कॉन्फ्रेंस लगभग **190 मेंबर देशों** के बीच डिसआर्मामेंट कमिटमेंट्स, न्यूक्लियर सेफगार्ड्स और उभरती सिक्योरिटी कंसर्न्स को रिव्यू करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रही है ।

एनपीटी की मुख्य विशेषताएं

- **तीन-स्तंभ ढांचा: 1968**
  एनपीटी **संधि** तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है- **अप्रसार, निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग** ।
- **ग्रैंड बार्गेन:**
  इस ट्रीटी के तहत, **नॉन-न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स (NNWS)** न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करने पर सहमत हैं, जबकि **न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स (NWS) आर्टिकल VI** के तहत न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करने के लिए कमिटेड हैं ।
- **परमाणु शक्तियों की मान्यता:**
  संधि आधिकारिक तौर पर केवल **पांच परमाणु हथियार राज्यों (पी5) - संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस - को उन देशों के रूप में** मान्यता देती है जिन्होंने **1 जनवरी 1967** से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था ।
- **इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) की भूमिका:**
  इंटरनेशनल **एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA)** सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर नज़र रखती है और यह पक्का करती है कि न्यूक्लियर मटीरियल का इस्तेमाल मिलिट्री मकसद के लिए न किया जाए।
- **शांतिपूर्ण न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अधिकार:**
  यह संधि सदस्य देशों को बिजली बनाने, दवा और खेती जैसे शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है।
- **ट्रीटी का परमानेंट एक्सटेंशन:**
  शुरू में **25 साल के लिए डिज़ाइन की गई** इस ट्रीटी को **1995 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया** , जिससे इसके कमिटमेंट परमानेंट हो गए।
- **एक मज़बूत परमाणु अप्रसार व्यवस्था का महत्व**
- **न्यूक्लियर हथियारों के विस्तार को रोकना:**
  एक मज़बूत NPT, न्यूक्लियर ताकतों के बीच न्यूक्लियर हथियारों के विस्तार और मॉडर्नाइज़ेशन को सीमित करने में मदद करता है।
- **न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फैलने से रोकना:**
  मज़बूत इंटरनेशनल नियम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटीरियल के गलत देशों या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के हाथों में पड़ने का खतरा कम करते हैं।
- **न्यूक्लियर ताकतों की जवाबदेही पक्का करना:**
  यह ट्रीटी यह रिव्यू करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है कि न्यूक्लियर हथियार वाले देश डिसआर्मामेंट के वादे पूरे कर रहे हैं या नहीं।
- **सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा:**
  साफ़ इंटरनेशनल नियम लड़ाई के दौरान न्यूक्लियर सुविधाओं के लिए खतरे को कम करते हैं और न्यूक्लियर आपदाओं को रोकने में मदद करते हैं।
- **स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना:**
  एक स्टेबल नॉन-प्रोलिफरेशन फ्रेमवर्क जियोपॉलिटिकल टेंशन और बॉर्डर पर लड़ाई के दौरान न्यूक्लियर हमले के खतरे को कम करता है।

चुनौतियां

- **लागू करने में गड़बड़ी:**
  जबकि नॉन-न्यूक्लियर देशों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, न्यूक्लियर हथियार रखने वाले देशों को एक तय टाइमलाइन के अंदर हथियारों का जखीरा कम करने के लिए मजबूर करने का कोई पक्का तरीका नहीं है।
- **P5 का डिप्लोमैटिक दबदबा:**
  बड़ी न्यूक्लियर ताकतें अक्सर बातचीत पर असर डालती हैं और मज़बूत डिसआर्मामेंट कमिटमेंट का विरोध करती हैं।
- **नॉन-सिग्नेटरी न्यूक्लियर देश:**
  भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और नॉर्थ कोरिया जैसे देश ट्रीटी फ्रेमवर्क से बाहर हैं, जिससे इसकी यूनिवर्सल वैल्यू कमज़ोर हो रही है।
- **न्यूक्लियर डिटरेंस का विस्तार:**
  टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों और मिलिट्री अलायंस की

बढ़ती तैनाती नॉन-प्रोलिफरेशन लक्ष्यों को चुनौती दे रही है।

- **आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट का खत्म होना:** बड़ी ताकतों के बीच बाइलेटरल एग्रीमेंट के कमज़ोर होने या खत्म होने से न्यूक्लियर गवर्नेंस में अनिश्चितता बढ़ती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **समय पर हथियार खत्म करने के वादे:** NPT फ्रेमवर्क में न्यूक्लियर ताकतों को न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के लिए ऐसे टारगेट बताने होंगे जिन्हें मापा जा सके और समय पर टारगेट दिए जा सकें।
- **नई टेक्नोलॉजी पर नज़र रखना:** हाइपरसोनिक और डुअल-कैपेबल हथियारों जैसे एडवांस्ड डिलीवरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम बनाना।
- **TPNW के साथ कोऑर्डिनेशन को मज़बूत करना:** दुनिया भर में हथियार खत्म करने की कोशिशों को मज़बूत करने के लिए NPT और **न्यूक्लियर वेपन्स पर रोक लगाने की संधि (TPNW) के बीच सहयोग को बेहतर बनाना।**
- **फिसाइल मटेरियल कट-ऑफ ट्रीटी (FMCT):** वेपन-ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल के प्रोडक्शन को रोकने वाली ग्लोबल ट्रीटी पर बातचीत तेज़ करना।
- **न्यूक्लियर वेपन-फ्री ज़ोन (NWFZs) का विस्तार:** कानूनी तौर पर ज़रूरी न्यूक्लियर-वेपन-फ्री इलाकों को बढ़ावा दें, खासकर उन इलाकों में जहाँ लड़ाई-झगड़े होते हैं।

निष्कर्ष

11वीं NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस का आम सहमति न बना पाना ग्लोबल न्यूक्लियर सिस्टम में बढ़ते मतभेदों को दिखाता है। जैसे-जैसे जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है और न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन तेज़ हो रहा है, जवाबदेही को मज़बूत करना, वेरिफिकेशन सिस्टम में सुधार करना, और निरस्त्रीकरण के लिए असली कमिटमेंट पक्का करना, इंटरनेशनल शांति और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होगा।

जनरेशन Z और लोकतंत्र

प्रसंग

केंद्र सरकार ने नई बनी **कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)** की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए **इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट, 2000 का सेक्शन 69A** लागू किया । इस सटायरिकल ऑनलाइन मूवमेंट ने पेपर लीक, बेरोज़गारी और कम आर्थिक मौकों से जुड़ी चिंताओं को सामने लाकर युवाओं, खासकर **Gen Z के बीच तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की।**

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड:

यह मूवमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की बातों के बाद शुरू हुआ, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविज्म के कुछ तरीकों की आलोचना की गई थी। इसके जवाब में, **"कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)"** नाम का एक सटायरिकल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसमें ह्यूमर , पैरोडी और AI से बने कंटेंट का इस्तेमाल करके युवाओं की चिंताओं जैसे बेरोजगारी, एग्जाम में गड़बड़ी और गवर्नेंस के मुद्दों पर ध्यान खींचा गया।

सरकारी हस्तक्षेप:

सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंताओं का हवाला देते हुए इनपुट के आधार पर, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69A** के तहत सीजेपी सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया ।

आधुनिक लोकतंत्रों में सोशल मीडिया की भूमिका

- **पब्लिक एक्सप्रेशन के लिए दूसरा प्लैटफ़ॉर्म:** सोशल मीडिया युवाओं और पिछड़े ग्रुप्स को ट्रेडिशनल मीडिया इंस्टीट्यूशन्स पर निर्भर हुए बिना सीधे मुद्दे उठाने में मदद करता है।
- **कम लागत वाली पॉलिटिकल मोबिलाइज़ेशन :** डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म फ़ाइनेंशियल और ऑर्गनाइज़ेशनल रुकावटों को कम करते हैं, जिससे मूवमेंट और आइडिया नागरिकों के बीच तेज़ी से फैलते हैं।
- **नागरिक निगरानी और जवाबदेही:** ऑनलाइन नेटवर्क रियल टाइम में गवर्नेंस की नाकामियों, एडमिनिस्ट्रेटिव कमियों और जनता की शिकायतों को दिखाने के लिए टूल की तरह काम करते हैं।
- **मिलकर एकजुटता बनाना:** सोशल मीडिया बेरोज़गारी या परीक्षा से जुड़े मुद्दों जैसी लोकल चिंताओं को बड़े नेशनल और ग्लोबल चर्चाओं से जोड़ता है।
- **क्रिएटिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन:** मीम्स, सटायर, शॉर्ट वीडियो और विज़ुअल स्टोरीटेलिंग, डिजिटली एक्टिव युवा आबादी के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को ज़्यादा आसान बनाते हैं।

डिजिटल और संस्थागत एकीकरण की आवश्यकता

- **राजनीतिक निराशा कम करना:** डेमोक्रेटिक संस्थाओं में युवा नागरिकों की अच्छी भागीदारी, मुख्यधारा के राजनीतिक सिस्टम से अलगाव को रोक सकती है।
- **डिजिटल ट्रेंड्स को पॉलिसी में बदलना: ऑनलाइन मूवमेंट्स को ऐसे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में** लाना चाहिए जो जनता की चिंताओं को पॉलिसी सुधारों में बदल सकें।

- **युवाओं की असहमति का गलत मतलब निकालने से बचना:**
  ऑनलाइन एक्टिविज़्म में कंस्ट्रक्टिव जुड़ाव, सटायर या क्रिटिसिज़्म को सिक्योरिटी के लिए खतरा समझने की आदत को कम कर सकता है।
- **गवर्नेंस कम्युनिकेशन को मॉडर्न बनाना :** सरकारें युवा नागरिकों के साथ जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टूल्स, AI और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन तरीकों को अपना सकती हैं।

चुनौतियां

- **ऑनलाइन पॉपुलैरिटी और ग्राउंड सपोर्ट के बीच गैप :** ज़रूरी नहीं कि बड़ी डिजिटल फॉलोइंग असल दुनिया के पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन या लगातार ज़मीनी जुड़ाव में बदल जाए।
- **गलत जानकारी का फैलना:**
  सोशल मीडिया एल्गोरिदम अक्सर सनसनीखेज कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं , जिससे गलत जानकारी और इमोशनल ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ जाता है ।
- **विदेशी असर और मैनिपुलेशन:**
  बाहरी लोग बॉट्स और मिलकर चलाए जा रहे कैंपेन के ज़रिए घरेलू शिकायतों का फ़ायदा उठाकर मतभेद बढ़ा सकते हैं।
- **पाबंदियों में ट्रांसपेरेंसी की कमी:**
  ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने जैसे तेज़ी से उठाए जाने वाले एग्जीक्यूटिव एक्शन ट्रांसपेरेंट ज्यूडिशियल रिव्यू को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी को लेकर चिंताएं पैदा कर सकते हैं।
- **कंस्ट्रक्टिव पब्लिक डिबेट में कमी:**
  बहुत ज़्यादा मीम कल्चर और एनॉनिमस इंटरैक्शन मुश्किल पॉलिटिकल और सोशियो-इकोनॉमिक मुद्दों को बहुत आसान बना सकते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 का सेक्शन 69A:**
  सरकार को सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस , नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, या अपराधों को बढ़ावा देने से रोकने के लिए ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(ए):**
  नागरिकों को **भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की** गारंटी देता है ।
- **अनुच्छेद 19(2):**
  राज्य की संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सुरक्षा के हित में मुक्त भाषण पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सटायर और फ्री एक्सप्रेशन की रक्षा:**
  डेमोक्रेटिक आज़ादी की रक्षा के लिए सही नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं और पॉलिटिकल सटायर के बीच साफ़ फ़र्क किया जाना चाहिए।
- **सेक्शन 69A के प्रोसीजर में सुधार:**
  ब्लॉकिंग के फैसले लागू करने से पहले ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और प्रभावित पार्टियों को अपनी बात कहने का मौका देना।
- **संस्थागत बनाना :**
  रोज़गार, शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए औपचारिक युवा सलाहकार संस्थाएँ बनाना।
- **फैक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम को मजबूत करना:**
  गलत जानकारी का मुकाबला करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करें और साथ ही असली राजनीतिक बहस और असहमति को भी सुरक्षित रखें।
- **पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डेमोक्रेटाइज़ करना :** पॉलिटिकल पार्टियों को युवा नेताओं और ज़मीनी आवाज़ों को फॉर्मल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए ज़्यादा मौके देने चाहिए।

निष्कर्ष

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का उदय और उस पर रोक लगाना, डिजिटल रूप से एक्टिव युवाओं और पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं के बीच बढ़ते अलगाव को दिखाता है। जैसे-जैसे युवा नागरिक अपनी चिंताएं बताने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को पारदर्शी और सबको साथ लेकर चलने वाले शासन के तरीकों के ज़रिए **राष्ट्रीय सुरक्षा, बोलने की आज़ादी और युवाओं की सही भागीदारी के बीच संतुलन बनाना होगा।**

बांड आय

प्रसंग

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से दुनिया भर में बढ़ती फाइनेंशियल अनिश्चितता के बीच , दुनिया भर में सॉवरेन बॉन्ड यील्ड में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई। भारत की **10-साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी (G-Sec) यील्ड** बढ़कर लगभग **7.13% हो गई** , जबकि **30-साल की US ट्रेजरी यील्ड** लगभग **5.20% तक पहुंच गई** , जो निवेशकों की बढ़ती चिंताओं और बाज़ार के उतार-चढ़ाव को दिखाता है।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड:
गवर्नमेंट **बॉन्ड** एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे सरकार फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए फंड उधार लेने के लिए जारी करती है। इंडिया में, इन्हें **गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (G- Secs) कहा जाता है** , जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में इन्हें **ट्रेजरी** और

यूनाइटेड किंगडम में **गिल्ट के नाम से जाना जाता है** । इन बॉन्ड को खरीदने वाले इन्वेस्टर असल में सरकार को समय-समय पर इंटरेस्ट पेमेंट और मैच्योरिटी के बाद प्रिंसिपल चुकाने के बदले में पैसे उधार देते हैं।

बॉन्ड यील्ड क्या है?

बॉन्ड यील्ड का मतलब:
बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि **बॉन्ड के मौजूदा मार्केट प्राइस के आधार पर एक इन्वेस्टर को असल में मिलने वाला रिटर्न** , कूपन रेट के उलट, जो फिक्स्ड रहता है। बॉन्ड की कीमतों और बॉन्ड यील्ड में **उल्टा रिश्ता होता है** , जब बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं, यील्ड बढ़ती हैं, और इसका उल्टा भी होता है।

बॉन्ड यील्ड कैसे काम करता है:

- **फिक्स्ड कूपन रेट:**
  मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर ₹100 का सरकारी बॉन्ड खरीदता है, जिस पर ₹5 का फिक्स्ड सालाना ब्याज (कूपन) मिलता है। इस मामले में बॉन्ड यील्ड **5% है** ।
- **मार्केट एडजस्टमेंट:**
  अगर महंगाई बढ़ती है या नए सरकारी बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न देते हैं, तो पुराने बॉन्ड मार्केट में कम आकर्षक हो जाते हैं।
- **कीमत में गिरावट और यील्ड में बढ़ोतरी:**
  कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए, पुराने बॉन्ड की कीमत गिरती है, जिससे नए खरीदारों के लिए इसका इफेक्टिव रिटर्न (यील्ड) बढ़ जाता है। इस तरह, बॉन्ड की गिरती कीमतों से बॉन्ड यील्ड बढ़ती है।

बॉन्ड यील्ड मूवमेंट की मुख्य विशेषताएं

- **इंटरेस्ट रेट्स के लिए बेंचमार्क:**
  सरकारी बॉन्ड यील्ड पूरी इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट्स तय करने के लिए **रिस्क-फ्री बेंचमार्क का काम करते हैं, क्योंकि सॉवरेन बॉन्ड्स को काफ़ी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है।**
- **बेसिस पॉइंट्स के ज़रिए मेज़रमेंट: यील्ड में बदलाव को**
  बेसिस पॉइंट्स (bps) में ट्रैक किया जाता है , जहाँ **1 बेसिस पॉइंट = 0.01%** होता है, जिससे मार्केट के उतार-चढ़ाव को सही-सही मेज़र किया जा सकता है।
- **टर्म प्रीमियम:**
  अनिश्चित मार्केट कंडीशन में, इन्वेस्टर लॉन्ग-टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न की मांग करते हैं, जिससे **टर्म प्रीमियम बढ़ जाता है** ।
- **ग्लोबल फाइनेंशियल लिंकेज: ग्लोबल बॉन्ड मार्केट आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं।**
  US ट्रेज़री यील्ड में बढ़ोतरी से अक्सर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से कैपिटल आउटफ्लो शुरू हो जाता है, जिससे घरेलू बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है।

बढ़ते बॉन्ड यील्ड के निहितार्थ

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- **ज़्यादा उधार लेने की लागत: बॉन्ड यील्ड बढ़ने से आम तौर पर**
  होम लोन, गाड़ी के लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं , जिससे कंज्यूमर्स के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है।
- **कम कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट:**
  ज़्यादा फाइनेंसिंग कॉस्ट कंपनियों को नए इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और नौकरी बढ़ाने से रोकती है।

सरकारी वित्त पर प्रभाव:

- **फिस्कल बोझ में बढ़ोतरी:**
  सरकार को नए जारी किए गए कर्ज़ पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, जिससे फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट और मुश्किल हो जाता है।
- **वेलफेयर खर्च पर दबाव:**
  सरकारी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कर्ज़ चुकाने में लग सकता है, जिससे वेलफेयर प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च कम हो सकता है।

चुनौतियां

- **कैपिटल आउटफ्लो:**
  डेवलप्ड इकॉनमी में ज़्यादा रिटर्न विदेशी इन्वेस्टर को उभरते मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बढ़ावा देते हैं, जिससे घरेलू करेंसी कमज़ोर होती हैं।
- **मॉनेटरी पॉलिसी की दुविधा:**
  सेंट्रल बैंकों के सामने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कम रेट बनाए रखने के बीच एक मुश्किल ऑप्शन है।
- **फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर असर:**
  पुराने सरकारी बॉन्ड रखने वाले बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बॉन्ड की कीमतों में गिरावट के कारण **मार्क-टू-मार्केट (MTM) नुकसान हो सकता है।**

आगे बढ़ने का रास्ता

- **घरेलू बॉन्ड मार्केट को मज़बूत करना:**
  इंस्टीट्यूशनल और विदेशी इन्वेस्टर्स पर निर्भरता कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए रिटेल इन्वेस्टर्स की ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **बेहतर कर्ज़ मैनेजमेंट:**
  सरकार को उधार लेने के शेड्यूल को मज़बूत मार्केट लिक्विडिटी के समय के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि यील्ड पर ज़्यादा दबाव कम हो सके ।
- **मैक्रोइकॉनॉमिक स्टेबिलिटी को मज़बूत करना:**
  फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने और महंगाई को कंट्रोल करने से इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ सकता है और सरकारी कर्ज़ पर रिस्क प्रीमियम कम हो सकता है।

निष्कर्ष

ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में हालिया बढ़ोतरी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के दौरान फाइनेंशियल मार्केट की एक-दूसरे पर करीबी निर्भरता को दिखाती है। चूंकि सॉवरेन बॉन्ड यील्ड उधार लेने की लागत, निवेश और फिस्कल मैनेजमेंट पर असर डालती है, इसलिए समझदारी भरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता बनाए रखना, मार्केट के उतार-चढ़ाव से बड़ी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ज़रूरी हो जाता है।

डेमोग्राफिक ट्रांज़िशन: भारत में जन्म दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट

प्रसंग

ऑफिस ऑफ़ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया के जारी लेटेस्ट **सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2024 बुलेटिन में भारत की जन्म दर और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट पर ज़ोर दिया गया है। नतीजों से पता चलता है कि भारत** डेमोग्राफिक बदलाव की प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें हेल्थ इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं और फर्टिलिटी लेवल घट रहा है।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड:

सैंपल **रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS)** एक बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक सर्वे है जिसे **भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर का ऑफिस,** मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के तहत करता है। यह नेशनल और स्टेट लेवल पर बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी पर सालाना अनुमान देता है।

एसआरएस 2024 के मुख्य निष्कर्ष

- **क्रूड बर्थ रेट (CBR) में गिरावट:**
  भारत का **क्रूड बर्थ रेट (प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्म) 2014 में 21.0** से घटकर **2024 में 18.3 हो गया** , जो गिरते प्रजनन स्तर और बदलते सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है।
- **क्रूड डेथ रेट (सीडीआर) में कमी:**
  क्रूड **डेथ रेट (प्रति 1,000 जनसंख्या पर मृत्यु) 2014 में 6.7** से मामूली रूप से घटकर **2024 में 6.4 हो गई** , जो स्वास्थ्य सेवा पहुंच और रोग नियंत्रण में क्रमिक सुधार का संकेत है।
- **शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में सुधार:**
  शिशु **मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु) 2014 में 39** से घटकर **2024 में 24 हो गई** , जो बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाती है।

ग्रामीण-शहरी रुझान

- **विभिन्न क्षेत्रों में जन्म दर में गिरावट :** ग्रामीण जन्म दर **22.7 से घटकर 20.2 हो गई** , जबकि शहरी जन्म दर **17.4 से घटकर 14.7 हो गई** , जो शहरी क्षेत्रों में कम प्रजनन क्षमता दर्शाती है।
- **लगातार ग्रामीण-शहरी शिशु मृत्यु दर अंतर:**
  शहरी शिशु मृत्यु दर **26 से सुधरकर 17 हो गई** , जबकि ग्रामीण शिशु मृत्यु दर **43 से घटकर 27 हो गई** । हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर का स्तर काफी अधिक बना हुआ है।
- **टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR):**
  भारत का **TFR 1.9 पर बना हुआ है** , जो **रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 से कम है** । ग्रामीण इलाकों में TFR **2.1 है** , जबकि शहरी इलाकों में यह **1.5 है** ।

सामाजिक-आर्थिक महत्व

- **हेल्थकेयर और लिटरेसी में सुधार:**
  जन्म और मृत्यु दर में कमी हेल्थकेयर सेवाओं में सुधार, महिलाओं की लिटरेसी में बढ़ोतरी, जागरूकता में बढ़ोतरी और शहरीकरण का संकेत देती है ।
- **संस्थागत प्रसव में वृद्धि: शिशु मृत्यु दर में कमी के पीछे एक प्रमुख कारक**
  संस्थागत प्रसव में वृद्धि है , जो 2019 में 83% से कम से बढ़कर **2024 में 95% से अधिक हो गई है** , जिससे सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित होता है।
- **नियो-नेटल केयर का बढ़ता महत्व:**
  हालांकि शिशु मृत्यु दर कम हो रही है, लेकिन **नियो-नेटल मौतें (जन्म के पहले 28 दिनों के अंदर) अब कुल शिशु मृत्यु का** लगभग 73% हिस्सा हैं , जो शुरुआती जीवन में मज़बूत मेडिकल देखभाल की ज़रूरत को दिखाता है।

चुनौतियां

- **क्षेत्रीय अंतर: राज्यों के बीच बड़े अंतर बने हुए हैं।**
  केरल और **गोवा** जैसे राज्यों में बच्चों की मृत्यु दर कम है, जबकि **छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में** IMR का लेवल ज़्यादा है।
- **जेंडर पर आधारित असमानता:**
  कुछ राज्यों में, लड़कियों की शिशु मृत्यु दर लड़कों की शिशु मृत्यु दर से ज़्यादा है, जो हेल्थकेयर तक पहुंच और न्यूट्रिशन में लगातार जेंडर पर आधारित असमानता को दिखाता है।
- **सिर्फ़ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की सीमाएं:**
  सिर्फ़ हॉस्पिटल में डिलीवरी बढ़ाने से बेहतर नतीजे नहीं मिल सकते, जब तक कि अच्छी नियो-नेटल और डिलीवरी के बाद की हेल्थकेयर सर्विस न हों।
- **कमज़ोर ग्रामीण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर:**
  कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी न्यूट्रिशन की ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, **स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स (SNCUs) की कमी है** , और डायग्नोस्टिक हेल्थकेयर सिस्टम तक खराब पहुंच है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ज़्यादा बोझ वाले राज्यों में फोकस्ड दखल:**
  जिन राज्यों में बच्चों की मौत की दर ज़्यादा है, उन्हें नियोनेटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैटरनल केयर सर्विस को मज़बूत करने के लिए खास इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए।
- **नियो-नेटल हेल्थकेयर को मज़बूत करना: जन्म के बाद**
  पहले **28 दिनों पर ज़्यादा पॉलिसी ध्यान दिया जाना चाहिए** , जब ज़्यादातर बच्चों की मौत होती है, और इसके लिए बेहतर मॉनिटरिंग और मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
- **ग्रामीण हेल्थ गैप को कम करना:**
  ग्रामीण-शहरी हेल्थ डिवाइड को कम करने के लिए इम्यूनाइज़ेशन , न्यूट्रिशन प्रोग्राम और कम्युनिटी-बेस्ड हेल्थकेयर सिस्टम को बढ़ाना ।
- **जेंडर पर आधारित असमानताओं को कम करना:**
  लड़कियों पर असर डालने वाले भेदभाव वाले हेल्थ नतीजों को खत्म करने के लिए, खास तौर पर माँ और बच्चे के लिए हेल्थकेयर स्कीम शुरू करें।

निष्कर्ष

SRS **2024 बुलेटिन** भारत के डेमोग्राफिक और हेल्थ बदलाव में काफी तरक्की दिखाता है, जिसकी पहचान जन्म दर और बच्चों की मौत की दर में कमी से होती है। हालांकि, क्षेत्रीय असमानताएं, ग्रामीण हेल्थकेयर में कमी, और नवजात शिशुओं की कमज़ोरियां अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। लंबे समय तक डेमोग्राफिक फायदे बनाए रखने के लिए बराबर और अच्छी हेल्थकेयर डिलीवरी की ओर बदलाव बहुत ज़रूरी होगा।

खेत बचाओ अभियान

प्रसंग

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राष्ट्रव्यापी **' खेत योजना' के तहत प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। बचाओ ' अभियान '** एक बड़े पैमाने पर जागरूकता और कैपेसिटी-बिल्डिंग कैंपेन है जिसका मकसद मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाना, केमिकल फर्टिलाइज़र पर बहुत ज़्यादा निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना है।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड:
यह कैंपेन **डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन (DARE)** , मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत चलाया जा रहा है। इसका मकसद मिट्टी की घटती उपजाऊपन, ज़्यादा फर्टिलाइज़र (खासकर यूरिया) के इस्तेमाल से होने वाले न्यूट्रिएंट्स के असंतुलन, और बढ़ती फर्टिलाइज़र सब्सिडी के कारण बढ़ते फाइनेंशियल बोझ को दूर करना है।

मुख्य बातें और उपलब्धियां:

- **किसान जागरूकता कैंपेन:**
  कुल **12,979 जागरूकता कैंप और टेक्निकल सेमिनार** ऑर्गनाइज़ किए गए , जिनसे साइंटिफिक और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए लगभग **7.17 लाख किसानों तक पहुंचा गया।**
- **ट्रेनिंग और डेमोंस्ट्रेशन:**
  3,145 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग **प्रोग्राम** किए गए, जिनमें **1.11 लाख से ज़्यादा पार्टिसिपेंट शामिल हुए** , साथ ही सस्टेनेबल खेती के तरीकों को दिखाने के लिए **7,928 फील्ड डेमोंस्ट्रेशन भी किए गए।**
- **डिजिटल और मीडिया आउटरीच:**
  इस कैंपेन में **रेडियो, टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया गया** , जिसमें **1,144 से ज़्यादा मीडिया प्रोग्राम शामिल थे** , जबकि हज़ारों पब्लिक जगहों पर अवेयरनेस मैसेज दिखाए गए, जो देश भर में लगभग **2.7 करोड़ लोगों तक पहुंचे।**
- **स्टेकहोल्डर की भागीदारी:**
  इस पहल में **फर्टिलाइज़र डीलरों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs), और किसान हित समूहों (FIGs) को शामिल किया गया** ताकि सस्टेनेबल खेती में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।
- **स्थानीय शासन में भागीदारी:**
  कई **जनप्रतिनिध ' खेत ' कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय-आधारित निगरानी को बढ़ावा देने में** पंचायतों , सरपंचों और जिला-स्तर के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए **सम्मेलन** आयोजित किए गए। **बचाओ समितियां'** .

मुख्य उद्देश्य और प्रचारित अभ्यास

इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट (INM):
यह कैंपेन केमिकल इनपुट को फसल और मिट्टी के हिसाब से पोषक तत्वों की ज़रूरतों के साथ मिलाकर फर्टिलाइज़र के बैलेंस्ड इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। इस तरीके से पोषक तत्वों की एफिशिएंसी बेहतर होती है और एनवायरनमेंटल डैमेज कम होता है।

वैकल्पिक इनपुट को बढ़ावा देना:

- **हरी खाद :**
  यह फलीदार फसलों की खेती को बढ़ावा देती है जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती हैं और नाइट्रोजन की मात्रा को बेहतर बनाती हैं।
- **बायो-फर्टिलाइजर:**
  मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए **राइजोबियम , एजोटोबैक्टर और फॉस्फेट सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया (PSB)** जैसे फायदेमंद माइक्रोऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल में मदद करता है ।

- **ऑर्गेनिक इनपुट: लंबे समय तक मिट्टी की क्वालिटी सुधारने के लिए खेत की खाद (FYM),** वर्मीकम्पोस्ट और बायोडिग्रेडेबल खेती के कचरे के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है ।

संबंधित सरकारी पहल

- **सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम (2015):** यह साइंटिफिक मिट्टी की टेस्टिंग और पोषक तत्वों के सुझाव देती है, जो कैंपेन की मिट्टी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का टेक्निकल आधार है।
- **PM-PRANAM स्कीम (2023):** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शेयर्ड सब्सिडी बचत के ज़रिए इनाम देकर, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करने के लिए बढ़ावा देती है।

चुनौतियां

- **छोटी और बिखरी हुई ज़मीन:** छोटे किसानों के लिए पारंपरिक ज़्यादा खाद वाली खेती से सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ओर बढ़ना मुश्किल बना हुआ है।
- **इनपुट बिक्री में कमर्शियल भेदभाव:** लोकल खेती के इनपुट डीलर अक्सर कमर्शियल फ़ायदों के कारण केमिकल फ़र्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं।
- **मिट्टी टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है:** दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में एडवांस्ड मिट्टी टेस्टिंग सुविधाओं की कम पहुंच की वजह से साइंटिफिक न्यूट्रिएंट्स की सलाह में देरी होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इनपुट डिलीवरी सिस्टम को मज़बूत करना:** फर्टिलाइज़र डीलरों को रेगुलर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे बैलेंस्ड और मिट्टी में टेस्ट किए गए न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकें।
- **कृषि विस्तार सेवाओं का विस्तार:** **कृषि** का नेटवर्क **विज्ञान** नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए **केंद्रों (KVKs) का इस्तेमाल किया जा सकता है।**
- **डीसेंट्रलाइज्ड सॉइल टेस्टिंग:** मोबाइल लैब और लोकल सॉइल टेस्टिंग किट लगाने से पहुँच बेहतर हो सकती है और सॉइल हेल्थ असेसमेंट का समय पर अपडेट मिल सकता है।

निष्कर्ष

खेत **बचाओ ' अभियान '** संतुलित पोषक तत्वों के इस्तेमाल और बेहतर मिट्टी मैनेजमेंट को बढ़ावा देकर सस्टेनेबल और साइंस-बेस्ड खेती की ओर एक ज़रूरी बदलाव दिखाता है। किसानों की जागरूकता, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और लोकल हिस्सेदारी को मिलाकर, यह पहल मिट्टी की सेहत को बनाए रखते हुए लंबे समय तक खेती की प्रोडक्टिविटी पक्का करने की कोशिश करती है।

साइबर युद्ध और कानूनी शून्यता

प्रसंग

अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच, साइबर वॉरफेयर को रेगुलेट करने के लिए एक मज़बूत इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क की कमी को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साइबर कैपेबिलिटीज़ में तेज़ी से हो रही तरक्की ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म से आगे निकल रही है।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड:

साइबर वॉरफेयर का मतलब है कि देश या सरकार के सपोर्ट वाले ग्रुप किसी दूसरे देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम और ज़रूरी नेटवर्क में घुसपैठ करने, रुकावट डालने, तोड़फोड़ करने या नुकसान पहुँचाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऑपरेशन तेज़ी से पावर ग्रिड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सरकारी डेटाबेस और मिलिट्री सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं।

साइबर युद्ध में मुख्य रुझान:

- **बढ़ती आर्थिक लागत:** साइबर क्राइम और सरकार से जुड़े साइबर हमलों से होने वाला ग्लोबल नुकसान 2026 में हर साल लगभग $10–11 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, और अनुमान है कि आने वाले सालों में इसमें और बढ़ोतरी होगी।
- **भारत की बढ़ती कमज़ोरी: भारत में** साइबर हमलों में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है , तेज़ी से डिजिटलाइज़ेशन और इंटरनेट की बढ़ती पहुँच की वजह से, कंपनियों को ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा साइबर खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
- **साइबर हमलों का तेज़ी से होना:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेटेड सिस्टम के आने से साइबर घुसपैठ में लगने वाला समय बहुत कम हो गया है, जिससे हमले ज़्यादा तेज़ी से होते हैं और उन्हें रोकना मुश्किल हो गया है।
- **ज़रूरी सेक्टर्स को टारगेट करना:** सरकारी संस्थाएं, एजुकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर घुसपैठ और रैंसमवेयर हमलों के बड़े टारगेट बने हुए हैं।

साइबर युद्ध में वृद्धि के पीछे के कारण

- **कम लागत वाला एसिमेट्रिक युद्ध:** साइबर ऑपरेशन से कमज़ोर देश और नॉन-स्टेट एक्टर महंगे मिलिट्री सिस्टम में इन्वेस्ट किए बिना ज़्यादा ताकतवर देशों को चुनौती दे सकते हैं।

- **गुमनामी और ज़िम्मेदारी तय करने की चुनौतियाँ:** अटैकर कई सर्वर से साइबर ऑपरेशन को रूट करके अपनी पहचान छिपा सकते हैं, जिससे अटैक के सोर्स के बारे में कानूनी सबूत जमा करना मुश्किल हो जाता है।
- **पारंपरिक युद्ध के साथ इंटीग्रेशन:** आजकल की मिलिट्री लड़ाइयों में फिजिकल ऑपरेशन शुरू होने से पहले दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब करने और डिफेंस की क्षमता को कमजोर करने के लिए साइबर अटैक का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
- **डुअल-यूज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:** सिविलियन कम्युनिकेशन सिस्टम और कमर्शियल डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिलिट्री या जासूसी के मकसद से तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है।
- **कमज़ोर कानूनी नतीजे:** लागू होने वाले इंटरनेशनल कानूनों की कमी की वजह से देश और दुश्मन ग्रुप कानूनी नतीजों के कम डर के साथ साइबर ऑपरेशन कर पाते हैं।

कानूनी ढांचा और मौजूदा पहल

अंतर्राष्ट्रीय तंत्र:

- **साइबरक्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन: यह** एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मकसद साइबरक्राइम की जांच के लिए देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना, कानूनों में तालमेल बिठाना और डिजिटल फोरेंसिक क्षमताओं को बेहतर बनाना है।
- **साइबरक्राइम के खिलाफ UN कन्वेंशन :** यह एक बड़ी ग्लोबल पहल है जिसका मकसद डिजिटल सबूत शेयर करने, कानून लागू करने वालों के बीच तालमेल और साइबरक्राइम की रोकथाम के लिए आम स्टैंडर्ड बनाना है।

भारत के साइबर सुरक्षा उपाय:

- **बजटीय आवंटन को मजबूत करना:** भारत सरकार ने डिजिटल खतरों के खिलाफ तैयारी बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया है।
- **CERT-In की भूमिका:** इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) साइबर खतरों पर नज़र रखती है और एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशन जैसे ज़रूरी सेक्टर पर असर डालने वाले हमलों पर कार्रवाई को कोऑर्डिनेट करती है।

चुनौतियां

- **एट्रिब्यूशन प्रॉब्लम:** टेक्नोलॉजी की मुश्किलों और कानूनी सबूतों की कमी की वजह से साइबर अटैक के असली गुनहगार की पहचान करना मुश्किल बना हुआ है।
- **इंटरनेशनल कानून में साफ़ न होना:** ऐसा कोई कानूनी स्टैंडर्ड नहीं है जिससे यह तय हो सके कि इंटरनेशनल कानून के तहत साइबर अटैक कब "युद्ध की कार्रवाई" माना जाएगा।
- **सॉवरेन इम्यूनिटी:** इंटरनेशनल कोर्ट को अक्सर साइबर ऑपरेशन में शामिल देशों पर उनकी सहमति के बिना मुकदमा चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
- **मौजूदा ट्रीटीज़ का काफ़ी न होना:** मौजूदा कानूनी व्यवस्थाएं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे साइबर वॉरफेयर ग्रुप्स के बजाय क्रिमिनल हैकर्स से निपटने के लिए ज़्यादा सही हैं।
- **मामला बढ़ने का डर:** देश अक्सर साइबर झगड़ों में कानूनी टकराव से बचते हैं ताकि डिप्लोमैटिक तनाव या सेंसिटिव इंटेलिजेंस क्षमताओं के सामने आने से बचा जा सके।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इंटरनेशनल डिजिटल कन्वेंशन:** एक कानूनी तौर पर ज़रूरी ग्लोबल ट्रीटी बनाना जो हॉस्पिटल, बैंक और न्यूक्लियर फैसिलिटी जैसे ज़रूरी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक को रोके।
- **ग्लोबल एट्रिब्यूशन मैकेनिज्म:** साइबर हमलों की जांच करने और जवाबदेही तय करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के तहत एक स्वतंत्र मल्टीलेटरल बॉडी बनाना ।
- **साइबर रेजिलिएंस को मजबूत करना: देशों को** ज़ीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर जैसे एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी मॉडल अपनाने चाहिए और क्राइसिस रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करना चाहिए।
- **साइबर हमलावरों के खिलाफ़ रोक :** इंटरनेशनल सिस्टम को गलत साइबर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने वाले देशों पर डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक पेनल्टी लगानी चाहिए।
- **ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन:** भारत रीजनल और मिनी-लैटरल पार्टनरशिप के ज़रिए डेवलपिंग देशों के बीच साइबर कोऑपरेशन को बढ़ावा देने में लीडिंग रोल निभा सकता है।

निष्कर्ष

साइबर वॉरफेयर आज के जियोपॉलिटिकल झगड़े का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी को बड़ा खतरा है। मज़बूत इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क की कमी के कारण, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हो रहे मुश्किल हमलों का खतरा बना हुआ है। मौजूदा गवर्नेंस की कमी को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, लीगल अकाउंटेबिलिटी और साइबर रेजिलिएंस को मज़बूत करना ज़रूरी है ।

RACE IAS®
Since 2010

UPPCS प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2026

क्योंकि पी.टी. निकलना है ज़रूरी!

6 Subject-Wise + 14 GS Full Length + 5 CSAT Test

कुल टेस्ट्स **25**

सीरीज प्रारंभ **6 जून, 2026** | ऑनलाइन फीस : **₹ 2000/-** | ऑफलाइन फीस : **₹ 4000/-**

टेस्ट शेड्यूल

Date	Test	Topic
06-06-2026	1	Indian Polity
13-06-2026	2	History
20-06-2026	3	Geography
27-06-2026	4	Indian Economy + Budget & Economic Survey
04-07-2026	5	Environment & Ecology + U.P. Special
11-07-2026	6	Science + Miscellaneous
18-07-2026	7	GS Full Length Test 1
25-07-2026	8	GS Full Length Test 2
01-08-2026	9	CSAT Test 1
08-08-2026	10	GS Full Length Test 3
22-08-2026	11	GS Full Length Test 4
05-09-2026	12	GS Full Length Test 5
12-09-2026	13 & 14	GS Full Length Test 6 + CSAT Test 2
19-09-2026	15	GS Full Length Test 7
26-09-2026	16	GS Full Length Test 8
03-10-2026	17	GS Full Length Test 9
10-10-2026	18	GS Full Length Test 10
17-10-2026	19	CSAT Test 3
24-10-2026	20	GS Full Length Test 11
31-10-2026	21	GS Full Length Test 12
14-11-2026	22 & 23	GS Full Length Test 13 + CSAT Test 4
21-11-2026	24	GS Full Length Test 14
28-11-2026	25	CSAT Test 5

सीरीज की विशेषताएँ

- हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में
- प्रत्येक टेस्ट के विस्तृत व्याख्या-सहित उत्तर
- प्रश्नों की प्रकृति : परंपरागत, अवधारणात्मक एवं करेंट अफेयर्स आधारित
- ऑफलाइन एवं ऑनलाइन

8917851448 | www.raceias.com

टेस्ट सेंटर : अलीगंज, इंदिरा नगर, आलमबाग, लखनऊ

RACE IAS

A Leading Institute for Civil Services Examination

PRACTICE IS THE KEY TO SUCCESS

UPSC/UP PCS

मेन्स/प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज

ENROLL NOW

OFFLINE / ONLINE BATCH | **English / Hindi Medium**

सामान्य अध्ययन (GENERAL STUDIES)

09 जून से नया बैच प्रारंभ

ADMISSION OPEN

मेंटरशिप प्रोग्राम

- मेन्स PYQ
- Focus on Answer writting skill
- Current Affairs

Special Mentorship Programme for Mains Examination

Online Live Classes through RACE Mobile App

Our Centers

Aliganj	Indira Nagar	Alambagh	Ashok Nagar
Lucknow (U.P.)	Lucknow (U.P.)	Lucknow (U.P.)	Kanpur (U.P.)
Mob.: 7388114444	Mob.: 9044137462	Mob.: 8917851448	Mob.: 9044327779

अभी डाउनलोड करें - RACE IAS मोबाइल ऐप

GET IT ON Google Play | Available on Windows Store

Follow us on :

www.raceias.com